

Explanatory of Christian Doctrine

तौज़ीह-उल-अक्राइद

توضیح العقائد



The Venerable Archdeacon


BARAKAT ULLAH

M.A.F.R.A.S

क्रिस्सीस मुअज़्ज़म आर्च डेक्कन अल्लामा बरकत-उल्लाह

علامہ بركات اللہ

1951



1891-1972

The Venerable Archdeacon

Rev. Barkat Ullah

M.A.F.R.A.S

Fellow of the Royal Asiatic Society London

توضیح العقائد

قسيس معظم آرچ ڈيكن علامہ برکت اللہ

ایم۔ اے۔ آر۔ اے۔ ایس

تौज़ीह-उल-अक्राईद

क्रिस्सीस मुअज़्जम आर्च डेक्कन अल्लामा बरकत-उल्लाह

एम. ए. आर. ए. ऐस.

ने ये किताब लिख कर मुहक्किनीन पर एक जबरदस्त एहसान किया है
चूँकि मुखालिफ़ीन इंजील ने मसीही अक्राईद पर लातादाद बेमाअनी
एतराजात किए हैं।

लिहाजा इस किताब को पढ़ने से मुखालिफ़ीन के एतराजात और औहाम
के माकूल व मुस्तनद जवाबात हासिल होते हैं।

ये किताब मुबशिरिन व मुनाजरीन और अवाम व खवास के लिए एक
जबरदस्त हथियार है।

दीबाचा

इस रिसाले के मजामीन गुजश्ता पाँच साल के दौरान में मुख्तलिफ़ मसीही रसाइल में (जिनके नाम फ़ेहरिस्त मजामीन में दर्ज हैं) शाएअ हो चुके हैं और अब अहबाब की फ़र्माइश पर किताबी सूरत में शाएअ किए जाते हैं। मेरी दुआ है कि खुदा इस किताब को अपने जलाल के लिए और कलीसिया की तरक्की के लिए इस्तिमाल करे।

बरकत अल्लाह

15 सितंबर 1951 ई.

अनार कली बटाला

फेहरिस्त मज़ामीन

नंबर शुमार	मज़ामीन	सफ़ा
	दीबाचा	
1	□मैं ईमान रखता हूँ□ मसीहीय्यत और कलीसियाई अकाईद नामे (उखुव्वत, लाहौर, मई 1946 ई.)	
2	□यसूअ मसीह पर जो खुदा का इकलौता बेटा और हमारा खुदावंद है। वो रूहुल-कुद्दुस की कुदरत से पेट में पड़ा। कुँवारी मर्यम से पैदा हो।” जनाब मसीह की पैदाइश की खुसूसीयत (उखुव्वत, लाहौर, दिसंबर 1948 ई.)	
3	कुँवारी मर्यम से पैदा हुआ (बशारत, दिल्ली, दिसंबर 1946 ई.)	
4	□पिन्तुस पीलातुस (पन्तीस पीलातुस) के अहद में दुख उठाया, मस्लूब हुआ, मर गया और दफन हुआ।□ क्या खुदा मस्लूब किया गया था? (उखुव्वत, लाहौर, अप्रैल 1946 ई.)	
5	खुदा का बर्षा (उखुव्वत, लाहौर, जून 1948 ई.)	
6	पन्तीस पीलातुस (उखुव्वत, लाहौर, जनवरी 1949 ई.)	
7	इब्ने अल्लाह की सलीबी मौत और यहूदी कानून (उखुव्वत, लाहौर, सितंबर 1948 ई.)	
8	जनाब मसीह की सलीबी मौत और रूमी कानून (उखुव्वत, लाहौर, नवम्बर 1948 ई.)	
9	मुनज्जी आलमीन (जनाबे मसीह) की सलीबी मौत और मसअला तक्दीर (उखुव्वत, लाहौर, अगस्त 1948 ई.)	
10	□वो तीसरे रोज़ मुर्दों में से जी उठा□ ज़िंदा फ़ातिह मसीह (उखुव्वत, लाहौर, मार्च 1945 ई.)	
11	खुदावंद मसीह की ज़फ़रयाब क्रियामत के सबूत (ज़िंदगी, दिल्ली)	
12	अस्सलामु अलैकुम (اسلام علیکم) तुम्हारी सलामती हो (उखुव्वत, लाहौर, मार्च 1946 ई.)	
13	□वो ज़िंदों और मुर्दों की अदालत के लिए आने वाला है।”	

	अदालत-ए-खुदावंदी (उखुव्वत, लाहौर, जुलाई 1945 ई.)	
14	खुदा का ग़ज़ब (उखुव्वत, लाहौर, मई 1945 ई.)	
15	<p>□बदन की क्रियामत और अबदी जिंदगी”</p> <p>जब ये जिस्म बक्रा का जामा पहन चुकेगा (इफ़ान, रावलपिंडी, यक़म अगस्त 1949 ई.)</p>	
16	मसअला बक्रा और साईस (इफ़ान, रवालपंडी, यक़म सितंबर 1949 ई.)	
17	<p>□मुक़द्दसों की रिफ़ाक़त□</p> <p>मुक़द्दसों की रिफ़ाक़त और मुर्दों के लिए दुआ मांगने का दस्तूर (इफ़ान, रवालपंडी, 16 अक्टूबर 1949 ई.)</p>	

□मैं ईमान रखता हूँ□

1. मसीहीयत और कलीसियाई अक्राईद नामे

(1)

मरहूम मौलवी सना-उल्लाह साहब ये ख्याल करते हैं कि मसीहीयत में कलीसियाई अक्राईद नामों को वही बुनियादी जगह हासिल है जो इस्लाम में कलमा **لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ الرَّسُولُ اللَّهُ** (मुहम्मदूरसूल्लुल्लाह) को हासिल है। पस वो अक्राईद नामों के अल्फ़ाज़ पर बहस करके ये साबित करने की बेसूद कोशिश करते हैं कि अक्ल उनको ग़लत जान कर मर्दूद करार देती है।” (इस्लाम और मसीहीयत, सफ़ा 61) लिहाज़ा मसीहीयत बातिल है।

इस मज़मून में हम मौलवी साहब के तर्ज-ए-इस्तिदलाल और मंतकी क़ज़ाया (झगड़े) मुबाहिसे को फ़लसफ़ियाना महक (कसौटी) पर नहीं परखना चाहते, बल्कि उनको ये बताना चाहते हैं कि मसीहीयत में मुख्तलिफ़ अक्राईद नामों को जो मुख्तलिफ़ अवकात (अलग अलग वक्तों) में वज़ा किए गए हैं, किसी क्रिस्म की बुनियादी जगह हासिल नहीं। मसीहीयत ना तो उनके अल्फ़ाज़ को इल्हामी करार देती है और ना उनको ख़ता से मुनज़ज़ह (पाक, मुबर्रा) मानती है और ना जम्हूर कलीसिया-ए-जामा उन पर ईमान रखती है। पस उन पर बहस करना सई लाहासिल है और उन पर इस्तिदलाल की इमारत खड़ी करना तज़ीयअ अवकात (वक़्त ज़ाए करना) है। अगर मौलाना अमृतसरी चाहते हैं कि उनकी बहस फ़ाइदामंद हो तो उनको चाहिए कि इंजील जलील के अल्फ़ाज़ की बुनियाद पर अपना इस्तिदलाल कायम करें और फिर साबित करें कि “अक्ल उनको मर्दूद कर देती है।” लेकिन आप ये वतीरा (वतीरा :b से ग़लत है) इख़्तियार नहीं करते क्योंकि आप ताक़यामत इंजील जलील के अल्फ़ाज़ से इंजीली अक्राईद को “मर्दूद□ साबित नहीं कर सकते।

فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ

لِلْكَافِرِينَ

तर्जुमा: “लेकिन अगर (ऐसा) ना कर सको और हरगिज़ नहीं कर सकोगे तो उस आग से डरो जिसका ईंधन आदमी और पत्थर होंगे। (और जो) काफ़िरों के लिए तैयार की गई है।” (सुरह बकरा आयत 24)

(2)

मौलवी साहब को ये मालूम होना चाहिए कि तारीख कलीसिया के दौरान में बीसियों अक्राईद नामे वज़ा किए गए हैं। चुनान्चे हांस¹ (Hahn) की किताब में तकरीबन अढ़ाई सौ अक्राईद नामे यकजा जमा किए गए हैं। इन अक्राईद नामों में से तीन अक्राईद नामे ज़्यादा मशहूर हैं। इनको बिल-तर्तीब आम तौर पर “रसूलों का अक्रीदा”, “निकायाह का अक्रीदा” और “अस्नासीस का अक्रीदा” कहा जाता है। ये नाम अवाम ने मशहूर कर रखे हैं, वर्ना “रसूलों का अक्रीदा” जनाब मसीह के मुबारक रसूलों ने वज़अ नहीं किया था और ना “निकायाह का अक्रीदा” निकायाह की कौंसल ने जो 325 ई. में मुनअक्रिद हुई थी, वज़अ किया था। आप अपने हाथों अपनी लाइल्मी का पर्दा चाक करते हैं। जब आप फ़रमाते हैं कि “अस्नासीस का अक्रीदा कौंसल में मंज़ूर किया गया।” (सफ़ा 57) अस्नासीस का अक्रीदा ना तो मुक़द्दस अस्नासीस ने वज़अ किया और ना वो निकायाह की कौंसल में मंज़ूर हुआ था। रसूलों का अक्रीदा जो मगरिबी कलीसिया की किताब अल-सलवात (کتاب الصلوات) में है मुनज्जी आलमीन (जनाबे मसीह) के मुक़द्दस हवारियों का बनाया हुआ नहीं है, बल्कि वो इब्तिदाई सदीयों में रूमी कलीसिया बुतपरस्त लोगों को बपतिस्मा देने से पहले मसीही उसूल-ए-दीन की ताअलीम से वाकिफ़ कराने के लिए इस्तिमाल करती थी।

निकायाह (نقايه) का अक्रीदा जो मगरिबी कलीसिया की किताब अल-सलवात (الصلوة) में पाया जाता है, निकायाह (نقايه) की कौंसल मुनअक्रिदह 325 ई. में मंज़ूर नहीं हुआ था। बल्कि कुस्तुनतुनिया की कौंसल ने 381 ई. में मंज़ूर किया था और खल्कीदोन (Chal cedon) की कौंसल ने 451 ई. में इस को अज़सर नौ मंज़ूर किया था। बाअज़

¹ Hahn's Bibliotheca der symbol

उलमा² का ख्याल है कि ये अक्रीदा इब्तिदाई सदीयों में यरूशलेम की कलीसिया में नौ मुरीदों को बपतिस्मे से पहले मसीही उसूल की ताअलीम देने के लिए इस्तिमाल किया जाता था। ये अक्रीदा गालिबन चौथी सदी में वजअ किया गया था और अभी तक ये मालूम नहीं हो सका कि इसने 381 ई. में उस अक्रीदे की जगह किस तरह ले ली जो 325 ई. में निकायह (نقايه) की कौंसल में मंजूर किया गया था।³ “अस्नासीस का अक्रीदा” जो मगरिबी कलीसिया की किताब-उल-सलवात (كتاب الصلوة) में है, मुकद्दस अस्नासीस के साथ किसी किस्म का ताल्लुक नहीं रखता। क्योंकि ये बुजुर्ग मशरिकी कलीसिया के थे और यूनानी ज़बान में लिखा करते थे, लेकिन अक्रीदा जो उन के नाम से मशहूर है, मगरिबी कलीसिया की दर-हकीकत एक नज़्म है जो किसी शायर ने लातीनी ज़बान में लिखी है और पांचवीं सदी के अवाइल की है। इस का पाया मरहूम हाली के मुसद्दस का सा है। इसी तरह की एक और नज़्म किताब अल-सलवात में सुबह की नमाज़ के उन्वान के तहत है, जिसको “अलहम्द” (الحمد) (Te Deum) कहते हैं। [मुकद्दस अस्नासीस का अक्रीदा] दरहकीकत एक गीत है, जिसको इस अकाईद नामे के शुरू की हिदायत के बमूजब मगरिबी कलीसिया खास ईदों और तहवारों के मौके पर [अलहम्द] (الحمد) की तरह इबादत के दौरान में गाया करती थी। आठवीं सदी में इस गीत को मुकद्दस अस्नासीस की तरफ़ मंसूब किया गया। लेकिन इस का असली नाम “Qui cunque” है जो इस का पहला लातीनी लफ़ज़ है। ये गीत मशरिकी कलीसिया की किताब अल-सलवात का हिस्सा नहीं है।

पस गोया अकाईद नामे मगरिबी कलीसिया की किताब अल-सलवात में पाए जाते हैं और उन कलीसियाओं में खास अवकात पर पढ़े और गाय जाते हैं, लेकिन इस से ये साबित नहीं होता कि मशरिक व मगरिबी की जम्हूर कलीसिया-ए-जामा उनके अल्फ़ाज़ को ऐसा बुनियादी तसव्वुर करती है कि वो मसीहीयत की जान और रूह-ए-रवाँ ख्याल किए जाएं। क्या किसी शायर की नज़्म के अल्फ़ाज़ (ख्वाह वो कैसा ही मुतक़ी और फ़ाज़िल क्यों ना हो) को इस काबिल ख्याल किया जा सकता है कि उन पर मुंतक़ीयाना इस्तिदलाल कायम किया जाये? खुद मौलवी सना-उल्लाह साहब आए दिन मुसलमान शोअरा (شعراء) की मज़हबी नज़्मों पर अख़बार अहले हदीस में ले दे

² e.g. Dr. Hort, Burns, Bethune, Baker etc.

³ Hort's Two Dissertations.

करते रहते हैं। क्योंकि इन शोअरा (شعراء) के अल्फ़ाज़ उनके ज़ोअम (गुमान, ज़न (गुमान) में इस्लामी हद्द से तजावुज़ कर जाते हैं। फिर नामालूम वो “अस्नासीस के अक़ीदा” की नज़्म के अल्फ़ाज़ को किस मंतिक की रु से फ़लसफ़ियाना इस्तिदलाल की बिना कायम करके अपनी किताब के सफ़े काले कर गए हैं।

جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے

जो चाहे आपका हुस्न करिश्मा साज़ करे

हक़ तो ये है कि मसीही सिवाए कलिमतुल्लाह (کلمۃ اللہ) के कलिमात-ए-तय्यबात के जो अनाजील अर्बा में पाए जाते हैं, किसी शैय को ख़ता से मुबर्रा नहीं मानते। पस वो ना तो कलीसिया को और ना कलीसियाई अक़ाईद नामों को ख़ता से बरी मान सकते हैं। तावक़्ते के ये साबित ना किया जाये कि वो अल्फ़ाज़ मुनज्जी आलमीन (मसीह) के मुक़द्दस अक़्वाल से साबित हो सकते हैं। मगरिबी कलीसिया की किताब अल-सलवात तक में ये बात ग़ैर मुबहम अल्फ़ाज़ में वाज़ेह भी कर दी गई है। (मसाइल दीन, नंबर 8) लेकिन अमृतसर के मौलवी फ़ाज़िल साहब को तहक़ीक़ हक़ से गरज़ होती तो वो इन बातों को मालूम करने की ज़हमत गवारा करते। उन को क्या मालूम कि तमाम मशरिकी कलीसिया की किताब सरफ़ अस्नासीस के अक़ीदे की क़ाइल नहीं, बल्कि वो निक़ायाह (نکایاھ) के अक़ीदे को भी इस सूत में नहीं मानती जो मगरिबी कलीसिया की किताब अल-सलवात में दर्ज है। क्योंकि उस के ख़याल में इस के बाअज़ अल्फ़ाज़ जनाब मसीह के कलिमात-ए-तय्यबात से साबित नहीं होते। मौलवी साहब को तो ये भी पता नहीं कि मसीहीयत के दायरे में बीसियों कलीसियाएं ऐसी हैं जो इन अक़ाईद नामों के नाम तक से नाआशना हैं।

(3)

मोअतरिज़ ये सवाल कर सकता है कि इन अक़ाईद नामों का वजूद कैसे हुआ? जवाबन अर्ज़ है कि कलीसिया को इन अक़ाईद नामों के वज़ाअ करने की ज़रूरत तब लाहक़ हुई जब कलीसिया में मुख़्तलिफ़ ममालिक के उलमा और मुख़्तलिफ़ अक़्वाम के फ़ुजला और फ़िलासफ़र एक बड़ी तादाद में शामिल हुए। कुदरती तौर पर उन्हीं ने अपने अपने इल्म और फ़ल्सफ़ा के ख़यालात के मुताबिक़ इंजील जलील के उसूल को समझना

चाहा और बाअज़ शख्सों ने मसीहीय्यत के समझने में गलती की और इस कजफ़हमी की बदौलत कलीसिया में बिदतें नमूदार (जाहिर) हो गईं। पस कलीसिया-ए-जामा ने मुख्तलिफ़ ज़मानों में कौंसिलों के ज़रीये इन बिदतीयों के अक्राईद को दुरुस्त किया और लोगों को सहीह अक़ीदा बताया, जो उन के ख़्याल में जनाब मसीह और इंजील जलील के अल्फ़ाज़ पर मबनी था।

जब कोई नई बिदत ज़हूर पज़ीर हुई कलीसिया-ए-जामा ने इस बिदत का उस ज़माने के इल्म और फ़लसफ़ियाना इस्लाहात के ज़रीये एक अक्राईद नामा वज़ा करके इस बिदत का सद-ए-बाब (दरवाज़ा बंद) कर दिया। मसलन जब नास्तिक बिदत पैदा हुई तो अक्राईद नामे में अल्फ़ाज़ “में ईमान रखता हूँ एक खुदा क़ादिर-ए-मुतलक़ बाप पर जो आस्मान व ज़मीन और सब मुरई (दिखाई देने वाली चीज़ें) और ग़ैर मुरई (दिखाई ना देने वाली) चीज़ों का सानेअ (पैदा करने वाला) है।” ईज़राद (ईज़ाद गलत-उल-अवाम है, सहीह इज़दियाद (الزود) बमाअनी ज़्यादा होना) किए गए। जब एरियस की बिदत रूनुमा (जाहिर) हुई तो अल्फ़ाज़ “कुल ज़मानों से पेशतर मौलूद, खुदा से खुदा, नूर से नूर, खुदा-ए-बरहक़ से खुदा-ए-बरहक़, मसनूअ (مصنوع) नहीं बल्कि मौलूद (مولود) उस का और बाप का एक ही जोहर है।”, वज़अ किए गए। अला हज़ा-उल-क़यास (इसी क़ियास पर) अक्राईद नामे मुख्तलिफ़ बिदतों के साथ जंग करने के लिए वज़ाअ किए गए थे और वो इन जंगों की तारीख़ी यादगारें हैं और बस। यही वजह है कि ये अक्राईद नामे ना तो जामाअ हैं और ना मानेअ हैं, यानी हम ये नहीं कह सकते कि इन अक्राईद नामों में वो तमाम बातें मौजूद हैं जो मसीही ईमान के लिए लाज़िमी और लाबुदी (ज़रूरी) हैं और कोई ऐसी बात उनमें से नहीं रह गई जो नजात के लिए ज़रूरी हो और जिसका उनमें ज़िक्र ना हो। इन अक्राईद नामों का वाहिद मक्सद सिर्फ़ उन चंद बिदतों का सद-ए-बाब (दरवाज़ा बंद) करना था, जिन्होंने पहली तीन सदियों में कलीसिया में सर निकाला था।

(4)

चूँकि इन अक्राईद नामों का मक्सद बिदती फ़लसफ़ियाना ख़यालात का सिद्धे-बाब करना था। लिहाज़ा उस ज़माने की कलीसिया-ए-जामा ने इंजील जलील के अल्फ़ाज़ की रोशनी में उस वक़्त के इल्म और फ़ल्सफ़ा की इस्तिलाहात के ज़रीये इन बिदतों

के फ़लसफ़ियाना और सौ फ़सताई⁴ (سوفسطائى) खयालात की बतालत को तशत अज़बाम (जाहिर,रुस्वा) किया। लेकिन हर साहिबे-अक़्ल पर ये हकीकत रोशन है कि हर ज़िंदा जबान बदलती रहती है और फ़लसफ़ियाना इस्तिलाहात का मफ़हूम सदीयों बाद वो नहीं रहता जो किसी ज़माने में इन इस्तिलाहात से मुताल्लिक था। यही हाल इन अक़ाईद नामों की फ़लसफ़ियाना इस्तिलाहात के मफ़हूम का है। इन अक़ाईद नामों की फ़लसफ़ियाना इस्तिलाहात बीसवीं सदी में वो मअनी नहीं रखतीं जो पहली तीन सदीयों में उनसे अख़ज़ किया जाता था। बल्कि बाअज़ इस्तिलाहात तो ऐसी हैं जिनके मतलब से मौजूदा ज़माने के हिन्दुस्तानी मुखालिफ़िन-ए-मसीहीय्यत बे-बहरा हैं। चह जाए कि आम्मा-तुन्नास (عامّة الناس) इनके सहीह माअनों से वाक़िफ़ हों। यही वजह है कि जम्हूर कलीसिया-ए-जामा हर ज़माने में इन ख़ास इस्तिलाहात से इस्तिदलाल नहीं करती रही। बल्कि सिर्फ़ जनाब मसीह के अल्फ़ाज़ को ही तमाम ज़मानों के लिए काबिल-ए-इस्तिनाद समझती रही, मसलन अल्फ़ाज़ “जोहर”, “ज़ात”, “उक़नूम” “शख़्सियत” वग़ैरह जब खुदा की तरफ़ मंसूब किए जाते हैं। इन इस्तिलाहात के मुतालिब जो चौथी सदी के फ़ल्सफ़ा में मुरव्वज थे। वो उनके इस मफ़हूम से बिल्कुल मुख्तलिफ़ हैं जो इन अल्फ़ाज़ से बीसवीं सदी में समझा जाता है। चुनान्चे मरहूम विलियम टम्पल आर्च बिशप आफ़ कंट्टरबरी फ़रमाते हैं :-

बीसवीं सदी के लोगों को इन इस्तिलाहात के समझने में दिक्कत पेश आती है। क्योंकि चौथी सदी के खयालात बीसवीं सदी के खयालात से कुल्लियतन मुख्तलिफ़ हैं, मसलन अंग्रेज़ी लफ़्ज⁵ (Person) का वो मफ़हूम नहीं जो इस के लातीनी असल (Persona) का है और यूनानी लफ़्ज (Hypostasis) का मफ़हूम इस अंग्रेज़ी लफ़्ज से कुल्लियतन मुख्तलिफ़ है। अगर हम इन दोनों लफ़्जों को हम-मअनी ख़याल करेंगे तो सख्त गुमराही के गढे में गिरेंगे....बजाहिर ये यूनानी लफ़्ज लातीनी लफ़्ज (Substantia) का मुतरादिफ़ है। जिसका तर्जुमा गलती से (Substance) किया जाता है।.....हक़ तो ये है कि बीसवीं सदी के लोग इस शैय को मानते ही नहीं जिसको (Hypostasis) का लफ़्ज अदा करता था। इन इस्तिलाहात की बहस को उन लोगों के लिए छोड़ देना चाहिए जो आसार-ए-कदीमा और बाकियात-ए-सलफ़ में दिलचस्पी रखते हैं।⁶

⁴ हुक्मा का एक गिरोह जिस के उसूलों की बुनियाद वहम पर है और जो हक़ाईक से मुन्कर है।

⁵ इन अंग्रेज़ी, यूनानी, और लातीनी अल्फ़ाज़ का तर्जुमा उर्दू में जोहर, ज़ात, अक़नुम, शख़्स वग़ैरह किया जाता है।

⁶ Christus Veritas pp.136.137

हक़ तो ये है कि किसी इल्म और फ़ल्सफ़े की इस्तिलाह कलिमतुल्लाह (كلمته الله) के मुबारक अल्फ़ाज़ के मफ़हूम की रिफ़अत और वुसअत को कमा-हक्का बयान नहीं कर सकती, क्योंकि वो बयान से बालातर और बरतर है। चुनान्चे आन्ताकिया की कौंसल में (268 ई.) में अल्फ़ाज़ “उस का और बाप का एक ही जोहर है।” काबिल ए मुवाख़िजा और मौरिद ए इल्ज़ाम समझे गए थे। इब्तिदाई कलीसिया के इसाकिफ़ और बुजुर्ग मसीही हकायक़ को ऐसे अल्फ़ाज़ और इस्तिलाहात में पेश करने के खिलाफ़ थे जो इंजील के अल्फ़ाज़ नहीं थे। क्योंकि इंजील जलील के अल्फ़ाज़ तमाम ज़मानों के लिए मुस्तनद हैं। लेकिन इल्मी और फ़लसफ़ियाना इस्तिलाहात सिर्फ़ एक खास ज़माने के लिए ही मुफ़ीद रहबर (राहबर) साबित हो सकती हैं और इन्सानी ज़बान अबदी हक़ीक़तों को जाहिर करने में कासिर रहती है। इस बात को अकाईद नामों के हामी खुद मानते थे। अगरचे उन्होंने ने इन अकाईद के अल्फ़ाज़ की खातिर सरबक़फ़ हो कर बे शुमार अज़ीयतों को बर्दाशत किया। मसलन मुक़द्दस हिलेरी (St. Hilary of Peitiers) जो 350 ई. में उस्क़ुफ़ के ओहदे पर मुम्ताज़ हुए फ़रमाते हैं⁷ :-

ईमानदार लोग खुदा के कलाम को काफ़ी ख़याल करते हैं। जिसमें ये हुक्म है कि जाओ और तमाम क्रौमों को बाप, बेटे और रूहुल-कुद्दुस के नाम से बपतिस्मा दो। लेकिन हमारे बिद्वती मुख़ालिफ़िन का नाजायज़ रवैय्या हमको मजबूर करता है कि हम ऐसी ऊंचाईयां चढे, जो रसाई से बाहर हैं और उन बातों को अल्फ़ाज़ की सूरत में पेश करें जो अल्फ़ाज़ में बयान नहीं की जा सकतीं और इस किस्म की ज़सारत की जुर्आत करें। हक़ तो ये है कि हम पर सिर्फ़ ये वाजिब है कि हम ईमान ही के वसीले से बाप की परस्तिश करें, बेटे की इज्जत करें और रूह से मामूर हो जाएं। लेकिन अब ये बिद्वती उलमा हम को मजबूर करते हैं कि हम इन्सानी लुगत जैसी बेबस शैय के जरीया ऐसी बातों का जिक़र करें जो इस की हद से बाहर हैं और ऐसे उमूर को जिन का ताल्लुक़ मजहबी मुराक़बा के साथ है (फ़लसफ़ियाना) अल्फ़ाज़ के ख़तरे और जोख़म में डालें।⁸

मौजूदा ज़माने के मसीही मुतकल्लिमीन ये कोशिश करते हैं कि इन कदीम इस्तिलाहात के मफ़हूम को दौर-ए-हाज़रा के ख़यालात और फ़ल्सफ़ा की इस्तिलाहात और अल्फ़ाज़ में पेश करें, ताकि हमारे ग़ैर मसीही बिरादरान इन अबदी सच्चाइयों को

⁷ Ibid. Page. 128 note.

⁸ De Trin. ii. 1, 2.

समझ सकें जो इन कदीम व जदीद इस्तिलाहात में मुजम्मिर हैं। वो इब्तिदाई मसीही सदीयों के खयालात और फ़ल्सफ़े से ना-बलद हैं। लिहाज़ा उन को चाहिए कि वो अपने एतराज़ात को अक़ाईद नामों के कदीम फ़लसफ़ियाना अल्फ़ाज़ पर कायम ना क्या करें, बल्कि उन पर वाजिब है कि उन इस्तिलाहात के सर चश्मे यानी इंजील जलील की आयात पर अपने एतराज़ात को कायम क्या करें। क्योंकि सिर्फ़ जनाब मसीह के कलिमात-ए-तय्यबात ही हर मसीही के लिए हुज्जत (दलील, बुरहान) हैं जिनके सामने हर मसीही का सर-ए-तस्लीम खम है।

**□यसूअ मसीह पर जो खुदा का इकलौता बेटा और हमारा
खुदावंद है वो रूहुल-कुद्दुस की कुदरत से पेट में पड़ा।
कुँवारी मर्यम से पैदा हुआ।□**

2. खुदावंद मसीह की पैदाइश की खुसूसीयत

(1)

मसीहीयत का इब्तिदा ही से ये अक़ीदा है कि जनाब मसीह खुदा का बेअदील मज़हर और “दुनिया का मुंजी” (दुनिया को निजात देने वाला) है। मसीहीयत ने अपनी तारीख़ के किसी ज़माने में भी आँखुदावंद को दीगर अम्बिया, औलिया, मुस्लिहीन (मुजद्दिद) या मुर्सलीन (रसूलों) की क़तार में शुमार ना किया। उस के कभी वहम व गुमान में भी ना आया कि कलिमतुल्लाह (ﷺ) को महज़ एक रसूल क़रार दे, जिसकी ज़िंदगी दीगर अम्बिया की ज़िंदगीयों से बेहतर थी और जो इन्सानाई कमज़ोरीयों में दीगर इन्सानों से कम मुब्तला था। जिसका काम दीगर अक्वाम के अम्बिया और मुस्लिहीन (रसूलों) की तरह यहूदी क़ौम और मज़हब की महज़ इस्लाह करना था। चुनान्चे मुअरिख़ लेकि (Lecky) कहता है :-

□मसीहीयत ने असबीयत (ताक़त, मज़बूती) के ज़ोर से अपने निज़ाम को जिस क़द्र मज़बूत और मुस्तहक़म बना लिया था। ये बात किसी और मज़हब को नसीब ना थी। मसीहीयत के से

इंज़िबात (नज़्म व ज़ब्त, ज़ाबता) व अस्बीयत से इस के हरीफ़ यकसर मुअर्रा थे। उस ने आते ही साफ़ साफ़ कह दिया कि उस के सिवा दुनिया के तमाम मज़ाहिब बातिल हैं। नजात सिर्फ़ उस के पैरौओं (मानने वालों) के लिए है और बदनसीब हैं वो जो उस के हलके (जमाअत) से बाहर हैं।

इंजील जलील में कहीं इस बात का इशारा तक नहीं पाया जाता कि तमाम मज़ाहिब यकसाँ हैं और कि मसीहीयत दीगर मज़ाहिब में से एक मज़हब है, जिसका बानी दीगर मज़ाहिब के बानीयों में से एक है। इसके बरअक्स इंजील का एक एक सफ़ा इस बात का गवाह है कि मसीहीयत और दीगर मज़ाहिब के दर्मियान बाद-उल-मुशरकीन का फ़र्क है।

(2)

इंजील जलील का पहला वर्क (सफ़हा) ही हमको बताता है कि जनाब मसीह की पैदाइश और दीगर मज़ाहिब-ए-आलम के बानीयों की पैदाइश में फ़र्क है। जब से इन्सान खल्क किया गया, उस वक़्त से लेकर दौर-ए-हाज़रा तक कोई शख्स ख्वाह वो कितना ही अज़ीमुशान हुआ हो, जनाब मसीह की तरह बाकिरा (कुंवारी) के बतन अतहर से “ख़ुदा तआला की कुदरत” से पैदा नहीं हुआ। (मत्ती 1:20, लूका 1:34 ता 35) और ताक़यामत पैदा ना होगा। इस किस्म की पैदाइश सिर्फ़ कलिमतुल्लाह (ﷺ) की ज़ात से ही मख़सूस है और ये ख़ुसूसीयत ऐसी है जिसको मुवालिफ़ व मुखालिफ़ दोनों तस्लीम करते हैं। चुनान्चे कुरआन मजीद निहायत शद-ओ-मद के साथ इस हकीकत का इकरार करता है। (सुरह आले इमरान आयात 40 ता 42, सुरह माइदा आयत 109, सुरह मर्यम 16 ता 32 वगैरह) कुरआन ख़वारिक-ए-आदत (ख़िलाफ़ आदत पैदाइश) की वजह से मसीह को कलिमतुल्लाह (ﷺ) और रूहुल्लाह (روح الله) (यानी अल्लाह का कलिमा और अल्लाह की रूह) कहता है और यह एक ऐसी बात है जो कुरआन के मुताबिक़ ख़ास मसीह की ज़ात से ही मुताल्लिक़ है और किसी दूसरे शख्स पर इस लफ़ज़ का इतलाक़ नहीं हो सकता। चुनान्चे शेख-उल-इस्लाम इब्ने कय्यूम जोज़ी “ख़ुदा की तरफ़ रूह की इज़ाफ़त□ पर बहस करते हुए लिखते हैं :-

□अब दो अम्र बाकी रह गए। अट्वल ये कि अगर कोई शख्स ये कहे कि अगर फ़रिश्ते ने मर्यम में नफ़ख़ किया था, जिस तरह दीगर इन्सानों में नफ़ख़ करता है तो मसीह को रूहुल्लाह (روح الله) क्यों कहा गया? जब तमाम अर्वाह (रूहें) इसी फ़रिश्ते

जात के सामने झुका हुआ है। जनाब मसीह अकेला वाहिद मशरिकी शख्स है, जिसके सामने अहले मगरिब और अहले मशरिक सब के सब सरबसजूद हैं। इब्ने-अल्लाह की जात कामिल है। आपकी सिफात जामा हैं और आप का नमूना कुल बनी नौ इन्सान के लिए कामिल और अकमल है। बकौल मौलाना रूम :-

دربشرف رُپوش كردا اُست آفرتاب فہم كُن اَللّٰہ اَلَم بِلَسَواَب
سور تَش بَرخاک وِجاں بِرِلامكان لَامكانے فَاوَك وِہم سالكان

فہم كُن اللّٰہ اَلَم بِلَسَواَب در بَشْرُ وُپوش كَرْدَہ اَسْت آفْتَاب
لَامكانے فَوْق وِہم سالكان صَوْرَتَش بَرخاک وِجاں بِرِلامكان

3. कुंवारी मर्याम से पैदा हुआ।

(1)

मुकद्दस लूका इंजील नवीस फ़रमाते हैं कि जो बातें आपने अपनी इंजील में लिखी हैं “उन सब का सिलसिला शुरू से ठीक ठीक दर्याफ़्त कर के” तर्तीबवार उन को तहरीर किया है। पस आपने जनाब मसीह की मोअजज़ाना पैदाइश का वाक़िया जो इंजील मरकुस में ना था “ठीक ठीक दर्याफ़्त करके” लिखा है। आपके दीबाचे के अल्फ़ाज़ इस बात की गारंटी हैं कि आप गवाहों की शहादत की छानबीन और जांच पड़ताल करने की अहलीयत रखते थे। आपके नज़्दीक हर शैय की तह को पहुंचना बड़ी एहमीय्यत रखता था। आप ये निहायत ज़रूरी अम्र समझते थे कि हर अम्र शुरू से दर्याफ़्त किया जाये और उस की सेहत मालूम की जाये ताकि किसी किस्म के शुब्हा व शक की गुंजाइश ना रहे।

उलमा इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि मुकद्दस लूका की इंजील के पहले दो अबवाब (Chapters) की ज़बान और तर्ज़ तहरीर से साबित है कि उनका सरचश्मा एक इब्रानी तहरीर थी। इन अबवाब की ज़बान और दीगर अबवाब की ज़बान में बैयन फ़र्क़ है। दीबाचे की चार आयात आला किस्म की यूनानी में लिखी हैं। लेकिन इन आयात के बाद की ज़बान यूनानी माख़ज़ इब्रानी का तर्जुमा है। ये बात उर्दू तर्जुमे तक में ज़ाहिर है। पहली चार आयात एक ही तवील मुक्कब जुमले पर मुश्तमिल हैं, लेकिन पांचवीं आयात से सादा इब्रानी बयान शुरू हो जाता है। जिसमें छोटे छोटे और मुख्तसर फ़िक़रे

हैं, जो हरफ अतफ (حرف عطف) "और" से पैवस्ता हैं। ये तर्ज तहरीर मुकद्दस लूका का नहीं है, बल्कि इस से मालूम होता है कि इंजील नवीस मज्कूर किसी इब्रानी माख़ज़ का यूनानी ज़बान में तर्जुमा कर रहे हैं। इस से साबित होता है कि फ़रिश्ते का मुकद्दस बीबी मर्यम बुतोला को "बशारत" देने का वाक़िया इंजील लूका की तालीफ़ से बहुत पहले इब्रानी ज़बान में बशक़ल तहरीर कलीसिया में मौजूद और मुरव्वज था। हम इस तहरीरी माख़ज़ के अहाता तहरीर में आने का ठीक वक़्त यकीनी तौर पर मुतय्यन नहीं कर सकते। हाँ हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि इन दो इब्तिदाई अबवाब के नफ़्स-ए-मजमून का मुतालआ ये ज़ाहिर कर देता है कि ये बयानात अपनी मौजूदा शक़ल में मुनज्जी जहान के मस्लूब होने के बाद नहीं लिखे जा सकते थे। क्योंकि इन अबवाब में इस्राईल के बहाल होने, और खुदा के वादों के पूरा होने का जिन अल्फ़ाज़ में ज़िक्र किया गया है, वो इस सूरत में पूरे नहीं हुए थे जिसकी यहूद को तमन्ना थी। इन तमन्नाओं और उम्मीदों पर कलिमतुल्लाह (ﷺ) की ताअलीम और रवैय्ये से पानी फिर गया और उन्हीं वजूह के बाइस सलीब का वाक़िया रूनुमा (ज़ाहिर) हुआ। अगर ये बात वाक़िया सलीब के बाद लिखी जाती तो हम को इन अबवाब में यहूदी तमन्नाओं, उमंगों और आर्जूओं की खुशी की झलक ना मिलती, जो अब इन अबवाब में झलकती नज़र आती है।

(2)

इन अबवाब के सरसरी मुतालए (पढने) से ज़ाहिर है कि मुनज्जी आलमीन (मसीह) की पैदाइश का वाक़िया मुकद्दसा मर्यम के नुक्ता निगाह से लिखा गया है। सिद्दीका के इलावा कोई दूसरा शख्स इस का बताने वाला नहीं हो सकता। पहले पहले हज़रत बीबी साहिबा ने "ये सब बातें अपने दिल में रखीं" (लूका 2:51) लेकिन मालूम होता है कि मुनज्जी जहान की सलीबी मौत के जां काह (तक्लीफ़-दह) वाक़िये ने सिद्दीका की "जान को ऐसा छेदा" (लूका 2:35) कि वो जांबर (जाँ-बर: महफूज़, सहीह सलामत) ना हो सकीं और थोड़े अर्से के बाद इस दार-ए-फ़ानी से कूच कर गईं। क्योंकि रूहुल-कुद्दुस के नुज़ूल के बाद आपके मुबारक नाम का इंजीली मजमूए में ज़िक्र नहीं आता। अपनी हीने-हयात (जीते जी) में मुकद्दसा "इन सब बातों को अपने दिल में रख कर उन पर गौर किया करती थीं।" (लूका 2:19) इन मअनी खेज़ वाक़ियात की एहमीय्यत को पेश-ए-नज़र रख कर आपने आँखुदावंद की वफ़ात से पहले उनका ज़िक्र उन औरतों से किया होगा जो आप की हमराज़ और आप के बेटे की ग़मगुसार थीं। (लूका 1:39, 8:3 आमाल 1:15 वगैरह) यूं ये राज़ अहाता तहरीर में आ गया होगा ताकि रूहुल-कुद्दुस की ज़ेर-हिदायत कलीसिया इन अहम वाक़ियात के गहरे मफ़हूम को समझ सके।

(3)

मुकद्दस मती रसूल ने भी अपनी इंजील के आगाज़ में मुनज्जी आलमीन (जनाबे मसीह) की एजाज़ी पैदाइश का वाकिया बयान किया है। दोनों इंजील नवीस इस बात पर मुतफिक हैं कि आँखुदावंद की पैदाइश एक पाक कुँवारी के बतन से हुई। इन दोनों के बयान में तफ़ावुत और फ़र्क है, लेकिन तज़ाद नहीं। ये तफ़ावुत कुदरती है, क्योंकि मुकद्दस लूका मुकद्दसा मर्यम सिद्दीका के नुक़्ता निगाह को पेश करते हैं। लेकिन मुकद्दस मती के बयान का सतही मुतालआ ये ज़ाहिर कर देता है कि वो हज़रत यूसुफ़ के नुक़्ते निगाह से लिखा गया है और इस दुनिया में सिर्फ़ यही दो शख्स हो सकते थे जिनको आँखुदावंद की एजाज़ी पैदाइश का हकीकी इल्म हो सकता था। इंजील अट्वल में हज़रत यूसुफ़ का बयान है। हज़रत की परेशानी और तज़बज़ब की हालत और तलाक़ देने वगैरह का ख़्याल, ये सब ज़ाहिर करते हैं कि ये हैरानकुन उमूर हज़रत यूसुफ़ के ज़हन में थे। कराइन (करीना की जमा, क्रियास, अंदाज़ा) से मालूम होता है कि हज़रत यूसुफ़ आँखुदावंद की जवानी के अय्याम में वफ़ात पा चुके थे। पस आपने वफ़ात से पहले किसी राज़दार दोस्त को बताया होगा जिससे ये हाल मुकद्दस मती ने हासिल किया।

(4)

जब हम मुकद्दस लूका और मुकद्दस मती के बयानात पर बनज़र तअमीक़ निगाह करते हैं तो हम देखते हैं कि मुकद्दस लूका के बयान का मुकद्दस मती के बयान पर किसी क्रिस्म का असर नहीं और ना इंजील अट्वल का बयान इंजील सोम (तीसरी) के बयान पर असर अंदाज़ है। दोनों बयानात एक दूसरे से गैर मुताल्लिक़ हैं। दोनों की हैसियत उन गवाहों की सी है जो आज़ाद हैं और जिन्होंने मिलकर कोई अफ़साना या मन घड़त बात नहीं बनाई। पस दोनों की मुतफ़िका शहादत आँखुदावंद की मोअजज़ाना पैदाइश की निहायत मज़बूत और ज़बरदस्त दलील है।

(5)

मुकद्दस मरकुस की इंजील में मुनज्जी आलमीन (जनाबे मसीह) की पैदाइश का ज़िक़्र नहीं पाया जाता, लेकिन इस से ये साबित नहीं होता कि आप आँखुदावंद की एजाज़ी पैदाइश के काइल ना थे। इंजील मरकुस के लिखने का मक्सद “सब बातों का सिलसिला शुरू से॥ मुरत्तिब करना ना था, बल्कि मुकद्दस मरकुस का मक्सद ये था कि मसीही नौ मुरीदों (नए ईमान वालों) के हाथों में एक ऐसी मुख़्तसर किताब हो जिस में हज़रत कलिमतुल्लाह (ﷺ) के चंद मोअजज़ात और बिलख़सूस मुनज्जी आलमीन (जनाबे मसीह) की ज़िंदगी के आखिरी हफ़्ते का तफ़सीली ज़िक़्र हो। यही वजह है कि

आप आँखुदावंद की सह साला खिदमत का जिक्र बीस सफ़्हाँ में करते हैं। लेकिन आखिरी हफ़्ते का जिक्र सोलाह सफ़्हाँ में ऐसी बारीक तफ़्सील से करते हैं कि वो डायरी या रोज़नामचा मालूम होता है। इसी लिए बाअज़ उलमा कहते हैं कि ये इंजील दरहकीकत सलीबी वाकिये का बयान है, जिसमें पहले बीस सफ़्हाँ का एक तवील दीबाचा है।

चूँकि इस इंजील का शुरू आँखुदावंद के बपतिस्मे से होता है, लिहाज़ा इस में आपकी पैदाइश का जिक्र नहीं पाया जाता। पस मरकुस की इंजील की खामोशी से हम ये नतीजा अख़ज नहीं कर सकते कि इंजील नवीस को मुनज्जी जहान की एजाज़ी पैदाइश का इल्म ना था या वो उस के काइल ना थे। इस के बरअक्स ये एक माअनी-खेज नुक्ता है कि जहां मुकद्दस मती लिखते हैं “क्या ये बढई का बेटा नहीं?” (मती 13:55) वहां मुकद्दस मरकुस हज़रत यूसुफ़ की तरफ़ अपनी तमाम इंजील में इशारा तक नहीं करते और इस मुक़ाम पर लिखते हैं “क्या ये वही बढई नहीं जो मर्यम का बेटा है?” (मरकुस 6:3)

(6)

मुकद्दस युहन्ना की इंजील मुकद्दस मती रसूल की इंजील के बाद लिखी गई। जब हम इंजील चहारुम (चौथी इंजील युहन्ना) का पहली तीन अनाजील से मुकाबला करते हैं तो हम देखते हैं कि मुकद्दस युहन्ना बाअज़ जगह उनकी तर्तीब की इस्लाह करते हैं। मसलन मरकुस 14:12, मती 26:17, लूका 22:7 की तर्तीब की इस्लाह अपनी इंजील के ज़रीये करते हैं (युहन्ना 13:1) अगर मुकद्दस युहन्ना इंजील अक्वल या इंजील सोम के बयान या दोनों बयानों को ग़लत ख़्याल फ़रमाते तो ज़रूर आप इस बयान की भी इस्लाह करते। लिहाज़ा आप की माअनी-खेज खामोशी इन बयानात पर मुहर तस्दीक सब्त करती है और उस से साबित होता है कि आपां ख़ुदावंद की माफ़ौक-उल-आदत पैदाइश के यकीनन काइल थे।

ع خموشی معنی ارد کہ در گفتن نمی آید۔

ع खमोशी मअनइद इर्द कि दरगुफ़्तन नमी आयेद

इस सिलसिले में एक और नुक्ता भी काबिल-ए-गौर है। इंजील चहारुम (चौथी इंजील युहन्ना) का मक्सद मसलह तजस्सुम (تجسس مسئله) को साबित करना था और आँखुदावंद की मोअजज़ाना पैदाइश इस अहम और वसीअ मौजू की एक शाख थी। जो लोग आँखुदावंद के तजस्सुम के काइल थे, वो आपकी माफ़ौक-उल-फ़ित्रत (आम फितरत से हट कर) पैदाइश के भी काइल थे और तजस्सुम के मुन्किर मोअजज़ाना पैदाइश के भी मुन्किर थे। पस जब इंजील नवीस फ़रमाता है कि “कलाम मुजस्सम हुआ और

फ़ज़ल और सच्चाई से मामूर हो कर हमारे दर्मियान रहा और हम ने उस का ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का जलाल।” (युहन्ना 1:14) तो जाहिर है कि तजस्सुम के इकरार में एजाज़ी पैदाइश का इकरार भी शामिल है। क्योंकि ये दोनों लाज़िम-ओ-मलज़ूम (لازم و ملزوم) समझे जाते थे।

मुकद्दस युहन्ना अपनी इंजील के दीबाचे में फ़रमाते हैं “वो ना खून से, ना जिस्म की ख्वाहिश से, ना इन्सान के इरादे से बल्कि खुदा से पैदा हुए।” (युहन्ना 1: 13) इस आयत की एक और किरआत (قُرْآت) है, जिसको योस्तीन शहीद (Justin Martyr) बिशप इरेनीस (Irenaeus), तर्तलियाँन (Tertullian) और हपयालीत (H ppol yt us) इस्तिमाल करते हैं और जिस में फ़ेअल (فعل) बजाय जमाअ (ج बहुवचन) होने के वाहिद (واحد) एक-वचन) है। जिसका मतलब ये हुआ कि इस आयत शरीफ़ा में इशारा मोमिनीन और मोमिनात की तरफ़ नहीं, बल्कि आँखुदावंद (मसीह) की तरफ़ है। आयत यूँ है :-

“वो कलिमतुल्लाह (كلمة الله) ना खून से, ना जिस्म की ख्वाहिश से, ना इन्सान के इरादे से बल्कि खुदा से पैदा हुआ।”

अगर ये किरआत (قُرْآت) सहीह है तो मुकद्दस युहन्ना मुनज्जी आलमीन (जनाबे मसीह) के मुकद्दसा मर्यम कुँवारी के बतन से पैदा होने का ज़िक्र निहायत वाज़ेह अल्फ़ाज़ में करते हैं।

लेकिन अगर ये किरआत (قُرْآت) सहीह ना भी माअनी जाये तो भी ये सवाल पैदा होता है कि इंजील नवीस अल्फ़ाज़ “ना इन्सान के इरादे से□ इस्तिमाल करके क्यों उन को खुदा के फ़रज़न्दों की पैदाइश का नमूना करार देता है? चूँकि वो इन अल्फ़ाज़ से मोमिनीन की रुहानी पैदाइश को (जो क़वानीन फ़ित्रत की वजह से हासिल नहीं हुई) एक नमूना करार देता है। लिहाज़ा ये जाहिर है कि उस के ज़हन में हज़रत कलिमतुल्लाह (كلمته الله) की मोअजज़ाना पैदाइश का तसव्वुर मौजूद है और इंजील नवीस का मतलब ये है कि जिस तरह मुनज्जी आलमीन (जनाबे मसीह) इस दुनिया में माफ़ौक़-उल-फ़ित्रत तौर पर पैदा हुए, इसी तरह मोमिनीन और मोमिनात जो खुदा के फ़र्ज़द हैं, एक माफ़ौक़-उल-फ़ित्रत (आम फ़ित्रत से हट कर) आलम में रुहानी तौर पर पैदा होते हैं।

पस अनाजील अरबा (चारो अनाजील) सराहतन और किनायतन (صراحتاً یا کتائياً) मुनज्जी ज़हान (जनाबे ईसा) की एजाज़ी पैदाइश का इकरार करती हैं और इस को एक तारीखी वाक़िया तस्लीम करती हैं जो फ़ी-उल-हकीकत साढ़े उन्नीस सौ साल हुए ज़मान व मकान की कुयूद के अंदर इस दुनिया में रूनुमा (जाहिर) हुआ। इंजीली बयान की

अंदरूनी शहादत साबित करती है कि ये बयान किसी इन्सान की कुव्वत-ए-मुतखय्युला (قوت متخيلة) का मरहून एहसास नहीं है, बल्कि उस की बुनियाद हकीकत की चट्टान पर कायम है। यही वजह है कि गो इस इमारत पर सदीयों से मुखालिफ़ीन की तन्कीद की आंधीयां चलीं और कुफ़्र के सेलाब की बाड़ें आईं, लेकिन ये घर ना गिरा। क्योंकि इस की बुनियाद तारीख की मुहकम चट्टान पर है।

□उस ने पनतीस पीलातुस के अहद में दुख उठाया, मस्लूब हुआ,
मर गया और दफन हुआ।□

4. क्या ख़ुदा मस्लूब किया गया था?

मिर्जा साहब कादियानी (गफुर अल्लाह जुनुबा) बार-बार अपनी किताबों में लिखते हैं कि “ईसाईयों का ख़ुदा मुर्दा है।” मौलवी सना-उल्लाह मरहूम भी आं जहानी मिर्जा जी के इस किज़ब व इफ़तरा (झूट और बोहतान) के मुसद्दिक हैं और ख़्याल फ़रमाते हैं कि “मसीहीयत के मुताबिक़ ख़ुदा (नऊज़-बिल्लाह) मस्लूब किया गया था।” (इस्लाम और मसीहीयत, सफ़ा 66 और सफ़ा 110 वगैरह) लेकिन ना तो हमारे स्वदेशी (अपने देस का) मुल्की नबी के इल्हाम और टीची टीची फ़रिश्ते ने और ना उनके अमृतसरी मौलवी फ़ाज़िल मुसद्दिक के मफ़रूज़ा इल्म व फ़जल ने उनको इस बात की इजाज़त दी कि वो इस किस्म की लगवयात को लिखने से पहले मसीही अक्राईद से कम अज़ कम सतही वाक़फ़ीयत ही हासिल कर लें। इन बेचारों को क्या मालूम कि इंजील जलील और जम्हूर कलीसिया-ए-जामा ने इस किस्म की लगवयात जो इन की किताबों की ज़ीनत हैं, सदीयों से बिदत करार दे रखा है।

अमृतसरी मौलवी साहब को “मुकद्दस अस्नासीस का अक़ीदा” बहुत मर्गूब (पसंद) है। अगरचे वो ये नहीं जानते कि इस को किस ने और कब मुरत्तिब किया था। (सफ़ा 57) अगर वो इसी अक़ीदे का बग़ौर मुतालआ कर लेते तो वो इस लग़िज़श से बच जाते। चुनान्चे इस में लिखा है “अक़ीदा जामा□अ ये है कि हम तस्लीस में ख़ुदा-ए-वाहिद की और तौहीद में तस्लीस की परस्तिश करें, ना अक़ानीम को मख़लूत करें और ना जोहर ज़ात को तक्सीम करें। क्योंकि बाप की इकनुमीयत (اتوميّة) और है, इब्न की और है और रूहुल-कुद्दुस की और है।” पस मसीही अक़ीदा तीनों अक़ानीम में तमीज़ करके बाप और बेटे में फ़र्क़ करता है और एक उक़नूम (اتّوم) को दूसरे से जुदा करता है, क्योंकि बाप का रूप और है बेटे का रूप और। लेकिन आं जहानी मर्ज़-ए-कादियानी और उन के मुसद्दिक मौलाना-ए-अमृतसर “अक़ानीम को मख़लूत” करके कहते हैं कि

खुदा मस्लूब किया गया, जो मसीही ताअलीम नहीं और जिस को मसीहीय्यत हमेशा कुफ़र करार देती चली आई है। मौलवी सना-उल्लाह अकानीम को मखलूत करते हैं, क्योंकि वो लफ़्ज़ “उक़नूम” (اَتُّوم) का मफ़हूम ही नहीं जानते। चुनान्चे कभी वो उक़नूम से मतलब “रुकन” (رُكْن) लेते हैं। (सफ़ा 62) और कभी इस मुराद “जुज्व” (جُزْ) लेते हैं। (सफ़ा 63) और यह नहीं जानते कि इंजील जलील और मसीही अक्राईद के मुताबिक़ ये मअनी ना सिर्फ़ नाजायज़ हैं, बल्कि मर्दद हैं।

मौलवी सना-उल्लाह साहब इस मकरूह हरकत का इर्तिकाब इसलिए करते हैं कि वो बज़इम खवेश अपनी पेश कर्दा कुरआनी आयात की ताईद करें। (सफ़ा 63), जिनमें लिखा है :-

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللّٰهُمُّوَّ الْمَسِيْحُ ابْنُ مَرْيَمَ

“बेशक वो लोग हक़ से मुन्किर हो चुके जिन्होंने ने ये कहा कि अल्लाह ऐन मसीह इब्ने मरियम है। (सुरह माइदा आयत 72)

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللّٰهُ ثَالِثُ ثَلَاثٍ

“बिलाशुब्हा वो लोग भी काफ़िर हैं जो कहते हैं कि अल्लाह तीन में से एक है।” (सुरह माइदा आयत 73) लेकिन जनाब मौलवी साहब को ये सुझाई नहीं देता कि ये आयात सहीह मसीही अक्राईद, उलूहियत-ए-मसीह और तस्लीस के खिलाफ़ नहीं, बल्कि उन बिदती काफ़िरों के खिलाफ़ हैं जिन पर जम्हूर कलीसिया ने नुज़ूल कुरआन से सदीयों पहले कुफ़र का फ़त्वा लगाया हुआ था। क्योंकि वो हज़रत मौलाना की तरह “अकानीम को मखलूत” करते और “जोहर ज़ात को तक्सीम” करते थे। यही वजह है कि कुरआन इन बिदती ईसाईयों को (और मौलवी सना-उल्लाह साहब को भी) पिछली और अगली आयात में तंबीयह करके कहता है। “अहले-किताब तुम कुछ राह पर नहीं हो, जब तक कि तुम तौरैत और इंजील पर कायम ना हो जाओ.....सिवाए एक माअ्बूद के और कोई माअ्बूद नहीं है। तुम अपने दीन में नारवा ज़्यादती ना करो और उन लोगों के खयालात को ना मानो जो गुमराह हो गए और बहुतों को बहका गए और आप सीधी राह से भटक गए।” (सुरह माइदा 14) एन सुतूर से हमारा ये मतलब नहीं है कि कुरआन तौहीद-फील-तस्लीस की ताअलीम देता है, बल्कि वो इन आयात में लोगों को चंद बिदतों के खिलाफ़ आगाह करता है। गो वह खुद एक और क़िस्म की ग़लती में पड़ गया है। क्योंकि उलूहियत-ए-मसीह और तस्लीस के बारे में कुरआनी ताअलीम बईना आरयूस (Arius) की ताअलीम देता है, जिसको कलीसिया-ए-जामाअ ने बिदत करार दे दिया था।

जमहूर कलीसिया-ए-जामाअ का सहीह अक्रीदा ये है “मैं खुदा कादिर-ए-मुतलक बाप पर ईमान रखता हूँ...और यूसूअ मसीह पर जो उस का इब्ने वहीद और हमारा खुदावंद है। वो मुजस्सम हुआ और इन्सान बना, मस्लूब हुआ, मर गया, तीसरे दिन जी उठा।” (रसूलों का अक्रीदा और निक़ायाह (نقايه) का अक्रीदा) इन अक़ाईद नामों में बाप और बेटे में तफ़रीक व तमीज़ की गई है। “खुदा कादिर-ए-मुतलक बाप मस्लूब नहीं हुआ, बल्कि “यूसूअ मसीह जो उस का इब्न वहीद है मस्लूब हुआ।” बाप बेटा नहीं और बेटा बाप नहीं है। दोनों अक़ानीम में इम्तियाज़ किया गया है। “अक़ानीम मखलूत नहीं किए गए और ना जोहर जात को तक्सीम किया गया है। बाप का रूप जुदा है, बेटे का रूप अलग है। पस सहीह मसीही ईमान के मुताबिक़ खुदा बाप मस्लूब नहीं हुआ, बल्कि इब्न वहीद यूसूअ मसीह जो इन्सान बना, वो मस्लूब हुआ। जैसा कि हम जिक्क कर चुके हैं तारीख़ कलीसया में ऐसे नादान लोग पैदा हुए जो अक़ानीम को मखलूत करके ये ताअलीम देते थे कि खुदा कादिर मुतलक बाप हमारे गुनाहों की खातिर मस्लूब हुआ। ऐसे लोगों की ताअलीम को जमहूर कलीसिया-ए-जामाअ ने कुफ़्र करार दिया। इस कुफ़्र आमैज ताअलीम को लातीनी में “पाटरीपेशन”⁹ और यूनानी में “थियुपिसकीशेईन” कहते हैं। इस ताअलीम का बानी परेक्सीअस था।

इंजील जलील की हर किताब में खुदा बाप और बेटे में हर जगह तमीज़ व तफ़रीक की गई है। चुनान्चे मुक़द्दस पौलुस रसूल फ़रमाता है “अगरचे आस्मान व ज़मीन में बहुत से खुदा कहलाते हैं, लेकिन हमारे नज़दीक तो एक ही खुदा है यानी बाप और एक ही खुदावंद है यानी यूसूअ मसीह” (1 कुरंथियो 8:5-6) यही वजह है कि इंजील जलील में “खुदा बाप के लिए लफ़ज़ “हो थीयुस”¹⁰ (बमाअनी खुदा) आया है, लेकिन “इब्ने-अल्लाह के लिए लफ़ज़ “क्यूरीउस” (बमाअनी आका या खुदावंद) आया है। जनाब मसीह के लिए सिफ़त के तौर पर एक जगह “थीयुस” (बमाअनी ईलाही) आया है। (युहन्ना 1:1) लेकिन वहां भी “हो थीयुस” नहीं आया, क्योंकि ये लफ़ज़ सिर्फ़ खुदा बाप के लिए मख़सूस है। चुनान्चे बिशप वेस्टिकट साहब अपनी तफ़सीर में फ़रमाते हैं कि :-

“अगर हम कहें कि कलाम “हो थीयुस” था तो हम सबलेन (Sabelian) बिदत के मुर्तकिब होते हैं। कुरआन भी इसी बिदत की तरफ़ इशारा करता है। जब वो ये कहता है “बेशक वो लोग हक़ से मुन्किर हो चुके हैं, जो यह कहते हैं कि अल्लाह ऐन मसीह इब्ने मर्यम है। (सुरह माइदा आयत 72)

⁹ Patripassian Theopaschilian Prexeas

¹⁰ Ο'ΘεοςΚυριοςΘεος

उम्मीद है कि हमारे गैर मसीही बिरादरान अब समझ गए होंगे कि हम कट्टर मवाहिद हैं। हम अब्ब (اب) और "इब्न (بن) में तमीज़ करके ये नहीं कहते कि खुदा मस्लूब किया गया है। ना हम किसी मस्लूब खुदा पर ईमान रखते हैं और ना हमारा खुदा मुर्दा है। बल्कि हम ईमान रखते हैं "एक कादिर-ए-मुतलक बाप पर और एक खुदावंद यसूअ मसीह पर जो खुदा का इकलौता बेटा है। वो हम आदमीयों के लिए और हमारी नजात के वास्ते आस्मान पर से उतर आया और पन्तीस पीलातुस के अहद में हमारे लिए मस्लूब हुआ। वो मारा गया और दफन हुआ और तीसरे रोज़ पाक नविशतों के बमूजब जी उठा।"

5. खुदा का बरह

□देखो ये खुदा का बरह है जो दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है।"

(युहन्ना 1:29)

बाअज़ मुखालिफ़ीन इंजील ये एतराज़ करते हैं कि मुंदरजा बाला अल्फ़ाज़ मुक़द्दस युहन्ना इस्तिबागी की ज़बान से नहीं निकल सकते, क्योंकि आपकी मुनादी के अल्फ़ाज़ जो इंजील अट्वल के तीसरे बाब में तफ़सील के साथ मुंदरज हैं मुंदरजा बाला फ़िक़े के अल्फ़ाज़ के साथ मुंतबिक नहीं हो सकते। मज़ीद बरआँ इस फ़िक़ह के अल्फ़ाज़ जनाब मसीह के कफ़ारे की तरफ़ इशारा करते हैं, लेकिन बारह रसूलों की समझ में कफ़ारे की ताअलीम इब्ने-अल्लाह की ज़फ़रयाब क्रियामत (जी उठने) के बाद आई थी। (लूका 24:21,26) लेकिन ये एतराज़ दरहकीकत बे-बुनियाद है। जब हम अनाजील सलासा (मत्ती, मरकुस, लूका) में मुक़द्दस युहन्ना इस्तिबागी की मुनादी के अल्फ़ाज़ को ग़ौर और तदब्बुर के साथ पढ़ते हैं तो हम पर वाज़ेह हो जाता है कि इंजील चहारूम (युहन्ना की इंजील) की मुनादी के अल्फ़ाज़ और बिलखसूस ये आयत शरीफ़ इस मुनादी के बसीरत अफ़रोज़ मज़मून के ऐन मुताबिक़ है।

(1)

सब मुखालिफ़ व मवालिफ़ इस अम्र को तस्लीम करते हैं कि इस आयत शरीफ़ के अल्फ़ाज़ का हवाला यसअयाह नबी के सहीफ़े के 53 बाब की तरफ़ है, जिसमें खुदा के खादिम के मिशन की हकीकत, उस की आमद की इल्लत-ए-गाई (वजह) और मक्सद का ज़िक़्र है। यसअयाह नबी की किताब के दूसरे हिस्से (अज़बाब 40 ता 55) में इस मक्सद के मौजू पर तफ़सीली बहस की गई है और इस मौजू का 61 बाब में भी ज़िक़्र है, जिसकी इब्तिदाई आयत का इतलाक़ हज़रत कलिमतुल्लाह (ﷺ) ने अपने ऊपर किया था। (लूका 4:16 ता-आखिर) क्योंकि इन आयत में खुदा के खादिम का हकीकी

मतमअ (مطمع) नज़र वाज़ेह किया गया है। चारों अनाजील इस बात की शाहिद (गवाह) हैं कि मुकद्दस युहन्ना इस्तिबागी ने सहीफे यसअयाह के दूसरे हिस्से की आयात का इतलाक़ अपने ऊपर किया था। (यसअयाह 40:3, मती 3:3, मरकुस 1:2, लूका 3:4, युहन्ना 1:23) उस के ख्याल में उस की आमद का हकीकी मक़सद यसअयाह 40:3 में मुजम्मिर था। पस जाहिर है कि उस ने यसअयाह के सहीफे के दूसरे हिस्से का बनज़र गाइर मुतालआ किया था और उस के मौजू से कमा-हक्का वाकिफ़ था, जो “खुदा के खादिम” के तसव्वुर से मुताल्लिक़ है।

चारों इंजीलों का इस अम्र पर भी इतिफ़ाक़ है कि मुकद्दस युहन्ना इस्तिबागी अपने आपको एक ऐसे “आने वाले” का पेशरु समझता था, जो “मुझसे जोर-आवर है। मैं उस की जूतीयां उठाने के लायक़ नहीं। वो रूहुल-कुद्दुस और आग से बपतिस्मा देगा।” उस की मुनादी के अल्फ़ाज़ से ये भी जाहिर है कि उस के ख्याल में “वो शख्स जो मेरे बाद आता है और जो मुझ से मुकद्दम ठहरा।”, दरहकीक़त वही “खुदा का खादिम” है जिस का जिक़र सहीफे यसअयाह में आता है। इस एक बात पर हज़रत इब्ने-अल्लाह और मुकद्दस युहन्ना इस्तिबागी दोनों मुतफ़िक़ हैं। चुनान्चे आँ खुदावंद मुकद्दस युहन्ना की निस्बत फ़रमाते हैं कि “ये वही है जिसकी बाबत लिखा है कि देख मैं अपना पैगम्बर तेरे आगे भेजता हूँ। जो तेरी राह तेरे आगे तैयार करेगा।” (मती 11:10) हज़रत इब्ने-अल्लाह (जनाबे मसीह) और मुकद्दस युहन्ना इस्तिबागी दोनों इस अम्र से कमा-हक्का वाकिफ़ थे कि आँ खुदावंद ही दरहकीक़त “वो खुदा का खादिम” हैं, जिसका जिक़र सहीफे यसअयाह में है। यही वजह है कि जब मुकद्दस युहन्ना ने “पुछवा भेजा कि आने वाला तूही है या हम दूसरे की राह देखें” तो आपने जवाब दिया “जो कुछ तुम सुनते और देखते हो जाकर युहन्ना से बयान कर दो कि अंधे देखते और लंगड़े चलते फिरते हैं। कौड़ी पाक साफ़ किए जाते हैं। और बहरे सुनते हैं और मुर्दे ज़िंदा किए जाते हैं। और गरीबों को खुशखबरी सुनाई जाती है और मुबारक वो है जो मेरे सबब से ठोकर ना खाए” (मती 11:2 ता 6) और इस को साबित करने के लिए आपने इसी घड़ी बहुतों को बीमारीयों और आफ़तों और बुरी रूहों से नजात बख़शी और बहुत से अँधों को बीनाई अता की।” (लूका 7:21) ताकि आप मुकद्दस युहन्ना को (जो बीम विर्जा (खौफ़ और उम्मीद) और तज़बज़ब की हालत में कैदखाना में पड़ा था) “खुदा के खादिम” का असली मिशन व मक़सद (इरादा) दुबारा याद दिलाएं जो सहीफे मज़कूर में मौजूद है कि “तू अँधों की आँखें खोले” (42:7) “उस ने मुझे गरीबों को खुशखबरी देने के लिए भेजा कि अँधों को बीनाई पाने की खुशखबरी सुनाऊँ। कुचले हुआँ को आज़ाद करूँ।” (यसअयाह 61:1, लूका 4:18) “तब लंगड़े हिरन की मानिंद चौकड़ीयां भरेंगे और गूँगे की ज़बान गाएगी।” (यसअयाह 35:6) और बीमारों को शिफ़ा बख़श कर आपने मुकद्दस युहन्ना को कहलवा भेजा “मुबारक वो है जो मेरे सबब से ठोकर ना खाए।” इस इशारा से

दरहक्रीकत आपका मंशा ये था कि मुकद्दस इस्तिबागी हज़रत यसअयाह 52:14 और 53:3 पर दुबारा गौर करें। पस ज़ाहिर है कि गो जनाब मसीह के शागिर्द मौला के मिशन को कमा-हक्का आपकी ज़फ़रयाब क्रियामत के बाद ही समझे थे। लेकिन इस से ये साबित नहीं होता कि ये राज़ मुकद्दस युहन्ना इस्तिबागी से भी पोशीदा था। रसूल आपकी तरह मसीह मौऊद के पेशरू नहीं थे और ना उन्होंने ने अभी तक सहीफ़-ए-अम्बिया के मुतालिबा को इस तरह समझा था जिस तरह कलिमतुल्लाह (كلمته الله) और युहन्ना इस्तिबागी ने इन को समझा था। (लूका 24:25 ता 26) मुकद्दस युहन्ना इस्तिबागी अपनी ज़िंदगी का मक्सद ही ये समझता था कि सहीफ़े यसअयाह में जिस “खुदा के खादिम” का ज़िक्र है, इस के पेशरू होने का फ़ख्र उस को हासिल है। पस वो ना सिर्फ़ अपनी ज़िंदगी बल्कि [खुदा के खादिम] की ज़िंदगी की इल्लत-ए-गाई (वजूहात) पर भी सोच बिचार कर चुका था। वो बखूबी जानता था कि यसअयाह के सहीफ़े के 53 वें बाब के मज़्मून का इतलाक़ आँ खुदावंद पर होता है और ये मज़्मून आपकी ज़िंदगी और मौत के कफ़ारा से ताल्लुक़ रखता है। इन्दरियन हालात ये जा-ए-हैरत नहीं हो सकती कि उस ने आँ खुदावंद को देख कर अपने शागिर्दों से कहा **“देखो ये खुदा का बरह है जो दुनिया के गुनाह उठा ले जाता है।”** हक़ तो ये है कि अगर वो इस किस्म के अल्फ़ाज़ को मुँह से ना निकालता तो हम को हैरत होती और उस की खामोशी निहायत माअनी-खेज़ होती।

(2)

ये अम्र काबिल-ए-गौर है कि मुकद्दस युहन्ना इस्तिबागी आँ खुदावंद को “मसीह मौऊद” के नाम से नहीं पुकारता बल्कि आपका ज़िक्र यूं करता है “जो मेरे बाद आता है।” (मत्ती 3:11) “मेरे बाद का आने वाला” (युहन्ना 1:27) या सिर्फ़ “आने वाला” (मत्ती 11:3, लूका 7:20) इस की क्या वजह है? इस का सबब ये है कि यहूदी अवामुन्नास यसअयाह के सहीफ़े के अबवाब (अज़ 40 ता 55) को मसीह मौऊद की जात और मिशन से मुताल्लिक़ (ख़याल) नहीं करते थे। क्योंकि वो एक ऐसे पोलिटिकल मसीह की आमद के मुंतज़िर थे जो आकर सियासियात का तख़्ता उलट देगा। पस मुकद्दस युहन्ना ने ऐसी इस्तिलाह का नाम तक ना लिया जिससे अवामुन्नास (लोगों) के दिलों में “मसीह मौऊद” के मिशन के मुताल्लिक़ ज़बरदस्त और खतरनाक गलतफ़हमी का खदशा था और यही वजह थी कि खुद आँ खुदावंद ने भी अपनी ज़िंदगी के आखिरी अय्याम में ही इस इस्तिलाह को अपने शागिर्दों पर ज़ाहिर किया था, क्योंकि अवामुन्नास (आम लोगों) की तरह आपके रसूल भी एक पोलिटिकल मसीह की आमद के मुंतज़िर थे। (मरकुस 10:37, आमाल 1:6, मत्ती 12:11, लूका 19:11 वगैरह) इसी सबब से जब इब्ने-अल्लाह ने “खुदा के खादिम” के तसव्वुर को “मसीह मौऊद” के

तसव्वुर से मुताल्लिक करके अपने शागिर्दों पर ये राज मुनकशिफ़ फ़रमाया। (मती 16:13 ता 26) तो मुकद्दस पतरस आप को मलामत करने लगे। हक तो ये है कि इस ज़माने में कोई आदमी भी “खुदा के खादिम” के तसव्वुर को और “मसीह मौऊद” के तसव्वुर को बाहम इकट्ठा करके एक दूसरे से मुताल्लिक नहीं करता था। चुनान्चे मुकद्दस लूका हमको बताता है कि मुकद्दस शमाउन “रास्तबाज़, खुदातरस और इस्राईल की तसल्ली का मुंतज़िर था। (लूका 2:25) यानी मुकद्दस शमाउन सहीफ़े यसअयाह के “खुदा के खादिम” का मुंतज़िर था। क्योंकि उस के दूसरे और तीसरे हिस्से में तसल्ली देने पर बार-बार जोर दिया गया है। तसल्ली दो तुम मेरे लोगों को तसल्ली दो, अलीख” (40:1, 49:13, 51:3, 57:18, 61:2, 66:11 ता 13) जब मुकद्दस शमाउन ने आँ खुदावंद को गोद में ले कर कहा “मेरी आँखों ने तेरी नजात देख ली है। जो तू ने सब उम्मतों के रूबरू तैयार की है। ताकि ग़ैर क़ौमों को रोशनी देने वाला नूर और तेरी उम्मत इस्राईल का जलाल बने। (लूका 2:30 ता 32) तो उस की नज़रों में इस सहीफ़े के वो लफ़ज़ थे जिनमें लिखा है “मैं तुझ को ग़ैर क़ौमों के लिए नूर बनाऊँगा कि तुझसे मेरी नजात ज़मीन के किनारों तक पहुंचे।” (यसअयाह 49:6) मैं सियोन को नजात और इस्राईल को जलाल बख़शुंगा” (यसअयाह 46:13) जब शमाउन, मुकद्दसा मर्यम को मुखातब कर के कहता है कि “ये इस्राईल में बहुतों के गिरने और उठने के लिए और ऐसा निशान होने के लिए मुकरर हुआ है जिसकी मुखालिफ़त की जाएगी। बल्कि खुद तेरी जान भी तलवार से छिद जाएगी। ताकि बहुत लोगों के दिलों के ख्याल खुल जाएं। (लूका 2:34 ता 35 तो उसी का इशारा सहीफ़े यसअयाह के उन मुक़ामात की तरफ़ है जिनमें लिखा है कि “खुदा का खादिम को मुखालिफ़त, ईज़ा और मौत बर्दाश्त करनी होगी। (50:4 ता 7, 52:13 53:12 वग़ैरह।) लेकिन वो इन मुक़ामात को “मसीह मौऊद के तसव्वुर से मुताल्लिक नहीं करता। इन मिसालों से जाहिर है कि हज़रत कलिमतुल्लाह (كلمته الله) की बअसत के वक़्त मुतअद्दिद लोग मुकद्दस नविशतों पर ग़ौर व फ़िक्र करके “इस्राईल की तसल्ली” के मुंतज़िर थे। उम्मीद है कि नाज़रीन किराम पर अब साबित हो गया होगा कि आयह ज़ेर-ए-बहस माबाअद के ज़माने की बनाई हुई बात नहीं है, बल्कि एक हकीक़ी वाक़िया है जिस पर तारीख की मुहर सब्त है।

(3)

मुकद्दस युहन्ना इस्तिबागी जनाब मसीह के लिए दो और अल्काब इस्तिमाल करता है यानी “खुदा का बर्रह” (युहन्ना 1:30,36) और “खुदा का बेटा” (युहन्ना 1:34) आपका इन अल्फ़ाज़ से क्या मतलब था? अल्फ़ाज़ “खुदा का बर्रह” यसअयाह नबी के 53 वें बाब में नहीं पाए जाते। वहां “खुदा के खादिम” को “बर्रह” के साथ सिर्फ़ तशबीह दी जाती है। “जिस तरह बर्रह जिसे ज़ब्ह करने के लिए ले जाते हैं। बेज़बान है।” गो हर इंजील खवाँ जानता है कि इन अल्फ़ाज़ का इतलाक़ इब्तिदा ही से खुदावंद येसूअ

मसीह की ज्ञात-ए-पाक पर किया गया। (आमाल 8:26 ता 36) यरमियाह नबी ने भी अपने आपको बर्रह के साथ तश्बीह दी थी। [मैं इस पालतू बर्रह की मानिंद था जिसे जब्ह करने को ले जाते हैं।] (11:19) लेकिन यहां भी अल्फ़ाज़ “खुदा का बर्रह” नहीं पाए जाते। अल्फ़ाज़ “खुदा का बर्रह” से मुराद वो “बर्रह” है जिसे खुदा खुद मुहय्या करता है और इस का इशारा पैदाइश 22:8,13 की तरफ़ है, जहां खुदा ने इज़्हाक की कुर्बानी के वक्त अब्रहाम के लिए मेंढा मुहय्या किया था। “बर्रह” के लफ़्ज़ ने कुदरतन मुकद्दस युहन्ना इस्तिबागी के दिल में अहले यहूद की कुर्बानी का ख्याल डाला क्योंकि ईद फ़सह नज्दीक थी। (युहन्ना 2:12 ता 13) और पास ही सड़क पर बर्रह के गिरोह जब्ह होने के लिए यरूशलेम की जानिब जा रहे थे। पस ईद-ए-फ़िस्ह की कुर्बानी के बर्रह का ख्याल युहन्ना इस्तिबागी के ज़हन में आया। यही वजह है कि माबाअद के जमाने में जनाब मसीह को कुर्बानी का बर्रह कहा गया है। (युहन्ना 19:36, 1 पतरस 1:19 इब्रानियों 9:14 वगैरह) जब हम इस अम्र को याद करते हैं कि युहन्ना इस्तिबागी काहिनों के फ़िर्के में से था तो इस ख्याल को और भी तक्वियत मिलती है।

मुकद्दस युहन्ना इस्तिबागी के पास मुख्तलिफ़ तबकों के लोग जोक-दर-जोक आते थे और अपने गुनाहों का इकरार करके बपतिस्मा पाते थे। (मत्ती 3:6) और वो आँ खुदावंद की पाक और मुकद्दस ज़िंदगी से भी कमा-हक्का वाकिफ़ था। (मत्ती 3:14) और वो महसूस करता था कि क्रौम यहूद को कफ़ारे की किस कद्र जरूरत है। उसने यसअयाह 53 वें बाब पर पैदाइश 22:8 की रोशनी में गौर व तदब्बुर करके ये नतीजा निकाला था कि “खुदा का खादिम” सताया गया तो भी उसने बर्दाश्त की और मुँह ना खोला। जिस तरह बर्रह जिसको जब्ह करने को ले जाते हैं, बेज़बान है। इसी तरह ये बर्रह जिसको खुदा ने खुद मुहय्या किया वह खामोश होगा। वो अपनी जान का दुख उठाकर उन की बद-किर्दारी को खुद उठाएगा। खुदावंद को पसंद आया कि इस बर्रह को मुहय्या करे ताकि वो कुचला जाये। उस की जान गुनाह की कुर्बानी के लिए गुजरानी जाये। उस ने अपनी जान मौत के लिए उंडेल दी। उस ने बहुतों के गुनाह उठा लिए। इन्दरियन हालात ये कोई ताज्जुब की बात नहीं कि उस ने “इब्ने-अल्लाह” (ابن الله) को आते देखकर अपने शागिर्दों से कहा कि [देखो ये खुदा का बर्रह है। जो दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है।]

(4)

मुकद्दस युहन्ना इस्तिबागी आँ खुदावंद के लिए एक और लक़ब इस्तिमाल करता है “खुदा का बेटा” (युहन्ना 1:34) इस मुक़ाम पर ये बात याद रखने के काबिल है कि इब्रानी ज़बान में लफ़्ज़ “बर्रह” के लिए लफ़्ज़ “ताली” (טל) आया है और अरामी ज़बान में लफ़्ज़ “तली” (ܬܠܝ) के मअनी हैं “बेटा, लड़का, जवान, खादिम।” चुनान्चे यही लफ़्ज़

बसूरत-ए-तानीस मुकद्दस मरकुस की इंजील में जनाब मसीह के अरामी अल्फ़ाज़ में आया है “तल्यता क़ौमी” (طليتا قومي) जिसका तर्जुमा ये है कि “ऐ लडकी में तुझ से कहता हूँ उठ !” (5:41) इंजील अट्वल (मत्ती) में यही लफ़्ज़ आखिरी मअनी यानी “खादिम” के माअनों में इस्तिमाल हुआ है। (8:6,13) पस जब मुकद्दस युहन्ना इस्तिबागी ये लक़ब “ख़ुदा का बेटा” इस्तिमाल करता है तो इस का मतलब “ख़ुदा का खादिम” है, जो यसअयाह 53:11 ता 12 के मुताबिक़ बहुतों के गुनाह उठा ले जाता है। चूँकि लफ़्ज़ “ताली” (طال) और “तुली” (طلي) दोनों हम-आवाज़ और मुशाबेह हैं, मुकद्दस युहन्ना इन अल्फ़ाज़ की मुशाबहत और हम-आहंगी से फ़ायदा उठा कर कहता है कि “ख़ुदा का बेटा” उस बर्रह की मानिंद है जो ख़ुदा के खादिम की तरह बेदाग़ है और यही बात इब्तिदाई कलीसिया में मुकद्दस पतरस और दीगर रसूलों की ज़बान पर थी। (आमाल 3:13, 4:27 ता 30 वग़ैरह।)

(5)

मुकद्दस युहन्ना इस्तिबागी फ़रमाता है “मैं तो उसे पहचानता ना था। मगर जिसने मुझे पानी से बपतिस्मा देने को भेजा। उस ने मुझ से कहा कि जिस पर तू रूह को उतरते और ठहरते देखे वही रूहुल-कुद्दुस से बपतिस्मा देने वाला है। चुनान्चे मैंने देखा और गवाही दी है कि ये “ख़ुदा का बेटा है।” (युहन्ना 1:33 ता 34) सहीफ़े यसअयाह के नाज़िर से पोशीदा नहीं है कि इस निशानी का ज़िक़र इस किताब के 42:1 और 61:1 में है। चूँकि मुकद्दस युहन्ना इस्तिबागी और इब्ने-अल्लाह (ابن الله) दोनों करीबी रिश्तेदार और हम उम्र थे। (लूका 1:26 ता 36) और दोनों ने हज़रत यसअयाह के सहीफ़े पर तदब्बुर और ग़ौर व फ़िक़र करके अपने-अपने मिशन और ज़िंदगी के मक़सद की निस्बत फ़ैसला कर लिया था। ये ज़ाहिर है कि दोनों ने अक्सर अवक़ात इस मौज़ू पर बाहम गुफ़्तगु और तबादला ख़यालात किया था। जिसका नतीजा ये हुआ कि जूँही मुकद्दस युहन्ना ने इस ख़ास इम्तियाज़ी निशान को देखा उस ने फ़ौरन पहचान लिया कि इस का करीबी रिश्तेदार रास्तबाज़ ख़ुदावंद यसूअ ही ख़ुदा का वो खादिम है, जिसका ज़िक़र यसअयाह नबी के सहीफ़े में आया है। पस मुकद्दस युहन्ना इस्तिबागी ये जानता था कि ख़ुदा ने उसे “ख़ुदा के खादिम” का पेशरू मुकर्रर किया है ताकि उस के आगे उस की राह तैयार करे, ताकि “ख़ुदा का खादिम” ख़ुदावंद यसूअ मसीह ख़ुदा का बर्रह बन कर दुनिया का गुनाह नेस्त व नाबूद करके रूहुल-कुद्दुस का बपतिस्मा दे।

पन्तीस पीलातुस की हुकूमत में दुख उठाया, मस्लूब हुआ

6. पन्तीस पीलातुस

(1)

तारीख हमको पन्तीस पीलातुस की गवर्नरी के वाकियात के इलावा कुछ नहीं बताती। इस शख्स के नाम के गर्द मुतअद्दिद रिवायत जमा हो गई हैं, लेकिन वो सबकी सब उस की मौत के सदीयों बाद की हैं। लिहाजा वो काबिल-ए-एतबार नहीं। पीलातुस और उस की बीवी क्लॉडिया के मुताल्लिक जो कुछ हमें मालूम है, वो दो या तीन कदीम मुसन्निफों के तुफैल हैं जो उन के करीबन हम-असर थे। इन में से एक सिकंदरिया का फिलासफर फ़ायलो जनाब मसीह से दस बीस साल पहले पैदा हुआ था। पस वो पीलातुस का हम-उम्र था। यहूदी मुअर्रिख यूसीफ़स भी अपनी किताबों में पीलातुस का जिक्र करता है। चारों इंजील नवीस भी हमको उस की ज़िंदगी के चंद घंटों की झलक दिखाते हैं।

(2)

कैसर तबरेस (Tiberius)¹¹ ने 26 ई. में पीलातुस को यहूदियह का गवर्नर मुकर्रर किया। केसरिया उस का दार-उल-सलतनत था। उस ज़माने में रुम से केसरिया तक सफ़र करने में दो माह का अरसा दरकार था। क्रियास यही चाहता है कि केसरिया आने से पहले रास्ते में पीलातुस ने सिकंदरिया में चंद यौम गुज़ार कर अपने पेशरू साबिक गवर्नर वलीरएस ग्रेटस (Valerius Gratus)¹² से मुलाकात करके यहूदियह के हालात की निस्बत पूछ-गुछ की होगी। केसरिया उस ज़माने में बड़ा ज़बरदस्त शहर था और बाअज़ बातों में यरूशलेम से भी ज़्यादा अहम शुमार होता था। हेरोदेस आज़म ने इस शहर की बुनियाद डाल कर उस का नाम “केसरिया” रखा था। इस शहर में कैसर का मंदिर था। जिसमें उस का एक बड़ा कद्दावर बुत नसब था। ये शहर अज़ीमुशान इमारतों से मुज़य्यन था और गवर्नर का महल भी यहीं वाक़ेअ था।

(3)

पीलातुस ने 26 ई. में केसरिया में अपना क़दम रखते ही रियाया से बिगाड़ ली। चुनान्चे मुअर्रिख यूसीफ़स लिखता है :-

¹¹ [Tiberius](#)

¹² [Valerius Gratus](#)

पीलातुस ने रात के वक़्त यरूशलेम में पर्चम भेजे जिन पर कैसर की मूर्त थी। जब सुबह हुई और यहूद की नज़र उन पर पड़ी तो हर जगह ग़म-ओ-गुस्सा की लहर दौड़ गई। क्योंकि इस इक़दाम से उनकी शरीअत पांव तले रौंदी गई थी।... यहूद जोश में आकर कैसरियह आए और पीलातुस की मिन्नत करने लगे कि वो इन झंडों को यरूशलेम से बाहर ले जाये। जब उस ने साफ़ इन्कार कर दिया तो वो ज़मीन पर लेट गए और पाँच दिन रात वहीं पड़े रहे।....पीलातुस ने फ़ौज को उनका घेरा डालने का हुक्म दिया और यहूद को कहा कि अगर वो अपनी हठ से बाज़ ना आए तो वो तह-ए-तेग़ कर दिए जाएंगे। इस पर उन्होंने अपनी गर्दन नंगी कर दी और चिल्ला कर कहने लगे कि हमें मौत मंज़ूर है, लेकिन शराअ (शरीअत) की बेहुरमती मंज़ूर नहीं। इस पर पीलातुस दंग रह गया और उस ने हुक्म दिया कि पर्चम यरूशलेम से बाहर निकाल ले जाएं।¹³

ये वाक़िया मौसम-ए-खज़ाँ 26 ई. में हुआ। जब पीलातुस ने मौसम-ए-गर्मा में पहली बार यरूशलेम जाने से पहले अपनी फ़ौज को भेजा था। इस से पहले गवर्नर मूर्त वाले पर्चम लेकर यरूशलेम में दाखिल नहीं हुआ करते थे। पीलातुस इस बात से ज़रूर वाक़िफ़ था, लेकिन उस ने अहले यहूद पर शुरू ही में “गिरबा कशतन रोज़ेअव्वल (फ़ारसी मिस्ल: रोब पहले ही दिन बैठता है।) के मिस्ताक़ अपना रोब जमाने की खातिर इस क़दम को उठाया था। लेकिन पीलातुस को ख़िफ़त (नदामत) उठानी पड़ी और यूँ इस पहले मुक़ाबला में अहले यहूद की जीत हो गई। ये अम्र काबिल-ए-गौर है कि ऐसे आड़े वक़्त और नाज़ुक मौक़े पर यहूद के सरदार काहिन काइफ़ा ने इस तहरीक में खुल्लम खुल्ला कोई हिस्सा ना लिया। वो निहायत दूर-अँदेश और मर्दुमशनास शख्स था, जो हमेशा मौक़े की ताड़ में रहता था। वो अपने आलीशान महल में बैठा चुपके से देख रहा था कि ऊँट किस करवट बैठता है। वलेरीयस गेटस साबिक़ गवर्नर ने अपनी ग्यारह साला हुक्मत के दौरान में चार दफ़ाअ सरदार काहिन बदले थे और चौथी दफ़ाअ उसने काइफ़ा को नामज़द किया था। काइफ़ा अपनी गद्दी छोड़ना नहीं चाहता था और वो जानता था कि ये बात पीलातुस के इख्तियार में थी कि वो इस को गद्दी पर बरकरार रखे या बरतरफ़ कर दे। अगर पीलातुस की सिकंदरिया में वलीरएस से मुलाक़ात हुई होगी तो क्रियास यही चाहता है कि उस ने पीलातुस को फ़रीसियों और सदूक़ियों के हालात बता कर यही सलाह दी होगी कि वो सरदार काहिन काइफ़ा को गद्दी पर बरकरार रहने दे, क्योंकि वो काम का आदमी साबित होगा। लेकिन यहूद और उन के सरदार

¹³ (Whiston's Josephus: Jewish Wars Book 2.Ch.9, Page 601).

काहिन को अपने कब्ज-ए-इक़्तिदार में रखे। पस पीलातुस ने यहूदी अवाम पर रुअब जमाने की खातिर और सरदार काहिन काइफ़ा पर अपनी ताक़त का मुजाहरा करने की खातिर यरूशलेम में ऐसे पर्चम भेजे, जिन पर कैसर की मूरत थी। लेकिन इस का नतीजा उस के हक़ में उल्टा साबित हुआ और काइफ़ा ने कुछ कहे या किए बग़ैर अहले-यहूद के मज़हबी जुनून से फ़ायदा उठाकर पीलातुस को नीचा दिखा दिया।

(4)

जब पीलातुस यहूदियह का गवर्नर मुकर्रर हुआ तो यरूशलेम में पानी की सख़्त किल्लत थी। चूँकि ये शहर ऊंची पहाड़ीयों पर आबाद था। लिहाज़ा इब्तिदा ही से इस के बाशिंदे पानी की किल्लत को हमेशा महसूस करते रहे थे। मुहासिरे के अय्याम में दुश्मन निहायत आसानी से पानी की रसद काट सकते थे। (2 तवारीख़ 32: 1 ता 5) पस मुख्तलिफ़ सदीयों में मुख्तलिफ़ यहूदी बादशाहों ने पानी की रसद की दिक्क़त को रफ़ा करने की बेसूद कोशिशें की थीं। गालिबन सुलेमान बादशाह ने यरूशलेम से भी ऊंची घाटियों से तीन तलाबों के ज़रीये (जिनको सुलैमानी तलाब कहते हैं) यरूशलेम में पानी लाने का इंतिज़ाम किया था। सुलेमान के बाद पीलातुस पहला शख्स था जिसने पानी की किल्लत की दिक्क़त को हल किया था। उसने करीबन पच्चीस मील के पक्के नाले (Aqueducts) बनवाकर यरूशलेम की हैकल में पानी पहुंचा दिया था, जो अंजीनरी का कमाल था। ये ज़ाहिर है कि इस क्रिस्म का काम (जिसमें हैकल की इमारत के बाअज़ हिस्सों में शिकस्त और रेख़्त की उलझन का सवाल था) बाइख़ितयार अकाबिर यहूद की सलाह और मंजूरी के बग़ैर पाया तक्मील को नहीं पहुंच सकता था। ये भी नामुम्किन है कि अख़राजात के ज़र कसीर का सवाल उठाए बग़ैर ये तज्वीज़ मुकम्मल कर दी गई हो। रूमी कायदे के मुताबिक़ पब्लिक वर्कर्स के अख़राजात की पब्लिक खुद मुतहम्मिल (बर्दाश्त करने वाला) होती थी। लेकिन यरूशलेम के हालात कुछ ख़ास हालात थे, क्योंकि हर बालिग़ से नियम मिस्क़ाल का नुकरई सिक्का जबरीया वसूल करके हैकल के ख़ज़ाना में जमा किया जाता था। इस के इलावा सदका, ख़ैरात और नज़रें भी इस ख़ज़ाने में जमा की जाती थीं। इन ज़राए से हैकल की सालाना आमदनी साढ़े ग्यारह लाख रुपये के लगभग थी। कुदरती तौर पर पीलातुस चाहता था कि पानी के इंतिज़ाम के अख़राजात हैकल के ख़ज़ाने से अदा किए जाएं, जो पब्लिक का रुपया था। सदुकी और सरदार काहिन इस कद्र ज़र ख़तीर देना नहीं चाहते होंगे, लेकिन सरदार काहिन काइफ़ा ने इस रक़म की अदायगी का वाअदा ज़रूर कर दिया होगा। वर्ना पीलातुस उस को बरतरफ़ कर देता। जिस तरह साबिक़ गवर्नर ने हन्ना सरदार काहिन को उस की दौलत वसूत के बावजूद बरतरफ़ कर दिया था। हम ऊपर ज़िक़र कर चुके हैं कि पीलातुस के आने से पहले काइफ़ा सरदार काहिन था और वो पीलातुस की दस साला गवर्नरी के दौरान अपनी होशयारी, चालबाज़ी और मौका शनासी की वजह से इस गद्दी

पर मुतमक्किन रहा। पस जब हैकल के खजाने से पानी के अखराजात अदा किए गए तो काइफ़ा सरदार काहिन तुहन व कराहन (طوعاً وكرهًا) इस की अदायगी पर राजी था। यहूदी मुअरिख यूसीफ़स लिखता है :-

इस के बाद पीलातुस ने एक और फ़ित्रा खड़ा कर दिया। उस ने नज़राने के पाक रुपये से पानी के नाले पक्के बनवाए जिनके जरीये उस ने चार सद फ़र्लांग पानी बहम पहुंचाया। इस पर यहूदी अवामुन्नास भड़क उठे और जब पीलातुस यरूशलेम आया तो हज़ारों की भीड़ ने उस के दरबार के पास जमा हो कर गौगा (शोर) मचाया। इस बात की पीलातुस को पहले ही से खबर लग गई थी कि फ़साद होने वाला है। पस उस ने हुजूम में मुसल्लह सिपाही गैर फ़ौजी लिबास में भेजे और उन को हुक्म दिया कि मुफ़सिदों को नरगा में घेर कर उन पर लाठी चार्ज कर दें। बहुत से यहूदी मारे गए और ज़ख्मी हो गए। जब भागड़ मची तो बहुत लोग दूसरों के पांव तले रौंदे गए। यूं ये फ़साद फ़िरौ कर दिया गया।”¹⁴

यहां सवाल पैदा होता है कि पीलातुस को इस होने वाले फ़साद की खबर पहले से किस ने दी थी? अज़लब यही मालूम होता है कि काइफ़ा ने उस को खुफ़ीया तौर पर आगाह कर दिया था। पस यूं चालबाज़ी से काम लेकर उस ने अहले यहूद और पीलातुस दोनों का साथ दिया था। इस वाक़िया ने अहले यहूद को पीलातुस से बर्ग़शता कर दिया। सरदार काहिन काइफ़ा भी मौक़े की ताड़ में रहा, जिससे वो पीलातुस को नीचा दिखा कर हैकल के खजाना पर हाथ डालने का बदला ले सके।

(5)

29 ई. में खुदावंद यस्ूअ मसीह के मुक़द्दमे ने उस के हाथ में ये ज़रीन मौक़ा दे दिया। काइफ़ा ने यहूदी शरीअत का खून करके और तमाम शरई पाबंदीयों को पांव तले रौंद कर खुदावंद मसीह पर रात के वक़्त मौत का फ़त्वा सादिर कर दिया। जुमे के दिन अला-उल-सुबहह उसने जनाब मसीह को कशां कशां (ज़बरदस्ती, खींचते हुए) गवर्नर की अदालत में हाज़िर कर दिया ताकि वो उस के फ़त्वे पर अमल करके आपको मस्लूब करने का हुक्म सादिर करे। जब पीलातुस ने रूमी सलतनत के क़ानून की रू से आपको बरी करार दे दिया तो सरदार काहिन को वो मौक़ा मिल गया जिसकी वो इतनी मुद्दत से ताड़ में था। उस ने गवर्नर को कहा कि “अगर तू इस को छोड़ देगा तो तू

¹⁴ Whiston's Josephus Antiquities, Book 18, Ch. P.474, Jewish wars, B.k.2, Ch.9.P.601, Published by Ward Lock Co. London

कैसर का खैर-ख्वाह नहीं।” इस धमकी का मतलब ये था कि यहूदियह के गवर्नर पीलातुस की शिकायत शाम के वाइसरे विटेलियस (Vitellius)¹⁵ से की जाएगी। गद्दारी का इल्जाम सुनते ही पीलातुस काँप उठा। उस ने बहुतेरे हाथ पांव मारे के काइफ़ा को किसी ना किसी तरह खुश करे, लेकिन उस की एक ना चली। कभी इस ने चालबाज़ी से काम लेकर जनाब मसीह को हिरोदेस के पास भेजा दिया। कभी इस ने जनाब मसीह को पिटवाकर काइफ़ा की आतिश इंतिकाम को फिरौ करने की तदबीर की। कभी इस ने यहूद के क्रौमी जज्बात को अपील करके जनाब मसीह को छोड़ना चाहा। लेकिन इस की कोई तदबीर कारगर ना हुई। सरदार काहिन काइफ़ा अपनी बात पर अड़ा रहा और गद्दारी के इल्जाम की तलवार को पीलातुस की आँखों के सामने चमकाता रहा। हता के पीलातुस पर ये ज़ाहिर हो गया कि इस मुक़द्दमे में उस की अपनी मौत और ज़िंदगी का सवाल दरपेश है और कि जनाब मसीह और पीलातुस में से एक शख्स का मरना ज़रूरी है। पीलातुस को अच्छी तरह मालूम था कि उस ने सूबा भर में अपने जुल्म और तअद्दी (नाइंसाफ़ी) की वजह से बदनज़मी फैला रखी थी। चुनान्चे सिकंदरिया का यहूदी फिलासफर फ़ायलो कहता है कि :-

पीलातुस रिश्तखोर था। उस ने सूबा भर में लूट मार मचा रखी थी। वो हर एक से मुतकब्बराना पेश आता था और रियाया पर सख्त मजालिम (जुल्म) ढाता था। लोगों को अदालत में लाए बगैर और उन का जुर्म साबित किए बगैर वो उन को मरवा डालता था। उस की इन्सानियत सोज बदकिरदारीयाँ एक सिलसिला-ए-लामतनाही (बेइन्तहा, जिसकी इन्तहा ना हो) थीं।

मुक़द्दस लुका इंजील नवीस भी हमको बताता है कि पीलातुस ने गलीली लोगों का खून उन के ज़बीहों के साथ मिला दिया था (13:1) अब सरदार काहिन इस पर उसे कैसर से गद्दारी का इल्जाम लगाने की धमकी दे रहा था। पस अपनी जान बचा ने की खातिर वो काइफ़ा के आगे झुक गया। अनाजील के आखिरी सीन के अल्फ़ाज़ निहायत वाज़ेह तौर पर इस ज़ालिम बुजदिल गवर्नर के कैरेक्टर को ज़ाहिर करते हैं। “जब पीलातुस ने देखा कि कुछ बन नहीं पड़ता तो पानी लेकर लोगों के रूबरू अपने हाथ धोए और कहा मैं इस रास्तबाज़ के खून से बरी हूँ, तुम जानो। सब लोगों ने जवाब देकर कहा इस का खून हमारी और हमारी औलाद की गर्दन पर। इस पर उस ने यसूअ को कोड़े लगवाकर उन के हवाले किया ताकि सलीब दी जाये।” (मत्ती 27:24 ता 26)

(6)

¹⁵ [Vitellius](#)

पीलातुस का आखिरी कारनामा सामरियों से ताल्लुक रखता है। यूसीफ़स लिखता है :-

सामरियों की क़ौम के एक शख्स ने सामरियों को कहा कि ग्रेजीम पहाड़ पर (जो उन की नज़रों में मुक़द्दस तरीन पहाड़ है। युहन्ना 4:20) हज़रत मूसा ने जो मुक़द्दस ज़रूफ़ रखे थे, वो उन को दिखाएगा। पस सामरी मुसल्लह हो कर बड़ी तादाद में वहां जाने लगे। लेकिन पीलातुस ने सवार और पियादा फ़ौज भेज कर तमाम रास्तों को मस्टूद करके नाका बंदी कर दी। फ़ौज ने लोगों पर हमला करके बहुतों को क़त्ल कर दिया और कैदीयों को मौत के घाट उतार दिया। जब फ़साद फिरौ हो गया तो सामरियों ने वटेलेयस के पास जो शाम (Syria) का वाइसरे था। गवर्नर पीलातुस की शिकायत की और उस पर नाहक खून बहाने का इल्जाम लगाया। इस पर वटेलेयस ने मारसीलस (Marcellus) को यहूदियह का इंतजाम करने के लिए भेजा और पीलातुस को हुक्म दिया कि रोम जाकर अहले यहूद के आइद कर्दा इल्जामात का जवाब दे।¹⁶

पस दस साल की हुक्मत के बाद 36 ई. में पीलातुस वापिस कैसर के हुज़ूर जवाबदेही के लिए रोम की जानिब वापिस रवाना हो गया। हम अंदाज़ा कर सकते हैं कि वापसी के वक़्त राह में उस का कैसा हाल हुआ होगा। दिन को मौत का ख्याल और रात को डरावने ख़्वाब उस के साथी थे। जब वो दारुल-सल्तनत रोम में पहुंचा तो जिस कैसर के लर्जा खेज़ हुक्म की वजह से वो रोम हाज़िर हुआ था, उस को खुद मौत के फ़रिश्ते ने आला तरीन मुंसिफ़ की अदालत में हाज़िर हो कर अपने आमाल के जवाब देने का पैगाम पहुंचा दिया था।

(7)

पीलातुस का क्या हश्र हुआ? उस के अंजाम के मुताल्लिक कलीसियाई रिवायत कस्रत से हैं, लेकिन तवारीखी लिहाज़ से उनकी कीमत सिफ़र से भी कम है। गालिबन मसीही मुअरिख केसरिया के बिशप का क़ौल दुरुस्त है कि “पीलातुस को हुक्म दिया गया था कि वो अपनी जान का अपने हाथों खातिमा कर दे।”¹⁷

पीलातुस के शरीक-ए-जुर्म सरदार काहिन काइफ़ा का ज़िक्र इंजीली मजमूए में फिर एक दफ़ा आता है। जब वो “सरदार काहिन हन्ना और युहन्ना और सिकन्दर और सरदार काहिन के घराने के लोगों के साथ मुक़द्दस पतरस और मुक़द्दस युहन्ना

¹⁶ Whiston's Josephus Antiquities, Book 18, Ch.4.P.476

¹⁷ Ecclesiastical History.2,6,7

रसूल से बाज़पुर्स करके उन को धमकाता है। (आमाल 4:6-22) इस के बाद भी सरदार काहिन का जिक्र आता है, जो कलीसिया को ईजाएं पहुंचाने पर तुला हुआ था। गालिबन ये सरदार काहिन काइफ़ा ही था। (आमाल 5:17, 21, 27 7:1,19 वगैरह।) 36 ई. में पीलातुस के यहूदियह से रुखस्त होने के बाद काइफ़ा भी सरदार काहिन की गद्दी से उतार दिया गया। इसी साल यानी 36 ई. के मौसम गरमा में मुकद्दस पौलुस रसूल सह्राए अरब से वापिस यरूशलेम को लौटे और पंद्रह रोज़ रसूलों की सोहबत से फ़ैज़याब हुए। इस के बाद आपने इंजील जलील की नजात का जाँ-फ़जाँ पैग़ाम अक़साए आलम तक पहुंचा दिया।

7. इब्ने-ए-अल्लाह (ابن الله) की सलीबी मौत और यहूदी क़ानून

खुदावंद यसूअ मसीह के मुकद्दमे की समाअत (सुनवाई) दो अदालतों में हुई और दोनों अदालतों में आप पर मौत का फ़त्वा सादिर हुआ। पहली बार आपको अहले यहूद की अदालत में पेश किया गया, जहां सरदार काहिन ने जज की हैसियत से आप पर फ़त्वा लगाया। फिर वही जज रूमी अदालत में मुद्दई बन गया और रूमी गवर्नर ने आपको मस्लूब करने का हुक्म दिया। इस मज़्मून में हम इब्ने-अल्लाह के मुकद्दमे की रुवेदाद पर यहूदी क़ानून के नुक्ता-ए-नज़र से बहस करेंगे, ताकि ये मालूम हो सके कि आया हज़रत इब्ने-अल्लाह के साथ क़ानूनी पहलू के मुताबिक़ वाकई इन्साफ़ किया गया था या आप के जज सरदार काहिन काइफ़ा ने आपको मुस्तूजिब क़त्ल करार दे कर यहूदी क़ानून का खून किया था।

(1)

जब हम अनाजील अरबा के सलीबी बयान का बनज़र-ए-गाइर मुतालआ करते हैं तो हम पर वाज़ेह हो जाता है कि इस बयान की सेहत में किसी किस्म के शक की गुंजाइश नहीं। चुनान्चे लार्ड शाइर कहते हैं :-

□हर शख्स और बिलखसूस हर जज पर (जिसका वास्ता शहादत और गवाही से पड़ता है) ये बात फ़ौरन जाहिर हो जाती है कि अगरचे सलीबी बयान की तफ़ासील में फ़र्क़ है और हर इंजील नवीस के बयान करने का तरीक़ा निराला है और चारों अनाजील के बयान करने वालों की समझ के मुताबिक़ बयान के मुख्तलिफ़ पहलूओं पर ज़ोर दिया गया है। ताहम सलीबी मौत का बयान

वजन रखता है और बयान कर्दा वाक्रियात की सेहत में किसी को कलाम नहीं हो सकता।¹⁸

इब्ने-अल्लाह (जनाबे ईसा) के मुकद्दमे का बयान निहायत सादा अल्फ़ाज़ में लिखा गया है, जिसमें मुबालगा और रंग आमोज़ी कूद खुल नहीं। वो इफ़रात और तफ़रीत (ज्यादती और कमी) दोनों से खाली है और यही वजह है कि वो जाज़िब-ए-तवज्जा है और इन्सानी दिमाग पर एक नाकाबिल-ए-फ़रामोश नक्श कायम कर देता है। ये सीधे साधे अल्फ़ाज़ आँखों के सामने ऐसा समां बांध देते हैं कि इन्सान बे-इख्तियार मुतास्सिर हो जाता है।

(2)

अहले यहूद का क़ानून रूमी सलतनत के क़ानून से ज़्यादा क़दीम और सख़्त-गीर था। बिलखसूस मुल्जिम की मौत और ज़िंदगी के सवाल के मौके पर यहूदी क़ानून ने ऐसी कुयूद और पाबंदीयां लगा रखी थीं जिनसे हर शख्स पर ये वाज़ेह हो जाता था कि ये मुकद्दमा निहायत संजीदा है। इस क़ानून के मुताबिक़ हर मुम्किन तौर पर ये खास एहतियात की जाती थी कि मुल्जिम के साथ किसी किस्म की बे-इंसाफ़ी होने ना पाए और मुकद्दमे के दौरान में कोई नाजायज़ बात या ग़लती सरज़द ना हो, जो मुल्जिम के खिलाफ़ जाये। इस से ज़ाहिर है कि यहूदी क़ानून इन्सानी ज़िंदगी को निहायत वाज़िब-उल-एहताराम शैय ख़याल करके हर मुम्किन कोशिश करता था कि मुकद्दमे के वक़्त हर किस्म की एहतियात काम में लाई जाये। यहूदी क़ानून के मुताबिक़ जब किसी को मौत की सज़ा दी जाती थी तो मुजरिम को उम्मन संगसार किया जाता था। बाज़-अवकात मुजरिम को गर्क आब (पानी में डुबोना) कर दिया जाता था या उस को फांसी दी जाती थी या उस का सर तन से जुदा कर दिया जाता था। लेकिन किसी मुजरिम को सलीब नहीं दी जाती थी। मुजरिम को अदालत से दूर फ़ासिले पर सज़ा दी जाती थी। यहूद की इस्तिलाह में इस जगह को “खेमा से बाहर” कहा जाता था। लेकिन मौत की सज़ा देते वक़्त भी मुल्जिम की जान बचाने की तद्वीर की जाती थी। चुनान्चे मिशनाह में लिखा है :-

चाहिए कि एक शख्स अदालत के कमरे के दरवाजे के बाहर रूमाल हाथ में लिए खड़ा रहे और दूसरा घोड़े पर सवार हो कर इतनी दूर खड़ा रहे कि वो रूमाल को हिलता देख सके। अगर मुल्जिम के आखिरी लम्हों में भी कोई शख्स ये साबित करने के लिए तैयार हो कि मुल्जिम बेगुनाह है तो जो शख्स अदालत

¹⁸ The Trial of Jesus Christ by the Rt. Honorable Lord Shaw of Dunfermline, k,c.L.L.D Lord of appeal pp9-101

के दरवाजे पर खड़ा हो वोह रूमाल को हिलाए और जोहीं सवार इस रूमाल को हिलता देखे वो घोड़े को दौड़ाकर मकतल पर पहुंचे और मुल्जिम को वापिस ले आए ताकि उस के मुकद्दमा की दुबारा समाअत (सुनवाई) हो।

(3)

इस में शक नहीं कि Sanhedrin (जिसको इंजील में “सदर-ए-अदालत” कहा गया है) को ये इख्तियार हासिल था कि इब्ने-अल्लाह (जनाबे मसीह) को गतसमनी (Get hsemane) के बाग में गिरफ्तार कर ले। ये मजलिस अहले यहूद की जनरल कौंसल थी और इकहत्तर (71) अशखास पर मुश्तमिल थी। इस जनरल कौंसल की एक आला इंतिजामीया कमेटी थी, जिसके तेईस (23) रुकन थे। अगरचे यहूदियह का मुल्क एक रूमी सूबा था, ताहम कैसर ने दानिशमंदी को काम में लाकर उस को दीनी उमूर में स्वराज्य (हुकूमत खुद इख्तियारी) का हक अता कर दिया था। जनरल कौंसल का सदर सरदार काहिन काइफ़ा था और कौंसल में फ़रीसी और सदुकी लीडर दोनों शामिल थे। इस के फ़ैसले यहूदी शरीअत और यहूदी क़ानून के मुताबिक़ होते थे। यहूदी शरीअत-ए-कुतुब अहद-ए-अतीक़ में मौजूद थी और यहूदी क़ानून तल्मूद में जमा किया गया था। तल्मूद के मर्कज़ी हिस्से को “मिशनाह” कहते हैं जिसमें से हमने सुतूर-ए-बाला में एक क़ानून नक़ल किया है। ये अम्र सब के नज़दीक़ मुसल्लम है कि जनाब मसीह की ज़िंदगी में मिशनाह के यहूदी क़वानीन पर अमल दरआमद किया जाता था।

(4)

इब्ने-अल्लाह (जनाबे मसीह) के एक हवारी यहूदाह इस्क्रियुती की ग़दारी की वजह से आप बाआसानी गिरफ्तार हो गए। इस साज़िश में जनरल कौंसल के अरकान भी शामिल थे, लेकिन उन्ही लोगों ने आपके मुक़द्दमा की समाअत (सुनवाई) भी करना थी। पस जनरल कौंसल के मेंबरों ने इस साज़िश में हिस्सा लेकर यहूदी क़ानून की ख़िलाफ़वर्ज़ी की। इलावा बरीं इन मेंबरों ने ना सिर्फ़ साज़िश में हिस्सा लिया बल्कि वो तीस रुपये की रिश्त देने से भी ना झीजके। पस सरीहन वो ईलाही शरीअत और यहूदी क़ानून को तोड़ने के मुर्तक़िब हुए। अगर इब्ने-अल्लाह (जनाबे मसीह) के ख़िलाफ़ फ़ैसले की अपील की जा सकती तो ये ज़ाहिर है कि आप रिहा कर दिए जाते। लेकिन जनरल कौंसल कोई मातहत अदालत नहीं थी, जिसके फ़ैसले की किसी आला अदालत में अपील हो सकती। वो खुद आला-तरीन अदालत थी जिसके फ़ैसलों के ख़िलाफ़ अपील दायर नहीं हो सकती थी।

चूँकि जनाब मसीह का मुकद्दमा जिंदगी और मौत का मुकद्दमा था। लिहाजा ये जरूरी अम्र था कि इन तमाम कुयूद का लिहाज रखा जाता जो ईलाही शरीअत और यहूदी कानून ने इस मुआमला में पेशबंदी के तौर पर लगा रखी थीं। जहां तक इब्ने-अल्लाह के मुकद्दमे का ताल्लुक है, अदालत-ए-आला का उन पाबंदीयों को मल्हूज रखना और भी ज्यादा जरूरी था, क्योंकि आपके तमाम हवारी और पैरो (मानने वाले) अपनी जानों के खौफ के मारे आप को अकेला छोड़कर भाग गए थे और आप के खिलाफ ना सिर्फ आला तरीन तबक्रा के रउसा परे बाँधे थे, बल्कि आममतुन्नास (आम लोगों) के जज्बात की आग भी भड़क रही थी। इन्दरियन हालात अदालत-ए-आला का फ़र्ज था कि कानून के मुताबिक और कानून के अंदर आपके जायज हुक्क की खुद हिफाजत करती।

(5)

हजरत इब्ने-अल्लाह (जनाबे ईसा) के मुकद्दमे में जनरल कौंसल ने शुरू से लेकर आखिर तक ईलाही शरीअत और यहूदी कानून की तमाम पाबंदीयों की बाड को उखाड फेंका। इस कौंसल के अरकान सब उमूर को फ़ौरी तौर पर खत्म करना चाहते थे। पस उन्होंने ने जल्दी की और इस जल्दी के सबब यहूदी कानून के एहतियाती उमूर और तदाबीर को पसे-पुशत फेंक दिया। उन्होंने ने रात के वक़्त इस मुकद्दमे की समाअत (सुनवाई) शुरू की और इसी रात फ़ैसला भी कर दिया। ये दोनों बातें यहूदी कानून के सरासर खिलाफ़ थीं। इस कानून के मुताबिक कोई ऐसा मुकद्दमा रात के वक़्त शुरू नहीं किया जा सकता था। चह जायकी रात के वक़्त उस की पैरवी भी की जाये और फ़ैसला भी सुना दिया जाये। अगर किसी मुकद्दमे की दिन के वक़्त समाअत (सुनवाई) शुरू होती और दौरान-ए-समाअत (सुनवाई के दौरान) रात पड़ जाती तो यहूदी कानून के मुताबिक लाज़िम था कि मुकद्दमे अगले दिन पर मुल्तवी किया जाये। चुनान्चे मिशनाह में खास तौर पर हिदायत की गई है कि :-

दीवानी मुकद्दमात सिर्फ दिन के वक़्त शुरू किए जाएं और उनका फ़ैसला गुरुब-ए-आफ़ताब (सूरज डूबने) के बाद भी हो सकता है। लेकिन जिन मुकद्दमात का ताल्लुक मुल्जिम की जिंदगी और मौत के साथ है। वो सिर्फ रोज़ रोशन में ही शुरू किए जाएं और दिन की रोशनी में ही फ़ैसला पाएं। अगर फ़ैसले की रू से मुल्जिम रिहा हो जाए तो वो उसी रोज़ रिहा किया जाये, लेकिन अगर वो मौत का मुस्तज़िब गिरदाना जाये तो लाज़िम है कि मुकद्दमा दूसरे दिन पर मुल्तवी कर दिया जाये और रात का वक़फ़ा दर्मियान में पड़े।

हजरत इब्ने-अल्लाह (जनाबे मसीह) के मुकद्दमे में जनरल कौंसल के जजों ने ऐसी ताजील (जल्दी) की, जिसकी नज़ीर यहूदी तारीख में नहीं मिलती। उन्होंने ने तमाम पाबंदियों को जो यहूदी क़ानून ने एहतियात की खातिर लगा रखी थीं जड़ से उखाड़ फेंका। उन्होंने ने आपको जुमेरात के रोज़ रात के वक़्त गिरफ़्तार किया। रात के वक़्त ही जनरल कौंसल का इज्जास मुनअक्रिद किया। रात के वक़्त ही मुकद्दमे की समाअत (सुनवाई) शुरू की और उसी रात आपको मुस्तज़िब-ए-क़त्ल करार दे दिया। पस जहां तक यहूदी क़ानून का ताल्लुक है, इस अदालत ने इब्ने-अल्लाह का खून ना किया, बल्कि अपने क़ानून का खून किया और दरहकीकत इब्ने-अल्लाह (जनाबे ईसा) मुजरिम नहीं थे बल्कि आपके जज मुजरिम थे। यहां ये सवाल पैदा होता है कि जनरल कौंसल के अरकान को जल्दी क्या पड़ी थी कि वो शुरू से आखिर तक क़ानून-शिकनी से ज़रा ना झजके? इस की वजह हमें बजुज इस के और कोई नज़र नहीं आती कि अवाम-उन्नास और हुजूम का मिज़ाज पारे की तरह ऊपर नीचे होता रहता है। चंद रोज़ पेशतर ये लोग हजरत इब्ने-अल्लाह के आगे आगे “हो शाना” के फ़लक शिगाफ़ नारे बुलंद कर रहे थे और अब यही आपके खून के प्यासे हो गए थे। आपके जजों को ये खौफ़ दामनगीर था कि मबादा हुजूम को आपकी नेकी, हम्दर्दी और मुहब्बत के काम, आपके मोअजज़ात बय्यनात और कलमात-ए-तय्यबा याद आ जाएं और पशेमानी से उनके जज़्बात पल्टा खा कर आपसे हम्दर्दाना रविष इख़्तियार ना कर लें और यूँ उन की मेहनत अकारत जाये। पस उन्होंने ने अपनी खैर इसी में देखी कि सब काम जल्दी से सरअंजाम पा जाएं। ख़्वाह उस ताजील (जल्दी) की वजह से उन को यहूदी क़ानून और ईलाही शरीअत की “अलिफ़” से लेकर “य” तक ख़िलाफ़वर्ज़ी क्यों ना करनी पड़े।

(6)

इब्ने-अल्लाह (जनाबे मसीह) की गिरफ़्तारी के बाद सदर मजलिस और अरकान-ए-अदालत जमा हुए। रात के वक़्त मुकद्दमे की समाअत (सुनवाई) शुरू हुई। लेकिन मुकद्दमे की समाअत की पहली मंज़िल में ये मुश्किल आन पड़ी कि हजरत इब्ने-अल्लाह पर किस इल्ज़ाम के बिना पर मुकद्दमा चलाया जाये। इस में रतीभर शक नहीं कि यहूदी क़ानून के मुताबिक़ ये लाज़िम था कि दो गवाह अदालत को पहले यक़ीन दिलाएँ कि किसी शख्स पर मुकद्दमा चल सकता है। गवाहों का बयान हर मुकद्दमे की रुवेदाद का शुरू होता था और जब तक ये बयान अलानिया तौर पर अदालत में पहले पेश ना किया जाता और अदालत को ये यक़ीन ना हो जाता कि मुकद्दमा चलाना चाहिए, तब तक मुकद्दमा शुरू नहीं हो सकता था और क़ानून की निगाह में शख्स मज़कूर ना सिर्फ़ बेगुनाह समझा जाता, बल्कि वो बे-इल्ज़ाम तसव्वुर किया जाता था। अदालत ने गवाह बुलाए और उन को ज़ेल के निहायत संजीदा अल्फ़ाज़ में मुखातब किया गया :-

एरे गवाह याद रख कि जिंदगी और मौत के इस मुकद्दमा में अगर तू गुनाह कर रहा है, तो मुल्जिम का खून और उस की औलाद का खून हमेशा के लिए तेरी गर्दन पर होगा। आदम इसी लिए अकेला पैदा किया गया था कि तू जान जाये कि अगर कोई गवाह इस्राईल में किसी एक जान को तबाह करता है तो किताब मुकद्दस के मुताबिक वो दुनिया को बर्बाद करता है और अगर वो इस्राईल में किसी एक की जान बचाता है तो वो दुनिया को बचाता है।

यहूदी कानून के मुताबिक किसी शख्स पर इल्जाम नहीं लगाया जा सकता, तावक्ते कि दो गवाहों का हल्फ़ीया बयान मुतफिक़ा तौर पर पेश हो कर जज को यक़ीन ना दिलाए। लेकिन इब्ने-अल्लाह (जनाबे मसीह) के मुकद्दमे में ये मुश्किल दरपेश हुई कि गवाहों के बयानों में तज़ाद और इख़्तिलाफ़ था और उन के बयानों में कोई ऐसी मुतफिक़ अलैह बात ना थी, जिसके बिना पर जिंदगी और मौत का मुकद्दमा चलाया जा सकता। बड़ी से बड़ी बात जो गवाहों ने कही ये थी कि इब्ने-अल्लाह ने कहा था कि “में हैकल को गिरा सकता हूँ और इस को तीन दिन में खड़ा कर सकता हूँ।” लेकिन इस बयान की बिना पर आप पर सिर्फ़ नुक़्स अमन का मुकद्दमा चल सकता था, ना कि ऐसा मुकद्दमा जिसकी सज़ा मौत हो। पस कानून की रू से हज़रत इब्ने-अल्लाह शुरू ही से ना सिर्फ़ बेगुनाह थे, बल्कि बे-इल्जाम भी थे।

(7)

जब सरदार काहिन काइफ़ा और अदालत के जजों ने देखा कि काम बिगड़ता है और बात बनाए नहीं बनती, तो उन्होंने ने यहूदी कानून की दूसरी पाबंदियों की बाड़ को उखाड़ फेंका और कानून की एक और खिलाफ़वर्जी का इर्तिक़ाब किया ताकि किसी ना किसी तरह इब्ने-अल्लाह (जनाबे ईसा) पर मुकद्दमा चल सके। काइफ़ा ने हज़रत इब्ने-अल्लाह (जनाबे ईसा) से सवाल पूछने शुरू किए ताकि आपके जवाबात तोड़-मरोड़ कर आपके खिलाफ़ किसी ऐसे इल्जाम की बिना (बुनियाद) तलाश की जा सके, जिसकी सज़ा क़त्ल हो और ये इक़दाम यहूदी कानून के सरीहन खिलाफ़ था। यहूदी कानून की रू से आपके खिलाफ़ मुकद्दमे की बिना सिर्फ़ गवाहों के बयान ही से शुरू हो सकती थी, और यह बना अदालत को नहीं मिलती थी। लेकिन अदालत के जज इस बात पर तुले हुए थे कि “उम्मत की खातिर इस आदमी का मरना बेहतर है।” (युहन्ना 18:15) पस उन्होंने ने खुद इब्ने-अल्लाह (जनाबे मसीह) से सवाल पूछने शुरू किए। (युहन्ना 18:19) ताकि आपके बयान पर ही मुकद्दमा किसी ना किसी तरह शुरू तो हो सके। लेकिन

हजरत इब्ने-अल्लाह उन की चाल को ताड़ गए। वो बखूबी वाक़िफ़ थे कि आपके जज कानून की खिलाफ़वर्ज़ी अपने वतीरा से कर रहे हैं।

पस आपने खामोशी इख़्तियार कर ली। (मरकुस 14:60-61 वगैरह) लेकिन आपके दुश्मन जजों ने आपका पीछा ना छोड़ा और वो आपसे सवाल पर सवाल करते गए। (युहन्ना 18:19) तब इब्ने-अल्लाह (जनाबे ईसा) ने मोहर-ए-सुकूत (खामोशी) तोड़ी और आपने जो कुछ फ़रमाया वो ना सिर्फ़ इन्साफ़ पर मबनी था, बल्कि यहूदी कानून के तक्राज़ाओं के मुताबिक़ था। चुनान्चे आपने जवाब दिया “...मैंने दुनिया से अलानिया बातें की हैं। मैंने हमेशा इबादत खानों और हैकल में जहां सब यहूदी जमा होते हैं ताअलीम दी और पोशीदा कुछ नहीं कहा। तू मुझ से क्यों पूछता है? सुनने वालों से पूछ कि मैंने उन से क्या कहा? देख उन को मालूम है कि मैंने क्या-क्या कहा। (युहन्ना 18:20-21) हजरत इब्ने-अल्लाह ने इन अल्फ़ाज़ में यहूदी कानून-ए-इन्साफ़ की जानिब अपील की थी। इस पर आज जज बरफ़रोख़ता हो गए और यहूदी तिलमिला उठे और आप को अदालत के कमरे में जजों के सामने तमांचा मारा गया, जो सरासर कानून के खिलाफ़ था। इस हमले के जवाब में आपने फिर यहूदी कानून की पनाह ढुंडी और दुबारा इन्साफ़ के ख़्वाहां हुए और फ़रमाया “.....अगर मैंने बुरा कहा है तो इस बुराई पर गवाही दे और अगर अच्छा कहा है तो मुझे क्यों मारता है?” (युहन्ना 18:23)

(8)

जब अदालत ने देखा कि कुछ बनता नज़र नहीं आता और मुक़द्दमे का आगाज़ भी नहीं हो सकता तो सदर-ए-अदालत और सरदार काहिन एक और चाल चला और यह चाल भी यहूदी कानून के सरासर खिलाफ़ थी। अहले यहूद अपने कानून पर नाज़ाँ हो कर फ़ख़्रिया कहा करते थे :-

□हमारा कानून किसी शख्स को उस के अपने इक़बाल पर मौत की सज़ा नहीं देता।□

यहूदी कानून के ये अल्फ़ाज़ भी निहायत वाज़ेह थे :-

□हमारा बुनियादी उसूल ये है कि अगर मुक़द्दमे के दौरान में किसी शख्स के मुँह से कोई बात निकल जाये तो वो बात उस के खिलाफ़ इस्तिमाल नहीं की जा सकती।□

लेकिन सरदार काहिन ने अब ये कोशिश की कि ख़ुद हजरत इब्ने-अल्लाह (जनाबे मसीह) के मुँह से कोई ऐसी बात निकलवाये जिसके बिना पर ना सिर्फ़ आप पर मुक़द्दमा चल सके, बल्कि आपको क़त्ल की सज़ा भी मिल सके। इस गरज़ को मद्दे-

नज़र रखकर अदालत के सदर ने आपसे ऐसे सवाल पूछने शुरू किए जिनका जवाब इब्ने-अल्लाह को दीए बग़ैर चारा ना था। चुनान्चे सरदार काहिन ने यहूदी क़ानून के बुनियादी उसूल को बाला-ए-ताक़ रखकर आपसे पूछा “क्या तू इस सतूदा का बेटा मसीह है? अगर तू मसीह है तो हमसे कह दे।” (मरकुस 14:61) ये सवाल ऐसा था कि इस का जवाब इब्ने-अल्लाह को ज़रूर देना था। अगर वो इस का जवाब ना देते तो अपने मिशन का इन्कार करते। पस आपने जवाब में फ़रमाया “हाँ मैं हूँ और तुम इब्ने आदम को कादिर-ए-मुतलक़ की दहनी तरफ़ बैठे और आस्मान के बादिलों के साथ आते देखोगे।” (मरकुस 14:62) जब सरदार काहिन ने देखा कि उस की चाल कारगर हो गई है तो “सरदार काहिन ने अपने कपड़े फाड़ कर कहा अब हमें गवाही की क्या हाजत रही। तुमने ये कुफ़्र सुना। तुम्हारी क्या राय है?” (मरकुस 14:63) सदर अदालत के तमाम अरकान यहूदी क़ानून के बुनियादी उसूल को भूल गए कि “अगर मुक़द्दमे के दौरान में किसी शख्स के मुँह से कोई बात निकल जाये जो उस के खिलाफ़ हो तो वो बात उस के खिलाफ़ मुतसव्वर नहीं की जा सकती।” “हमारा क़ानून किसी शख्स को उस के अपने इक़बाल पर मौत की सज़ा नहीं देता।” सरदार काहिन के सवाल के जवाब में उन्होंने ने कहा “अब हमें गवाहों की क्या हाजत रही? हमने खुद उस के मुँह से सुन लिया है।” इन सबने फ़त्वा दिया कि हज़रत इब्ने-अल्लाह (जनाबे ईसा) क़त्ल के लायक़ है। क्योंकि यहूदी क़ानून के मुताबिक़ कुफ़्र की सज़ा मौत है।

8. खुदावंद मसीह की सलीबी मौत और रूमी क़ानून

(1)

सरदार काहिन काइफ़ा यहूदी था जो मसीह मौऊद की आमद की मुंतज़िर था। पस उस का एक दूसरे यहूदी (इब्ने-अल्लाह) से ये सवाल करना “क्या तू खुदा का बेटा मसीह है?” ज़ाहिर करता है कि वो इब्ने-अल्लाह (जनाबे ईसा) पर ये इल्ज़ाम नहीं लगाता कि आपने मसीह मौऊद की आमद के मुताल्लिक़ कोई अनोखी या नई ताअलीम या बिद्दत शुरू की है, बल्कि उस के सवाल का मतलब ये है, “क्या तू ही वो मसीह है जिसकी हमारी क़ौम मुंतज़िर है और जिस की पेशखबरी (पिशनगोई) हमारे अम्बिया ने दी है?” आपने जवाब में फ़रमाया “हाँ मैं हूँ।” सदर अदालत वाले अब इस इंतज़ार में थे कि आप उनको अपना प्रोग्राम बताएं, जिसके मुताबिक़ आप रूमी सलतनत को बर्बाद करके यहूदी हुकूमत को अज सर-ए-नौ (नए सिरे से) कायम करेंगे। क्योंकि उन के ख्याल में मसीह मौऊद का बस यही एक काम था। लेकिन सदर अदालत के सामने

आपकी ज़बान मुबारक से एक लफ़्ज़ भी ऐसा ना निकला जिसमें आपने दुनियावी बादशाहत का दावा किया हो। या तल्वार के ज़रीये रूमी सल्तनत को मग़्लूब करने के ख़्याल का हामिल हो। इस के बरअक्स आपने रुहानी दुनिया और ईलाही कुर्बत (नज़दिकी) का उनके सामने ज़िक्र छोड़ा। लेकिन अगर आप ने बाग़ियाना ख़यालात का ज़रा भी इज़हार फ़रमाया होता तो आप पर ना तो कुफ़्र का फ़त्वा सादिर होता और ना सलीबी मौत की नौबत आती, बल्कि सरदार काहिन और सदर अदालत के अरकान आपको अपने सयासी अग़राज़ का आलाकार बना लेते ताकि आपके असर-ओ-रसूख और एजाज़ी कुवा (ताक़त) के ज़रीये यहूदी सल्तनत को अज़ सर-ए-नौ (नए सिरे से) कायम करें।

इब्ने-अल्लाह (जनाबे मसीह) के जवाब से और आप की माअनी-खेज़ ख़ामोशी को देख कर सदर-ए-अदालत वाले मायूस हो गए। क्योंकि आपने उन की तमाम उम्मीदों पर जो वो मसीह मौऊद की ज़ात के साथ वाबस्ता करते थे, पानी फेर दिया। उनके दिलो-दिमाग में अहयाए क़ौम का ख़्याल समाया हुआ था और अगर कोई अम्र इस के हुसूल की राह में मानेअ़ होता तो उस रुकावट को पांव तले बेदिरेग़ रौंदने में उन को ज़रा बाक ना था। जब उन्होंने ने देखा कि इब्ने-अल्लाह का वतीरा उन के ज़ोअम के मुताबिक़ क़ौम के मुफ़ाद के खिलाफ़ है तो उन्होंने ने तहय्या कर लिया कि बकाए क़ौम की ख़ातिर उस को क़त्ल करना ही बेहतर है। (युहन्ना 11:50) सदर अदालत के फ़त्वे के मुताबिक़ इब्ने-अल्लाह ने “कुफ़्र बका”, लेकिन क्या आपका जवाब सहाइफ़ अम्बिया की कुतुब और बिलखसूस हज़रत यसअयाह नबी की किताब के दूसरे हिस्से (अबवाब 40 ता 66) के मुताबिक़ ना था? ये दुरुस्त है कि आपका इर्शाद सरदार काहिन और सदर-ए-अदालत वालों के ख़यालात व जज़बात के मुनाफ़ी (खिलाफ) था, लेकिन क्या महज़ इस बिना पर वो “कुफ़्र” करार दिया जा सकता था? अदालत के किसी रुकन ने इन बातों की तफ़्तीश करने की ज़हमत गवारा ना कि और कताबे मुक़द्दस और यहूदी क़ानून की एक और खिलाफ़वर्ज़ी करके आप को वाजिब-उल-क़त्ल करार देकर रूमी सल्तनत के गवर्नर पीलातुस के सामने पेश कर दिया।

(2)

सरदार काहिन काइफ़ा, गवर्नर पीलातुस के अगले पिछले हालात से वाकिफ़ था और उस को ख़ूब पहचानता था। पीलातुस भी काइफ़ा के हथकंडों को जानता था और उस की चालबाज़ तबीयत से वाकिफ़ था। पीलातुस का पिछला रिकार्ड ख़राब था। वो कैसर तबरीस का गवर्नर और वायसराए था और अर्ज़-ए-मुक़द्दस में ठीक उसी तरह हुकूमत के इख़्तयारात रखता था जिस तरह बर्तानिया के बादशाह का वायसराए हमारे मुल्क में रखता था। लेकिन उस ने अपनी हुकूमत के दौरान में चंद बातें ऐसी की थीं

जो उस के खिलाफ थीं। मसलन मुश्ते नमूना अज़-खरवारे वो यहूदीयत को नफ़रत की निगाहों से देखता था और यहूदी इदारों का जानी दुश्मन था। यहूदी मुअर्रिख यूसीफ़स हमको बताता है कि वो यहूदी शरीअत को मिटाने की खातिर फ़ौज को कैसरयह से यरूशलेम ले आया था। शहर यरूशलेम में हर क्रिस्म की मूर्त का दाखिला मूसवी शरीअत के दूसरे हुक्म के मुताबिक़ ममनू था। लेकिन वो रूमी पर्चम को उस के अंदर ले गया, जिस पर कैसर रुम की मूर्त थी। इस पर तमाम शहर में गम व गुस्से की लहर दौड़ गई। पीलातुस ने सिपाहीयों को हुक्म दिया कि हुजूम को चारों तरफ़ से घेर लें। अहले यहूद की भीड़ों की भीड़ें (हुजूम के हुजूम) ज़मीन पर लेट गईं और उन्होंने ने कहा कि हमें मौत कुबूल है, लेकिन हम रूमी झंडे की मूर्त से अपने शहर को नापाक होने ना देंगे। इस पर पीलातुस झुक गया। सरदार काहिन को ये मौक़ा खूब याद था। वो जानता था कि पीलातुस को हुजूम की राय आम्मा के ज़रीये झुकाया जा सकता है और वो इस मौक़े पर भी यही चाल चला। चुनान्चे मुक़द्दस मरकुस लिखते हैं :-

मगर सरदार काहिनों ने भीड़ को उभारा ताकि पीलातुस उन की खातिर बरब्बा ही को छोड़ दे। पीलातुस ने दुबारा उन से कहा फिर जिसे तुम यहूदीयों का बादशाह कहते हो इस से मैं क्या करूँ? वो फिर चिल्लाए कि वो मस्लूब हो। और पीलातुस ने उन से कहा क्यों इस ने क्या बुराई की है? वो और भी चिल्लाए कि वो मस्लूब हो। पीलातुस ने लोगों को खूश करने के इरादे से उन के लिए बरब्बा को छोड़ दिया और यिसूअ को कोड़े लगवा कर हवाले किया कि मस्लूब हो।” (मरकुस 15:11-15)

और मुक़द्दस लूका लिखते हैं :-

वो चिल्ला चिल्ला कर सर होते रहे कि उसे सलीब दी जाये और उन का चिल्लाना कारगर हुआ।” (लूका 23:23)

एक और मौक़े पर लोकल सेल्फ़ गर्वनमेंट के सवाल पर अहले यहूद और पीलातुस में झगडा बरपा हुआ था। उस ने यरूशलेम के शहर में पानी की आमद का ऐसा अच्छा इंतिज़ाम किया था कि बादशाह सुलेमान के बाद बावजूद हजार कोशिशों के कोई ना कर सका था। इस इंतिज़ाम के अख़राजात को पूरा करने की खातिर उस ने हैकल के ख़जाने पर हाथ डाला। इस मौक़े पर तमाम शहर में फ़साद मच गया। पीलातुस ने रूमी फ़ौज के सिपाहीयों को हुक्म दिया कि यहूदीयों का सा लिबास पहन कर बलवाइयों में रुल मिल जाएं और उन को खंजरों से मौत के घाट उतार दें। यूँ इस ने क़त्ले आम और ख़ूरेजी के ज़रीये फ़साद फिरौ कर दिया।

इन और दीगर उमूर की वजह से यहूदी पीलातुस से सख्त शाकी थे। पीलातुस भी बातिन में अपने पिछले कारनामों की वजह से उनसे खाइफ़-ओ-हिरासाँ रहता था। उस के खौफ़ की वजह ये थी कि उस ज़माने में रूमी क़ानून की रू से रूमी कैसर सल्तनत के हर शोअबा का खुद-मुख्तार सर था। सयासी, मज़हबी, फ़ौजी और रियासती उमूर सब के सब उस के हाथ में थे और वो जो चाहता मुतलक-उल-अनान होने की वजह से कर सकता था। अगर कैसर चाहता तो हर छोटे बड़े शख्स को मामूली से मामूली कसूर के एवज़ या सूबा की बद-इंतिज़ामी की वजह से उम्र कैद या मौत की सज़ा दे देता था। अगर कहीं कैसर को ये अंदेशा हो जाता कि फुलां शख्स मेरा “खैर-ख्वाह” नहीं है तो ऐसी खतरनाक ग़दारी की सज़ा बदतरीन और सख्त तरीन मौत होती थी। सरदार काहिन काइफ़ा इस अम्र से भी बखूबी वाक़िफ़ था। पस उस ने निहायत चालाकी से इस हथियार को भी पीलातुस के खिलाफ़ इस्तिमाल किया। चुनान्चे मुक़द्दस युहन्ना लिखते हैं :-

□यहूदीयों ने चिल्ला कर कहा। अगर तू इस को छोड़ देता है तो कैसर का खैर-ख्वाह नहीं।” (युहन्ना 19:12)

सुतूर-ए-बाला से नाज़रीन पर जाहिर हो गया होगा कि सरदार काहिन काइफ़ा और गवर्नर पीलातुस किस कुमाश के इन्सान थे। दोनों का शेवा चालबाज़ी था। दोनों हुसूल-ए-मक्सद और मतलब बरारी की खातिर हर क़िस्म की चाल चल लेते थे। आमियाना (जाहिलों की) ज़बान में दोनों “चार सौ बीस खेलने” में मशशाक़ थे। लेकिन दोनों में से काइफ़ा ज़्यादा होशियार और चालाक था। हर होशियार शख्स काइफ़ा की सी खूबी के साथ इन शतरंजी चालों को ना चल सकता।

(3)

अब मुक़दमा यहूदी अदालत से रूमी अदालत में मुंतकिल हो गया। यहूदी सदर-ए-अदालत (Sanhedrin) का प्रैज़ीडेंट सरदार काहिन काइफ़ा था। रूमी अदालत का सदर गवर्नर पीलातुस था। जो प्रेटोरियम (Pretorium) में बहैसीयत कैसर तबरेस (जो रूमी मज़हब का सरदार काहिन था) के वायसराए होने के तख्त अदालत पर मुतमक्किन था। यहां ये सवाल पैदा होता है कि क़ानून की नज़र में दोनों अदालतों की क्या हैसियत थी और उन का बाहमी ताल्लुक़ किया था? कैसर रुम की हुकूमत से पहले अदालत-ए-आलिया (Sanhedrin) को ये इख्तियार हासिल था कि वो मौत का फ़त्वा सादिर करने के बाद खुद ही मौत की सज़ा भी दे दे। लेकिन जब मुल्क कैसर रुम के मातहत हो गया तो अदालत-ए-आलिया (Sanhedrin) से मौत की सज़ा देने का इख्तियार छीन लिया गया। क्योंकि हर यहूदी मुल्जिम कैसर रोम की रईयत था। पस उस को बहैसीयत रियाया होने के ये हक़ हासिल हो गया था कि कैसर के नुमाइंदे और रोमी क़ानून की पनाह में हो। यहूदी अदालत में मुक़द्दमे की समाअत (सुनवाई) जो की गई थी वो मौत

के फ़त्वे सादिर होने तक अदालत-ए-आलिया (Sanhedrin) के इख्तियार में थी, लेकिन ये समाअत (सुनवाई) फ़त्वे के साथ ही खत्म हो गई थी। मौत की सज़ा देना कैसर रुम के नुमाइंदे के हाथ में था। (युहन्ना 18:31)

हम को याद रखना चाहिए कि जब मुकद्दमा पीलातुस के सामने आया तो वो अदालत-ए-आलिया (Sanhedrin) के फैसले के खिलाफ़ अपील के तौर पर नहीं आया था। रूमी अदालत कोई कोर्ट आफ़ अपील (Court of Appeal) ना थी और ना जनाब मसीह ने अदालत-ए-आलिया (Sanhedrin) के फैसले के खिलाफ़ रूमी अदालत में कोई अपील दायर की थी। लेकिन इस के साथ ही पीलातुस की हैसियत किसी ऐगज़ैक्टिव ऑफीसर की सी ना थी। जिसका काम ये हो कि अदालत-ए-आलिया (Sanhedrin) के फैसले को बे चूं व चरा पूरा करके मुल्जिम को मरवा डाले।

पीलातुस के इख्तियार में था कि वो मुकद्दमे की रुइदाद (روئداد) की देख-भाल करे। रूमी कानून की रू से उस पर मुकद्दमे की निगरानी करना लाज़िम था। इन दोनों अदालतों के बाहमी ताल्लुकात की नज़ीर मौजूदा ज़माने में ग़ालिबन हिन्दुस्तान की हाईकोर्ट और प्रिवी कौंसिल की जोडेशनल कमेटी (Judicial Committee of the Privy Council) के बाहमी ताल्लुकात में पाई जाती है। ये कमेटी बार-बार इस बात पर इसरार करती थी कि वो कोर्ट आफ़ क्रीमिनल अपील (Court of Criminal Appeal) नहीं है। ताहम उस को ये इख्तियार हासिल था कि वो इस अम्र का ख्याल रखे कि किसी वजह से इन्साफ़ का खून ना होने पाए।

बईना यही इख्तियार पीलातुस को भी हासिल था। इस के इलावा उस को दीगर इख्तियारात भी हासिल थे। मुकद्दमे में वो ना सिर्फ़ तरफ़ैन के बयान सुन सकता था, बल्कि वो खुद मुल्जिम से सवालात करके असल हकीकत को मालूम करने का इख्तियार रखता था। उस को ये इख्तियार भी हासिल था कि वो खुद गवाहों को बुलवाकर मुआमले की तह तक पहुंचे। वो यहूदी सदर अदालत (Sanhedrin) के फैसले को भी बरतरफ़ कर सकता था और सज़ा-ए-मौत को बरतरफ़ करके सज़ा में तख़फ़ीफ़ कर सकता था या मुल्जिम को बरी करार देकर उस को आज़ाद कर सकता था।

हमको ये अम्र भी मलहूज खातिर (याद) रखना चाहिए कि पीलातुस चीफ़ जज होने के इलावा गवर्नर और हाकिम भी था और सूबा के अमन आम्मा के तहफ़फ़ुज़ का ज़िम्मेदार था। उस का ना सिर्फ़ ये काम था कि अदालत की कुर्सी पर बैठ कर इन्साफ़ करे, बल्कि उस का ये भी फ़र्ज़ था कि सूबा का बेहतरीन तौर पर इंतज़ाम करे। वो ना सिर्फ़ चीफ़ जस्टिस था, बल्कि ला और आर्डर (Law & Order) का हैड था। मौजूदा ज़माने में इस की मिसाल किसी ज़िले के डिप्टी कमिशनर की सी है, जो ना सिर्फ़ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है बल्कि ज़िला का ऐगज़ैक्टिव अफ़सर भी होता है। पीलातुस

की जात में जुदेशरी और ऐगजैक्टिव (Judiciary & Executive) इख्तयारात दोनों जमा थे। पस उस का ये काम था कि वो ना सिर्फ मुल्जिम के साथ इन्साफ़ करे, बल्कि अगर वो मुकद्दमे में किसी किसम की खामी देखे तो उसी को या बरी कर दे या सज़ा में तख्फ़ीफ़ कर दे और अमन आम्मा को सामने रखकर मुल्जिम की हिफ़ाज़त की तदाबीर को अमल में लाए ताकि वो मुक़ामी मुफ़सिदों से रूमी क़ानून की पनाह में रहे। लेकिन इन हिफ़ाज़ती तदाबीर से पहले ज़रूरी था कि पीलातुस मुकद्दमे की तह तक पहुंच कर दर्याफ़्त करे कि आया मुल्जिम बेगुनाह है या नहीं और अगर ये साबित हो जाए कि वो बेकसूर है तो उस को बरी कर दे, वरना उस की मौत रूमी सल्तनत के इन्साफ़ के दामन पर ना मिटने वाले खून का धब्बा होगी।

(4)

मुबारक जुमेअ के रोज़ जब पीलातुस अदालत की कुर्सी पर बैठा तो यहूदीयों की तरफ़ से सरदार काहिन काइफ़ा “इब्ने-अल्लाह (जनाबे ईसा) को मुजरिम करार देकर उस के सामने लाया और दरख्वास्त की कि इस को फ़ौरन सज़ा-ए-मौत दी जाये, क्योंकि उन की ईदे फ़िस्ह की सुबह है। इस पर पीलातुस चौकन्ना हो गया। उस के दिल में ये सवाल पैदा हुआ कि उस के पास दस्तूर के खिलाफ़ ईद-ए-फ़िस्ह के दिन जब यहूदी क़ानून के मुताबिक़ इस किसम की कार्रवाई करना मना थी, एक ऐसा मुकद्दमा क्यों लाया गया है जिसमें मुल्जिम को मुस्तूजिब-ए-क़त्ल करार दिया गया है? और सरदार काहिन ने क्यों ये दरख्वास्त की है कि उस को फ़ौरन सज़ा दी जाये? और मुकद्दमे की रुवेदाद यहूदी क़ानून और दस्तूर के खिलाफ़ क्यों ईद से पहले की शाम को मुकम्मल की गई? जब यहूदी क़ानून के अल्फ़ाज़ वाज़ेह हैं कि “इस किसम के मुकद्दमे की समाअत (सुनवाई) सब्त से पहले की शाम को या किसी ईद तहवार से पहले की शाम को ना हो।”

इलावा अर्जी मुकद्दमे की समाअत (सुनवाई) के दौरान में उस को मालूम हो गया कि अदालत-ए-आलिया (Sanhedrin¹⁹) ने यहूदी शरीअत व क़ानून की सब पाबंदीयों को बे दरेग तोड़ा है। पस उस ने तहय्या कर लिया कि वो असल मुआमले को मालूम करके इन्साफ़ करेगा। अनाजील के बयान के मुताबिक़ मुकद्दमे के दौरान में उस ने हर तरह से कोशिश की कि वो इन्साफ़ को मद्द-ए-नज़र रखकर अपना फ़ैसला दे। उस को बहैसीयत जज और गवर्नर होने के ना सिर्फ़ अपने फ़राइज़ का एहसास था, बल्कि वो ये भी जानता था कि वो कैसर रुम के पास अपनी ज़िम्मेदारीयों की अदायगी का जवाबदेह है। पीलातुस के ज़हनी फ़ैसले को उस नज़ारे से भी तक्वियत मिली जो उस की आँखों के सामने था। एक तरफ़ यहूदी हुज़ूम का बेपनाह जोशो-खरोश और सरदार

¹⁹ [Sanhedrin](#)

काहिन जैसी मुक़तदिर हस्ती का होना और दूसरी तरफ़ एक बेकस व लाचार और बे-यार तन्हे तन्हा मुल्जिम जिसका ना कोई दोस्त था और ना सफ़ाई का गवाह जो इस आड़े वक़्त में उस के काम आता। लेकिन पीलातुस ये भी देखता था कि मुल्जिम पर यहूदी हुजूम के जोश का कोई असर नज़र नहीं आता था और ना उस के चेहरे पर हवाईयां उड़ती थीं। वो निहायत इत्मीनान और शांति के साथ खड़ा था। भीड़ के लोग उस पर आवाज़े कसते थे, लेकिन वो सुकून से सब दिलखराश बातें सुनता था और सब्र और मुहब्बत से बर्दाश्त किए जाता था। इन हालात में ये नामुम्किन और ग़ैर फ़ित्रती बात होती अगर जज की हम्ददी मुल्जिम के साथ ना होती। पीलातुस ने मुसम्मम इरादा कर लिया कि वो मुल्जिम के साथ इन्साफ़ बरतेगा।

(5)

गवर्नर पीलातुस सरदार काहिन काइफ़ा के हथकंडों से वाकिफ़ था। उस ने भाँप लिया कि वो हुजूम को इस गरज़ से अपने हमराह लाया है कि पहले की तरह उस को मरऊब कर ले। पस उस ने सरदार काहिन को तुर्शी से मुखातब करके पूछा “तुम इस पर क्या इल्जाम लगाते हो?” सरदार काहिन ने गुस्ताखाना जवाब दिया। “अगर ये क़सूरवार ना होता तो हमको क्या ज़रूरत पड़ी थी कि उसको आज के दिन तेरे पास लाते?” (युहन्ना, 18:29-30) सरदार काहिन के जवाब से (जो दरहकीकत ना कोई सबूत था और ना कोई इल्जाम था) पीलातुस को मालूम हो गया कि मुल्जिम के खिलाफ़ दरहकीकत कोई इल्जाम नहीं है। इंजीली बयान से मालूम होता है कि सरदार काहिन को पीलातुस की अदालत में भी वही मुश्किल दरपेश आई जो उस को अपनी अदालत में पेश आई थी। यानी “इब्ने-अल्लाह (जनाबे ईसा) के खिलाफ़ कोई खास इल्जाम नहीं लगा था जो किसी अदालत में मुक़द्दमे की बिना हो सकता हो। पस सरदार काहिन एक नई चाल चला। उस ने इब्ने-अल्लाह पर तीन इल्जाम लगा दिए जिनका उस की अपनी अदालत में जिक्र तक ना हुआ था और ना उनके बिना पर आप पर मौत का फ़त्वा लगाया गया था। उस ने किज़ब बयानी (झूठा बयान) करके गवर्नर को कहा कि हमारी अदालत ने तीन उमूर के बिना पर इस को वाजिब-उल-क़त्ल करार दिया। :-

- (1) ये शख्स क्रौम यहूद को बहकाता है। वो तमाम यहूदियह में बल्कि गलील से लेकर यरूशलेम तक लोगों को सिखा सिखा कर उभारता है।
- (2) वो कैसर को खराज (टेक्स) देने से मना करता है।
- (3) वो अपने आपको यहूदीयों का बादशाह मसीह कहता है। (लूका 23:2-5)

जब सरदार काहिन इब्ने-अल्लाह (जनाबे ईसा) पर इल्जाम लगा चुका तो पीलातुस ने मुक़द्दमे की तफ़्तीश शुरू कर दी। सरदार काहिन ने गवाह पेश किए, लेकिन मुल्जिम ने ना तो गवाहों की जरह की और ना उन की गवाही से मरऊब हो कर हिरासॉ हुआ। बल्कि रुअब आमैज़ खामोशी से चिपका उन के इल्जाम और बयानात सुनता रहा।

जज के देखने में ऐसी बात कभी ना आई थी। वो इब्ने-अल्लाह के वतीरा से हैरान और शशदर रह गया। (मती 27:14) मुकद्दमे की समाअत (सुनवाई) के दौरान में गवाहों की शहादत ने पीलातुस पर यह ज़ाहिर कर दिया कि इब्ने-अल्लाह के खिलाफ़ दरहकीकत कोई ठोस इल्जाम नहीं है, जिसकी बिना पर उस पर मुकद्दमा चल सके। क्योंकि पहला इल्जाम कि इब्ने-अल्लाह (जनाबे मसीह) क्रौम को गुमराह करते रहे हैं, सरीहन मज़हब के साथ ताल्लुक रखता था जिसका ना तो सियास्यात के साथ कोई वास्ता था और ना उस की सज़ा क़त्ल थी। दूसरा इल्जाम कि “इब्ने-अल्लाह (عيسى بن مريم) कैसर को खराज (टेक्स) देने से मना करते थे, बेसरोपा था। क्योंकि गवाहों की शहादत (गवाही) साबित करती थी कि इस क्रिस्म का इल्जाम आपकी ताअलीम और अम दोनों के खिलाफ़ है।

पीलातुस ये भी जानता था कि अगर इस इल्जाम में कुछ सदाक़त होती तो सरदार काहिन “इब्ने-अल्लाह (عيسى بن مريم) को मौरिद-ए-इल्जाम ना गर्दानता और ना आपको रूमी अदालत में पेश करता और ये बात सच्च भी थी। क्योंकि अगर “इब्ने-अल्लाह (عيسى بن مريم) फ़िल-हकीकत बागी होते तो जैसा हम कह चुके हैं रऊसा यहूद आपको अपने सयासी अग़राज़ का आलाकार बना लेते। आपसे अगर उन को कोई शिकायत थी तो ये थी कि आप रूमी सलतनत से बगावत की तल्कीन नहीं करते थे। सरदार काहिन ने अपने हुसूल-ए-मतलब के लिए आप पर यह इल्जाम तो लगा दिया कि आप बागी खयालात के इन्सान हैं, लेकिन दरहकीकत उन की शिकायत ये थी कि आप बागी नहीं। पीलातुस भी इस रमज़ को भाँप गया। पस उस ने ये फ़ैसला दिया कि ये दूसरा इल्जाम भी साबित नहीं। तीसरा इल्जाम निहायत संगीन था कि आपने बादशाह होने का दावा किया है। चारों अनाजील इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि पीलातुस ने इस संगीन इल्जाम की अच्छी तरह तफ़्तीश की। उस ने इब्ने-अल्लाह (जनाबे ईसा) से पूछा “क्या तू यहूदीयों का बादशाह है?” आपने जवाब में फ़रमाया “तू खुद कहता है।”, जिसका यहूदी क़ानून के मुताबिक़ ये मतलब था कि “तू अपने क़ौल को साबित कर, गवाहों को तलब कर और तस्दीक़ कर ले। चूँकि मुआमला संगीन था, पीलातुस पर लाज़िम हुआ कि वो इस बात की तह को पहुंचे। पस वो आपको अंदर प्रीटूरीयम में ले गया ताकि ख़ल्वत (तन्हाई) में असल हालात को दर्याफ़्त करे। ईद फ़िस्ह की सुबह होने की वजह से सरदार काहिन और यहूद नापाक हो जाने के ख़दशे (डर) से अंदर ना गए। वहां क़िले के अंदर ख़ल्वत (तन्हाई) में जज और मुल्जिम के दर्मियान जो गुफ़्तगु हुई, वो दुनिया के मशहूर मुकद्दमात में अपनी नज़ीर नहीं रखती। चुनान्चे मुकद्दस युहन्ना लिखते हैं कि पीलातुस ने पूछा कि क्या तू यहूदीयों का बादशाह है? यसूअ ने जवाब दिया मेरी बादशाहत दुनिया की नहीं। इस का सबूत ये है कि अगर मेरी बादशाहत दुनिया की होती तो मेरे खादिम लड़ते। पीलातुस ने उस से कहा क्या तू बादशाह है? जनाबे ईसा ने जवाब दिया मैं इस लिए पैदा हुआ हूँ और इस लिए दुनिया में आया हूँ

कि हक की गवाही दूं। जो कोई सच्चाई का है वो मेरी आवाज़ सुनता है। पीलातुस ने उस से कहा सच्चाई क्या है? (युहन्ना 18:33-38) इंजील के अल्फ़ाज़ जाहिर करते हैं कि इस खलवती (तन्हाई) की मुलाकात में गवर्नर ने अपनी हुकूमत और इख्तियार को बरतरफ़ करके “इब्ने-अल्लाह” से सवाल किए और आप ने उस को अक्रील व फ़हीम रूमी और फ़राख नज़र इन्सान ख़याल करके जवाब दीए। आपने उस को आलमबाला की एक नई दुनिया का नज़ारा दिखाया जो अब तक उस की नज़रों से ओझल रहा था।

आपने फ़रमाया हूँ मैं बादशाह हूँ, लेकिन इस दुनिया की बादशाही का दावेदार नहीं हूँ। एक और दुनिया है जो दुनिया-ए-हक़ है। मैं उस का ताजदार हूँ और जो हक़ की पैरवी करता है, वो मेरा गुलाम है और मैं उस का आका हूँ। इस जवाब से पीलातुस पर ये बात अयाँ हो गई कि इब्ने-अल्लाह कैसर रुम के रकीब या हरीफ़ नहीं हैं और दुनियावी सल्तनत का ख़याल भी आपके दिल में कभी नहीं आया। क्योंकि अगर आप बागी होते तो जाहिर है कि आपके पैरों (मानने वाले) आपकी खातिर जंग और ख़ूरेज़ी करते और आप इस बेसर-ओ-सामानी की हालत में ना होते। उसने सोचा कि मुल्जिम सच्च कहता है और उस ने ये कहा भी है कि **“मैं सच्च की गवाही देता हूँ और जो कोई सच्चाई का है वो मेरी पैरवी करता है।”** इन अल्फ़ाज़ ने जज को मुतास्सिर कर दिया। पीलातुस के खयालात ने ऐसी फ़िज़ा में परवरिश पाई थी जो कैसर तबरीस के दरबार की थी। जहां कोई शख्स रूमी मज्हब के बुतों का काइल ना था जो उमराए दरबार की नज़र में बे-हकीकत थे।

रउसा-ए-सल्तनत का असल मज्हब हुब्ब-उल-वतनी (वतन से मुहब्बत) और इम्पैरियलइज़्म (Imperialism) की परस्तिश था। कैसर रुम जो सल्तनत की अज़मत का जिंदा निशान था, हकीकी देवता था, जिसकी सब छोटे बड़े परस्तिश करते थे। जो शख्स कैसर परस्ती नहीं करता था वो सल्तनत का दुश्मन और ग़दर तसव्वुर किया जाता था। लेकिन इस किस्म की परस्तिश इन्सान की रूह को ऊपर नहीं उठा सकती और ना उस के रूहानी तकाज़ाओं की प्यास को बुझा सकती है। इब्ने-अल्लाह (जनाबे मसीह) ने पीलातुस को फ़रमाया था कि मेरा पैदाइशी हक़ है कि मैं हक़ और सच्चाई की सल्तनत का ताजदार हूँ और मेरी आमद का मक़सद ही ये है कि दुनिया को हक़ की तरफ़ दावत दूं। पीलातुस दिल में सोचता था कि आखिर ये हक़ क्या चीज़ है? सच्चाई किस को कहते हैं? जिसकी उस शख्स के मुताबिक़ पैरवी करनी हर इन्सान पर लाज़िम है, ताकि उस की रूह इस माद्री दुनिया से बालातर हो सके। ये नई ताअलीम क्या है जो ये शख्स देता है? अगर इस नई ताअलीम में सच्चाई है तो वो सब पुराने खयालात जिनमें मेरी परवरिश हुई है, बातिल हैं।

बहरहाल इस नई ताअलीम का बगावत के साथ किसी किस्म का ताल्लुक़ नहीं और ना ये ताअलीम रूमी सल्तनत के क़ानून के खिलाफ़ है। मुल्जिम महज़ एक ख़्वाब

बीन है जिसने हक के उसूल को अपनी अमली जिंदगी की रोशनी बना रखा है। वो अपने हक के उसूल की खातिर जान देने को भी तैयार है। ऐसे शख्स का खून करना अदल और इन्साफ का खून करना है और यह एक ऐसी भयानक बात है कि मैं इस का हरगिज मुर्तकिब ना हूँगा। “पस पीलातुस यहूदीयों के पास फिर बाहर गया और उन से कहा कि मैं इस का कुछ जुर्म नहीं पाता।” (युहन्ना 18:38 वगैरह) रूमी अदालत में मुकद्दमा खत्म हो गया। चीफ़ जस्टिस ने हुक्म सुना दिया। “मैं इस का कुछ जुर्म नहीं पाता।” रूमी सल्तनत के क़वानीन के मुताबिक़ “इब्ने-अल्लाह” बरी करार पाए।

9. मुनज्जी आलमीन (जनाबे मसीह) की सलीबी मौत मसअला तक्दीर

एक साहब लिखते हैं: “आपने अपनी किताब (दीन फ़ित्रत इस्लाम या मसीहीयत?) में लिखा है कि क़ुरआनी आयात में निहायत वाज़ेह तौर पर क्रिस्मत और तक्दीर को माना गया है, लेकिन इंजील तक्दीर की काइल नहीं। अगर ये दुरुस्त है तो मसीह के इस क़ौल का क्या मतलब है कि “इब्ने-आदम तो जैसा उस के हक़ में लिखा है, जाता ही है, लेकिन उस आदमी पर अफ़सोस जिसके वसीले से इब्ने-आदम (मसीह) पकड़वाया जाता है। अगर वो आदमी पैदा ना होता तो उसके लिए अच्छा होता।” (मत्ती 26:24)

जवाबन अर्ज है कि :-

इस दुनिया में दो क्रिस्म के इन्सान होते हैं। एक क्रिस्म के आदमी वो सईद इन्सान हैं जो हर हालत में मशियत-ए-एज़दी और नेकी की पैरवी करना चाहते हैं। दूसरी क्रिस्म के आदमी कजरौ, बदकार, बदमाश और सितम-शिआर (जिसे जुल्म करने की आदत हो) होते हैं, जिनमें बदी और शरारत फ़ितरत-ए-सानी बन चुकी है। पहली क्रिस्म के इन्सान निहायत हौसलामंदी और इस्तिक़लाल से अपनी जिंदगी के हर शोअबे में सिर्फ़ उन उमूर् को सरअंजाम देना चाहते हैं जो रज़ा-ए-ईलाही के मुताबिक़ होते हैं। उन को इस बात की मुतलक़ परवाह नहीं होती कि खुदा की मर्जी को पूरा करने में उन को बदी की ताक़तों से नासाज़गार हालात से और ग़ैर मुवाफ़िक़ माहौल से जान तोड़ मुक़ाबला करना पड़ेगा। वो कहते हैं कि “हरचेबादाबाद”

(هرچہ باداوار) (जो हो सो हो) कुछ ही क्यों ना हो हम खुदा से तौफ़ीक़ हासिल करके हर किस्म की रुकावट पर ग़ालिब आएँगे। उन को इस बात की रती भर परवाह नहीं होती कि अवामुन्नास उनके खिलाफ़ हैं या हुकूमत और बादशाह उनके खिलाफ़ परे बाँधे हैं। उन को अपने अंजाम का भी मुतलक़ ख़्याल नहीं होता। ऐसे मुस्तक़िल मिज़ाज सईद इन्सान रोज़ाना देखने में नहीं आते, बल्कि करोड़ों आदमीयों में कभी-कभार नज़र आते हैं और यही इन्सान दरहकीक़त ज़मीन का नमक और दुनिया का नूर होते हैं।

जब इस किस्म के इन्सान बेधड़क हो कर नेकी की राह पर चलते हैं तो उन का कजरो बदकिर्दारों के साथ तसादुम हो जाना एक कुदरती, लाज़िमी और अटल बात हो जाती है और हर शख्स जिसमें ज़रा भी सूझ-बूझ है बेताम्मुल कह देता है कि सईद और सालिह इन्सान की ज़िंदगी दुख और मुसीबत का एक लामतनाही (बेइन्तहा, जिसकी इन्तहा ना हो) सिलसिला रहेगी। अगर उसने बदी की ताक़तों से रवादारी इख़्तियार ना कर ली तो उसी के हक़ में अच्छा ना होगा, बल्कि उस का अंजाम बर्बादी और मौत होगा। इस क़ौल से उस का मतलब ये नहीं होता कि सालिह (नेक) आदमी की किस्मत और तक्दीर में ये लिखा है कि उस का अंजाम मौत है, बल्कि उस का मतलब ये होता है कि दुनिया के मौजूदा हालात में जब नेकी और बदी की ताक़तों की आपस में टक्कर हो जाती है तो नेक इन्सान को अपने उसूलों पर डट कर मुक़ाबला करने की वजह से मुख़ालिफ़त, बदसुलूकी, अज़ीयत, मुसीबत और मौत का सामना करना पड़ता है।

(2)

इस किस्म के सालिह (नेक) इन्सानों की मिसाल हमको अम्बिया-ए-उज़्ज़ाम की ज़िंदगीयों में नज़र आती है। चुनान्चे हज़रत कलिमतुल्लाह (ﷺ) का इर्शाद है “कोई नबी अपने वतन में इज़्ज़त नहीं पाता।” (लूका 4:24) “लोगों ने नबियों को सताया” (मत्ती 5:12) “तुम नबियों के कातिलों के फ़र्ज़द हो।” (मत्ती 23:32) “ये यरूशलेम तू नबियों को क़त्ल करती है। और जो तेरे पास भेजे गए उन को संगसार करती है।” (मत्ती 23:37) इब्ने-अल्लाह ने अम्बिया-ए-यहूद की ज़िंदगीयों से ये सबक़ सीखा था कि जो शख्स रज़ा-ए-ईलाही को अपना खाना और पीना समझता है और बे-खौफ़ व हिरास खुदा की मर्ज़ी को उस के बंदगान पर कमा-हक्का ज़ाहिर करता है। उस की ज़िंदगी फूलों की सेज होने की बजाय एक पुर खतर राह होती है, जो कांटों से बिछी होती है और मौत और क़त्ल उस का अंजाम होता है। इंजील जलील का मुतालआ हम पर ज़ाहिर कर देता है कि हज़रत कलिमतुल्लाह (ﷺ) ने यसअयाह नबी के दूसरे

हिस्से (अबवाब) चालीस (40) ता आखिर का बखूबी गौर और तदब्बुर के साथ मुतालआ किया था। आप उन तमाम मुकामात का इतलाक अपने ऊपर करते थे जिनमें “खुदा के रास्तबाज़ खादिम का जिक्र आता है। आपको बखूबी इल्म था कि आपका उस रास्तबाज़ खादिम का हश्र होगा यानी उस बरह का सा होगा, “जिसे ज़बह करने को ले जाते हैं।” और आप को “अपनी जान मौत के लिए उंडेल” देनी पड़ेगी।

हज़रत युहन्ना बपतिस्मा देने वाले का नमूना आपकी नज़रों के सामने था, जिसको रास्तबाज़ी पर अमल करने की खातिर अपनी जान से हाथ धोने पड़े थे। (मती 14 बाब) आपने अपनी सहि साला तब्लीगी खिदमत के दौरान में इस टक्कर का नतीजा खुद देख लिया था और फ़रीसियों, फ़कीहों, रब्बियों, काहिनों और सरदार काहिनों बल्कि बादशाह हेरोदेस से भी मुखालिफ़त सीहड़ली थी।) लूका 13:31-32, मरकुस 2:6, 16:18, 24, 3:6, 30, 7:1-13, 8:11,15 वगैरा)

आपको दूर ही से मौत और सलीब नज़र आ रही थी। नौबत (वक़्त) यहां तक पहुंची कि सरदार काहिन ने सदर अदालत के लोगों को जमा करके कहा “तुम्हारे लिए यही बेहतर है कि वो मारा जाये।...और वो उसी रोज़ से उसे क़त्ल करने का मश्वरा करने लगे।” (युहन्ना 11 बाब) दरें हालात आपने बार-बार अपने हवारियों से कहा “ज़रूर है कि इब्ने-आदम बहुत दुख उठाए और बुजुर्ग और सरदार काहिन और फ़कीह उसे रद्द करें और वो क़त्ल किया जाये। और सबसे कहा “अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपनी खुदी से इन्कार करे और हर रोज़ अपनी सलीब उठा कर मेरे पीछे होले क्योंकि जो कोई अपनी जान बचाना चाहे वो उसे खोएगा और जो कोई मेरी खातिर अपनी जान खोए वही उसे बचाएगा। आदमी अगर सारी दुनिया को हासिल कर ले और अपनी जान को खोदे या उस का नुक़सान उठाए तो उसे क्या फ़ायदा होगा? (लूका 9:22)

इन इर्शादात में हज़रत कलिमतुल्लाह (ﷺ) ने एक अटल अख़लाकी क़ानून और रुहानी हकीक़त का बयान किया है कि हर शख़्स को जो रज़ा-ए-ईलाही को पूरा करना चाहता है आफ़ात व मसाइब और बिलआखिर मौत का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। (मरकुस 13:9 वगैरह) जिस तरह बैरूनी कायनात और निज़ाम-ए-शम्सी के लातब्दील क़ानून होते हैं, इसी तरह ये भी अख़लाकी दुनिया का एक अटल क़ानून है। इसी वास्ते मुक़द्दस नविशतों में ये लिखा भी है और मुनज्जी आलमीन (जनाबे मसीह) इसी क़ानून की तरफ़ इशारा करके फ़रमाते हैं कि “जिस तरह मुक़द्दस नविशतों में लिखा है “इब्ने-आदम तो जाता ही है।” इस मसअले का तक्दीर से दूर का वास्ता भी नहीं है, क्योंकि हर शख़्स की मर्ज़ी पर मुन्हसिर है कि वो रज़ा-ए-ईलाही की पैरवी करे। इस में कोई ज़बर व अक्राह नहीं। लेकिन अगर वो रज़ा-ए-ईलाही की पैरवी करने का फ़ैसला करेगा तो अख़लाकी दुनिया के क़ानून के मुताबिक़ उस का नतीजा मौत और

कत्ल होगा। अगर वो शैतान की पैरवी करेगा तो इसी अखलाकी दुनिया के अटल कानून के मुताबिक इसका नतीजा रुहानी मौत और खुदा से दूरी होगा।

पस अखलाकी दुनिया के इन कवानीन के मातहत खुदावंद ने फ़रमाया “हम यरूशलेम को जाते हैं। इब्ने आदम सरदार काहिनों और फ़कीहों के हवाला किया जाएगा और वो उस के कत्ल का हुक्म देंगे और उसे गैर कौमों के हवाले करेंगे और वो उसे ठट्ठा (हंसी) में उड़ाएंगे और उस पर थूकेंगे। उसे कोड़े मारेंगे और कत्ल करेंगे।” (मरकुस 10:33) एक और जगह यूं मर्कूम है “वो अपने शागिर्दों को ताअलीम देता था कि इब्ने आदम आदमीयों के हवाले किया जाएगा और वो उस को कत्ल करेंगे।” (मरकुस 9:31) और फिर ताकीद करके आप ने फ़रमाया “तुम्हारे कानों में ये बातें पड़ी रहें क्योंकि इब्ने आदम आदमीयों के हाथ में हवाले किए जाने को है। लेकिन वो इस बात को ना समझते थे।” (लूका 9:44) पर इब्ने-अल्लाह चाहते थे कि आपके रसूल इस अखलाकी कानून और रुहानी हकीकत को अच्छी तरह समझ जाएं, क्योंकि उन को भी इन्ही मुजाहमतों से वास्ता पड़ने वाला था। (मत्ती 24:8 ता 13 वगैरह) लिहाजा अपनी ज़फ़रयाब क्रियामत (जी उठने) के बाद भी आपने अपने शागिर्दों से फ़रमाया “ऐ नादानो और नबियों की सब बातों के मानने में सुस्त एतकादो। क्या मसीह को यह दुख उठा कर अपने जलाल में दाखिल होना जरूर ना था?” (लूका 24:26) आया-ए-शरीफा में ज़ेरे बहस है खुदावंद फ़रमाते हैं कि “इब्ने आदम तो जाता ही है।” यहां जैसा हम ऊपर जिक्र कर चुके हैं किस्मत और तक्दीर का सवाल ही पैदा नहीं होता। जब हम इन अल्फ़ाज़ का असली मतलब मालूम करते हैं तो ये बात और भी वाज़ेह हो जाती है। मुक़द्दस युहन्ना इंजील चहारूम में इन अल्फ़ाज़ का मतलब हमको बड़ी तफ़्सील के साथ समझाते हैं। (7:33+8:14, 21+13:3, 33,36+14:4-8, 28+16:5,10, 16-22 वगैरा) इन आयात बय्यनात की रोशनी में हमको पता चलता है कि इब्ने-अल्लाह को अपने “जाने” का ग़म या अफ़सोस ना था। आपने फ़रमाया “मैं भेड़ों के लिए अपनी जान देता हूँ। बाप मुझसे इस लिए मुहब्बत रखता है कि मैं अपनी जान देता हूँ। कोई उसे मुझसे नहीं छीनता बल्कि मैं उसे आप ही देता हूँ। मुझे उस के देने का भी इख्तियार है और उसे फिर लेने का भी इख्तियार है।” (युहन्ना 10:15 ता 18) पस यहां तक्दीर और मजबूरी के लिए कोई जगह नहीं। बल्कि मुनज्जी आलमीन (जनाबे मसीह) फ़ाईल खुद-मुख्तार होने की हैसियत से ब-रज़ा व रग़बत-ए-खुद मौत के पियाले को पीते हैं। (युहन्ना 18:11) बल्कि आप फ़रमाते हैं कि आप निहायत ज़ौक व शोक से मौत के मुंतज़िर हैं मुझे एक बपतिस्मा लेना है और जब तक वो ना होले मैं क्या ही तंग रहूँगा। (लूका 12:50, मत्ती 20:28, फिलिप्पियों 2:8 वगैरह) मैं इसी मक्सद के लिए आया हूँ कि अपनी जान बहुतेरों के बदले फ़िद्या में दूँ।

(3)

ये जाहिर है कि अखलाकी दुनिया के कानून और मज़कूर बाला रुहानी हकीकत के मुताबिक इब्ने-अल्लाह की तब्लीगी मसाई (مسألة) और ज़िंदगी का अंजाम सलीब और मौत थी तो उन अस्बाब को फ़राहम करने के लिए किसी ना किसी वसीले का होना भी लाज़िमी अम्र था। ये वसाइल क्या थे? ये वही दूसरी किस्म के कजरौ, बदकिर्दार इन्सान थे जो अपनी हवा व होस् (هو او هو) और खुद गर्जाना उमूर् को पूरा करने की खातिर नेकी की ताकत से टक्कर लेते हैं। वो अहले यहूद के बुजुर्ग, फ़रीसी और फ़कीह थे। उन के काहिन और सरदार काहिन भी उन के साथ शामिल थे। गवर्नर पीलातुस भी उनका शरीक था। यहूदी अवाम भी इस जमाअत में शामिल थी जो गवर्नर के सामने चिल्ला चिल्ला कर कहते थे।" उसे सलीब दे सलीब ! उस का खून हम पर और हमारी औलाद की गर्दन पर हो।" इस तमाम जमाअत का आला-ए-कार यहूदाह गद्दार था। (मरकुस 14, 15 बाब) लेकिन ये जाहिर है कि अगर जनाब मसीह को रुहानी दुनिया के कानून के मुताबिक शहीद होना ही था तो किसी ना किसी शख्स को आलाकार जरूर होना था। अगर यहूदाह इस्क्रियुती ना होता तो वो किसी और आलाकार की तलाश कर लेते। ये महज़ सूए इत्तिफ़ाक़ था कि यहूदाह ने जो आपके बारह हवारियों में से था इस फ़ेअल बद को अपने ज़िम्मे ले लिया। ये उस की किस्मत में नहीं लिखा था कि वो आपको पकड़वाएगा और ना ये बात इब्ने-अल्लाह की तक्दीर में लिखी थी कि आप अपने एक हवारी के हाथों पकड़वाए जाएंगे। बल्कि हालात ही ऐसे पैदा हो गए थे कि यहूदाह आपका पकड़वाने वाला बना।

आप यहूदाह पर अफ़सोस करके फ़रमाते हैं "मेरा पकड़वाने वाला मेरे साथ तबाक़ में हाथ डाले है। उस शख्स पर अफ़सोस है क्योंकि उस के वसीले इब्ने-आदम पकड़वाया जा रहा है।" अगर आप को अफ़सोस था तो अपने हवारी की बेवफ़ाई पर जिसने आपकी मुहब्बत और गुजश्ता ख़िदमत को पीठ पीछे फेंक कर फ़रामोश कर दिया था और अब मुनाफ़िक़ाना रवैय्या इख़्तियार करके आपके साथ एक ही तबाक़ (दस्तरख़वान) में खाना खा रहा था और मशरिकी वज़ादारी को भी बाला-ए-ताक़ रखकर गद्दारी के खयालात को अपने दिल में पाल रहा था। जनाब मसीह फ़रमाते हैं "अगर वो पैदा ना होता तो उसी के लिए अच्छा होता। क्योंकि उस ने नेकी और बदी की जंग में नेकी का साथ छोड़कर बदी को ब-रज़ा व रग़बत खुद इख़्तियार करके अपने लिए रुहानी मौत हासिल कर ली। जनाब मसीह उस से आख़िर तक मुहब्बत करते हैं। (युहन्ना 13:1) और मुहब्बत के मारे उस को एक आख़िरी मौका देते हैं कि वो सँभल जाये। वाज़िब तो ये था कि यहूदाह जनाब मसीह के इस कौल से मुतनब्बा (खबरदार) हो कर पछताता और तौबा करके अपने बद इरादे से बाज़ रहता। जनाब मसीह का मक्सद ये

था कि वो अपने रिसालत के ओहदे को जिस पर आप ने उस को मुम्ताज़ किया था याद रख कर बदी की ताकतों का आलाकार ना बने। लेकिन उस ने जान-बूझ कर फ़ाईल खुद-मुख्तार होने की हैसियत से ऐसा ना किया। जाये गौर है कि दीगर इन्सानों की तरह मुनज्जी आलमीन (जनाबे मसीह) उस को बददुआ नहीं देते। ना आप उस पर लानत भेजते हैं। ना आप पतरस जैसे जल्दबाज़ शख्स को उसे पकड़ लेने का हुक्म देते हैं, बल्कि उस के अंजाम पर इज़हार-ए-तास्सुफ़ करके फ़रमाते हैं “अगर वो पैदा ना होता तो उसी के लिए अच्छा होता।” ज़िंदगी खुदा का अतीया है, लेकिन यहूदाह इस अतीया को खुदा के जलाल और दुनिया को बेहतर बनाने की खातिर इस्तिमाल करने की बजाय दुनिया को तारीक बनाने और जुल्मत की ताकतों की मदद करने के लिए इस्तिमाल कर रहा था। उस ने पैदाइश की बरकत को ज़िंदगी की लानत में ब-रजा व रगबत खुद बगैर किसी तरह के जबर के तब्दील कर दिया। उस की रुहानी हालत लर्जा-बर-अनदाम (لرزه براندام) कर देने वाली और उस का अंजाम निहायत होलनाक था। उसके लिए ये बेहतर होता कि वो पैदा ना होता और ऐसे भारी गुनाह का बोझ उस की रूह पर ना पड़ता। आपने उस को पहले भी तंबीह देकर फ़रमाया था “ठोकरों के सबब दुनिया पर अफ़सोस है क्योंकि ठोकरों का लगना ज़रूर है, लेकिन उस आदमी पर अफ़सोस है जिसके बाइस से ठोकर लगे।” (मती 18:7)

(4)

हम इस नुक्ते को एक मिसाल से वाज़ेह कर देते हैं जो हमारी आँखों के सामने वाक़ेअ हुई है। महात्मा गांधी उन चंद चीदा अफ़राद में से थे जिन्होंने अपनी समझ के मुताबिक़ बदी की ताकतों के साथ सर धड़ की बाज़ी लगादी थी। जहां तक मुम्किन था आप ने अपनी समझ के मुवाफ़िक़ अपने उसूलों पर बेधड़क चलने की कोशिश की और अंजाम की परवाह ना की। बसा-अवक़ात आपकी टक्कर दुनिया की सबसे ज़बरदस्त सल्तनत के साथ हुई। आपने सत्य आगरा (हुक्मत के खिलाफ़ पुर-अमन तहरीक सच्चा अहद) और अहिंसा (अदम तशद्दुद, सलामती) के हथियारों से बदी की ताकतों का दिलेराना मुकाबला किया। इस सिलसिले में आप पर मुक़द्दमात चलाए गए। आपको ज़िंदान (जेल) में डाला गया। आपने फ़ाके किए। मरण बरत (वो रोज़ा (फ़ाका) जिसे करते करते इन्सान मर जाये) रखे।

दरें हालात बीसियों दफ़ाअ लोगों की ज़बान से बे-इख़्तियार ये कलिमा निकल जाता था कि महात्मा जी जान दे देंगे। बिल-आख़िर आप क़त्ल भी कर दिए गए, लेकिन कोई सहीह-उल-अक्ल शख्स ये नहीं कहेगा कि क़त्ल हो जाना उनकी क़िस्मत में लिखा था और कि क़ातिल की तक्दीर में ये लिखा था कि वो गांधी जी जैसे महापुरुष को जो सदीयों के बाद जाकर कहीं पैदा होता है, क़त्ल कर देगा। हकीकत ये है कि

अखलाक्री दुनिया के अटल क़ानून के मुताबिक़ ज़िंदगी की जो रविष महात्माजी ने इख़्तियार कर ली थी, उस का लाज़िमी नतीजा मौत था। ये महज़ इतिफ़ाक़ था कि ना वो ज़िंदान में फ़ौत हुए और ना मरण बरत के वक़्त उन्हीं ने अपनी जान दी, बल्कि उन के अपने लोगों में से एक ने आपको क़त्ल कर दिया। अगर उस के हाथों आपकी मौत वाक़ेअ ना होती तो किसी दूसरी तरह वाक़ेअ हो जाती। कोई दूसरा शख्स बदी की ताक़तों का आलाकार हो जाता। लेकिन क़ातिल के हक़ में दुनिया यही कहती है कि उस आदमी पर अफ़सोस जिसके हाथों महात्माजी क़त्ल हो गए। अगर वो आदमी पैदा ना होता तो उसी के लिए अच्छा होता।

ये मिसाल हमने इस वास्ते दी है क्योंकि ये ताज़ा वाक़िया हमारी आँखों के सामने गुजरा है और अखलाक्री दुनिया के इस लातब्दील क़ानून को समझने में हमारी मदद कर सकता है जिसका ज़िक़ हम ऊपर कर आए हैं। लेकिन इस मिसाल से कोई शख्स ये ख़याल ना करे कि हम महात्मा जी के क़त्ल को और मुनज्जी आलमीन (जनाबे मसीह) के मस्लूब होने को यकसाँ दर्जा देते हैं। इब्ने-अल्लाह ने दीगर नेक इन्सानों की तरह ना सिर्फ़ अपनी ज़िंदगी और मौत से रास्तबाज़ी की बादशाहत के क़वानीन पर अमल करके यसअयाह नबी के “ख़ुदावंद के ख़ादिम□ के मुतम्मा नज़र (असली मक़सद) को कामिल तौर पर साबित कर दिखाया, बल्कि आपकी रास्तबाज़ी इस कामिल ईसार और अज़ली मुहब्बत की कुर्बानी का एक ऐसा नमूना थी जो बेअदील और बेनज़ीर है। जिसको देखकर शकी-उल-क़ल्ब आदमीयों की शक़ावत सआदत (बुराई, भलाई) से बदल जाती है और वो अपने गुनाहों की माफ़ी हासिल करके अज़-सर-ए-नौ पैदा हो कर ख़ुदा के फ़र्जद बन जाते हैं। आपकी रास्तबाज़ी ने बदी की ताक़तों पर ऐसा ग़लबा पा लिया कि “मौत फ़त्ह का लुक़मा हो गई।” पस हर नजात याफ़ताह ईमानदार पुकार उठता है “ऐ मौत तेरा डंक कहाँ रहा? ख़ुदा का शुक्र है जो हमारे ख़ुदावंद यसूअ मसीह के वसीले हमको फ़त्ह बख़्शता है और हम को सब हालतों में फ़त्ह से भी बढ़कर ग़लबा हासिल होता है।”

▣वो तीसरे रोज़ मुर्दों में से जी उठा▣

10. जिंदा फ़ातिह मसीह

मुबारक जुमे के रोज़ यहूदी सरदार काहिनों ने जो कलिमतुल्लाह (كلمته الله) के खून के प्यासे थे। अपने नाजायज़ असर-ओ-रसूख (दबदबे) से रूमी गवर्नर के हाथों आपको मस्लूब करवा दिया। वो अपने ज़ाम-ए-बातिल में यही समझते थे कि जो कांटा उन की राह में मुद्दत से खटक रहा था, वो हमेशा के लिए निकल गया है। फ़रीसी अपनी जगह खुश थे कि अब "गुनाहगारों का यार" अवामुन्नास को खुदा की लाज़वाल मग़फ़िरत और अबदी मुहब्बत का पैग़ाम सुना सुना कर उन को बहका ना सकेगा। फ़कीह ठट्ठे से कहते थे "उस ने औरों को बचाया। लेकिन अपने आपको ना बचा सका।" जीलोतीस समझते थे कि अब यहूदी क्रौम की किस्मत फिर जाग उठेगी और वो रूमी क्रयासिर के खिलाफ़ अलम बगावत दुबारा बुलंद कर सकेंगे। क्योंकि वो शख्स जो मुहब्बत के उसूल का वाइज़ और उस पर आखिरी लम्हा तक कारबन्द रहा था आगोश-ए-लहद में सो गया है। रसूल बेकस व लाचार, खाइफ़ व हरासां हो कर ना उम्मीदी और यास की हालत में इधर उधर भागे फिर रहे थे। वो वफ़ूरे (ज्यादती, कस्रत) गम से ब-सद हसरत कहते "यसूअ नासरी मस्लूब किया गया। लेकिन हमको उम्मीद थी कि वही इस्राईल को मखलिसी देगा।" (लूका 24:20)

ये सब बातें जुमा के रोज़ हुईं। लेकिन दो दिन के बाद इतवार के रोज़ इब्ने-अल्लाह की ज़फ़रयाब क्रियामत (फ़तहमंद जी उठने) ने अहले यहूद के तमाम हलक़ों में क्रियामत-ए-सुगरा बरपा कर दी। हर तबके में एक तहलका मच गया। उस रोज़ यरूशलेम की दुनिया का नक्शा बदल गया। वो जो पहले खुश व खुरम फिरते थे, अब दुबारा फिर हिरासाँ नज़र आने लगे। वो जो पहले भागे फिरते थे, अब उन के चेहरों पर फुरत-ए-इंबिसात से फ़तहमंदी के आसार हर शख्स को नज़र आने लगे। साहिबे इक्तिदार और बारसूख रऊसा-ए-क्रौम ने हर मुम्किन तौर पर उन फ़तहमंद भगोड़ों को दबाने की कोशिश की। लेकिन उन की कोई तदबीर कारगर ना हुई। सोशल बाईकॉट, ज़जर-ओ-तौबीख, क़ैद और ईज़ा, तल्वार और मौत, गरज़ कि हर मुम्किन हर्बा उनके खिलाफ़ इस्तिमाल किया गया, लेकिन सब बेसूद। वो जो अपनी कमज़ोरी की वजह से "थाली का बैंगन" और "लोटा" बने हुए थे और मामूली लौंडी के एक ही सवाल से तरसाँ-ओ-लर्जा थे, अब शेर दिल हो गए और सरदार काहिनों को (जिनके हाथ में उन की जिंदगी और मौत थी) बरमला मलामत करके कहते थे "तुमने जिंदगी के मालिक को मरवा दिया था। तुम ही इन्साफ़ करो। आया खुदा के नज़दीक ये वाजिब है कि हम खुदा की

बात से तुम्हारी बात ज्यादा सुनें क्योंकि मुम्किन नहीं कि जो हमने देखा और सुना है वो ना कहें। (आमाल 4 बाब)

इस ज़बरदस्त तब्दीली की क्या वजह थी? उन को इस बात का यकीन हो गया था कि उनका खुदावंद मुर्दों में से जी उठा है। ऐसी बात तो पहले ना कभी देखी और ना सुनी गई थी। यही सबब था कि शुरू में ये बातें उन्हें कहानी सी मालूम हुईं और उन्होंने ने उनका यकीन ना किया। (लूका 24:19) लेकिन जब उन्होंने ने ज़िंदगी के मालिक ज़िंदा मसीह को “अपने कानों से सुना और अपनी आँखों से देखा बल्कि गौर से देखा और अपने हाथों से छुवा। (1 युहन्ना 1:1) “जब वो बारह को दिखाई दिया। फिर पाँच सौ से ज्यादा भाईयों को एक साथ दिखाई दिया। फिर याकूब को दिखाई दिया। फिर सारे रसूलों को (1 कुरंथियो 15:15) जब उस ने उन से कहा “ऐ नादानो और नबियों की सारी बातें मानने में सुस्त एतिक़ादो क्या मसीह को यह दुख उठा कर अपने जलाल में दाखिल होना ज़रूर ना था? “तब उन की आँखें खुलीं। उन के दिलजोश से भर गए और वो बे-इख्तियार एक दूसरे को ये खुशी की खबर देते थे। “खुदावंद बेशक जी उठा है। (लूका 24 बाब) फ़िलवाक़ेअ मुर्दों में से जी उठा है।” (1 कुरंथियो 15:20) ये बात ऐनुलयकीन की हद तक साबित हो चुकी थी और वो सर्व फ़रोशान इस हकीक़त की खातिर जो उनका जुज्व ईमान बन चुकी थी, मरने और मौत के घाट उतरने को तैयार थे। मसीहीयत का तुगरा-ए-इम्तियाज़ (तिगरा: निशानी, अलामत) यही क्रियामत मसीह का अक़ीदा था। अगर मसीह जी नहीं उठा तो तुम्हारा ईमान बेफ़ाइदा है। (1 कुरंथियो 15:17) अगर वो ज़िंदा नहीं हुआ और दीगर अम्बिया की तरह ज़र-ए-ज़मीन दफ़न है तो हज़रत “खलील-उल्लाह” “मूसा कलीम-उल्लाह जैसे अम्बिया-ए-अल्लाह में और “इब्ने-अल्लाह” में कोई हकीकी फ़र्क ना रहा। वो महज़ नबियों की क्रतार में ही शुमार किया जा सकता है। बड़ी से बड़ी बात जो उस के हक़ में कही जा सकती है, वो ये है कि वो एक उलुल-अज़म (बुलंद इरादे वाला) और जलील-उल-क़द्र नबी था और बस। लेकिन अगर वो मुर्दों में से जी उठा है तो वो मौत पर ग़ालिब आया है और सब पर रोज़ रोशन की तरह अयाँ हो गया है कि “इब्ने-अल्लाह” (जनाबे ईसा अल-मसीह) में और दीगर अम्बिया में बाद बअद-मशरिकेन् (बहुत ज्यादा फ़र्क, पूरब पच्छिम की दूरी) है। पस वो नबियों की सफ़ में खड़ा नहीं किया जा सकता। दीगर अम्बिया का ताल्लुक़ ज़माना माज़ी से था। उस का ताल्लुक़ दौर-ए-हाज़रा और ज़माना-ए-मुस्तक़बिल से है। दीगर अम्बिया महज़ तवारीखी अशखास थे जो सफ़ा-ए-हस्ती पर आकर अपनी यादगार छोड़ गए। लेकिन इब्ने-अल्लाह (जनाबे मसीह) ने खुद तारीख़ को दो हिस्सों में मुन्क़सिम (तक़सीम) कर दिया। एक ज़माना क़ब्ल-अज़-मसीह (प.प.) और दूसरा ज़माना बाद-अज़-मसीह। दूसरे ज़माने का ताल्लुक़ दौर-ए-हाज़रा और ज़माना-ए-मुस्तक़बिल से है। ये ज़माना क्रियामत तक जारी रहेगा, क्योंकि मसीह अब भी ज़िंदा है और अबद-उल-आबाद ज़िंदा रहेगा।

इस नुक्ता को मिर्जा ए कादियानी खूब समझे। यही वजह थी कि इस गरीब ने उम्र गिरांमाया (नफ़ीस, क्रीमती) इसी बेसूद कोशिश में जाए कर दी कि मसीह मुर्दों में से नहीं जी उठा और वो दूसरे नबियों की मानिंद मर गया है। उसने एडी चोटी का जोर लगाया, लेकिन दम-ए-वापसी (हालत-ए-नज़ा) हसरत के साथ अपनी ज़िंदगी का मिशन पूरा किए बग़ैर नाकाम और ना-मुрад चल बसा और खुद क़ब्र में हमेशा के लिए सो गया। उस की नाकाम मसाई हर जगह ज़बान-ए-हाल से पुकार पुकार कर इब्ने-अल्लाह की ज़फ़रयाब क्रियामत की गवाह हैं और इस हकीकत को आलम व अलमियान (आलमी इन्सान, लोग) पर रोशन कर देती हैं कि मसीह फ़िलवाक़ेअ मुर्दों में से जी उठा है और मुर्दों में से जी उठने के सबब कुदरत के साथ खुदा का बेटा ठहरा।

11. सय्यदना मसीह की ज़फ़रयाब क्रियामत के सबूत

(यानी मसीह के तीसरे दिन फ़त्हमंद ज़िंदा होने के सबूत)

(1)

मुनज्जी आलमीन (जनाबे मसीह) की ज़फ़रयाब क्रियामत मसीहीयत की इमारत के कोने का पत्थर है। यही वजह है कि मुक़द्दस पौलुस रसूल फ़रमाते हैं कि :-

□अगर मसीह नहीं जी उठा तो तुम्हारा ईमान बेफ़ाइदा है। तुम अब तक अपने गुनाहों में गिरफ़्तार हो। अगर हम सिर्फ़ उसी ज़िंदगी में मसीह में उम्मीद रखते हैं तो सब आदमीयों से ज़्यादा बदनसीब हैं।” (1 कुरंथियो 15:17 ता 18)

अगर आंखुदावंद मुर्दों में से नहीं जी उठे तो आप में और बाकी अम्बिया में सिवाए आपकी मासूमियत के कोई फ़र्क नहीं रहता। इसी सबब से कलीसिया इब्तिदा ही से इस वाक़िये पर जोर देती चली आई है और नजात का तमाम दार-ओ-मदार मुंजी (नजात देने वाले मसीह) की ज़फ़रयाब क्रियामत पर रखकर ये खुशी की ख़बर देती है कि आँ खुदावंद ने गुनाह, शैतान, मौत और क़ब्र पर फ़त्ह पाई है। पस वो हम गुनाहगारों को गुनाह की बदतरीन कैद से नजात देने पर कादिर है। मुखालिफ़ीन मसीहीयत भी इस नुक्ते को जानते और समझते हैं। चुनांचे मिर्जा-ए-कादियानी अपने मुक़ल्लिदीन को मरते दम यही वसीयत कर गए कि मसीहीयत को ख़त्म करने का एक ही तरीक़ा है कि वो ये साबित कर दें कि मौत ने दीगर अम्बिया की तरह जनाब-ए-मसीह को भी

निगल लिया है। पस वो श्रीनगर के मुहल्ला खान यार की क़ब्र का ढोंग रचाते हैं और अहमक़ों को दाम-ए-तज़वीर (फ़रेब का फंदे) में फंसाते हैं।

(2)

इंजील जलील के मजमूए की हर किताब और इस का हर मुसन्निफ़ इस एक बात पर मुतफ़िक़ है कि मुनज्जी आलमीन (जनाबे मसीह) मुबारक जुमे के रोज़ मस्लूब किए गए और मदफून हुए और इतवार के रोज़ अला-उल-सुबाह (सुबह-सुबह) मुर्दों में से जी उठे। मसीहीयत की इब्तिदाई मंज़िल उस के आका और मौला की ज़फ़रयाब क्रियामत (मौत पर फत्हमंद जी उठने) का वाक़िया है और आमाल की किताब साफ़ जाहिर करती है कि ये वाक़िया दवाज़दाह (12) रसूलों की इब्तिदाई मुनादी का मर्कज़ था और वो इस वाक़िये के चशमदीद (आँखों देखे) गवाह थे। (1 कुरंथियो 15:3)

(3)

साईस और फ़ल्सफ़े का ये एक अदना उसूल है कि हर वाक़िये का कोई ना कोई सबब ज़रूर होता है। ये एक अम्र वाक़ेअ है जिसको आमाल के इब्तिदाई अबवाब का मुतालआ वाज़ेह कर देता है कि मुनज्जी आलमीन (जनाबे मसीह) की सलीबी मौत के बाद जनाबे मसीह के रसूलों की जहनीयत, उन के रंग ढंग और नज़रिया-एजिंदगी में जमीन आस्मान का फ़र्क पैदा हो गया था। वो जो पहले खौफ़ के मारे किवाड़ बंद करके छुपते फिरते थे। (युहन्ना 20:19) अब अलानिया मुनादी करते और बेधड़क हो कर सब के सामने आते हैं। (आमाल 4:1) पहले यहूदी बुजुर्गों और सरदार काहिन के ख़याल ही से उन के बदनों पर रअशा तारी हो जाता था, लेकिन अब वही काइदीन क्रौम और सरदार काहिन इन दहकानों से खाइफ़ व त्रसाँ हैं। (आमाल 4:13-20, 5:25-30 वगैरह) लाज़िम है कि इस क़द्र हैरत-अंगेज़ तब्दीली का कोई ज़बरदस्त सबब भी हो। मुनज्जी आलमीन (जनाबे मसीह) की सलीबी मौत के बाद आपकी ज़फ़रयाब क्रियामत के अज़ीमुशान वाक़िये के इलावा कोई और वाक़िया रूनुमा (जाहिर) नहीं हुआ था जो खातिर-ख़्वाह तौर पर इस ज़बरदस्त नतीजे का हामिल हो सके। जो लोग क़यामत-ए-मसीह के वाक़िया के मुन्किर हैं उन पर यह लाज़िम हो जाता है कि रसूलों की जहनीयत की अज़ीम तब्दीली का सबब बताएं, वर्ना ईमानदारी को काम में लाकर मुनज्जी आलमीन (जनाबे मसीह) की क्रियामत के वाक़िये का इक़बाल कर लें।

(4)

मुनज्जी आलमीन (जनाबे मसीह) को किसी गैर-मारूफ़ और दूर इफ़तादा मुक़ाम में सलीब नहीं दी गई थी। अर्ज़-ए-मुक़द्दस के यहूद मुबारक जुमे के दिन यरूशलेम के

मुकद्दस शहर में ईद मनाने के लिए जमा थे और गवर्नर पीलातुस ने सरदार काहिन के ईमा और यहूदी हुजूम के हुल्लड मचाने पर आपको दीगर मुजरिमों के साथ अलानिया मस्लूब कराया था। पस तमाम अहले यहूद, क्या रऊसा और क्या अवाम सब के सब आपकी सलीबी मौत से वाक्रिफ़ थे और सब पर ये अम्र रोशन हो चुका था कि आप सलीब पर मर गए थे। अब इन्ही यहूदी रऊसा, अमाय-दीने-क्रोम और अवाम के सामने दो ज़ादाह (बारह) रसूल बार-बार गवाही देते हैं कि मुनज्जी जहां (दुनिया को नजात देने वाले मसीह) मुर्दों में से जी उठे हैं। (आमाल 3:13 ता 15) वगैरह और उन की मुनादी का नतीजा ये होता है कि यही यहूद जिन्होंने अपनी आँखों से आप को मरते देखा था हज़ारों की तादाद में आपकी ज़फ़रयाब क्रियामत (फ़त्हमंद जी उठने) पर ईमान ले आते हैं। (आमाल 2:4, 4:2, 6:7, वगैरह) अगर जनाब मसीह फ़िलवाक़ेअ मुर्दों में से नहीं जी उठे थे तो उन लोगों ने (जो आप की मौत के चशमदीद (आँखों देखे) गवाह थे) हज़ारों की तादाद में ये खिलाफ़-ए-अक्ल बात किस तरह मान ली? और वो भी ऐसे ना-मुवाफ़िक़ हालात में जो हौसला शिकन और कमर तोड़ थे। क्योंकि सरदार काहिन और क्राइदीन यहूद ईज़ा देने और मुखालिफ़त करने पर तुले हुए थे। (आमाल 4:1-29, 5:33, 6:12, 8:1 वगैरह)

(5)

जब यरूशलेम की मसीही कलीसिया को अहले यहूद की मुतवातिर (लगातार) मुखालिफ़त और पे दर पे की ईज़ा रसानियों ने परागंदा कर दिया तो जनाब मसीह के रसूल और दीगर ईमानदार अर्ज़-ए-मुकद्दस के दीगर मुकामात की जानिब हुक्म खुदावंदी के मुताबिक़ हिज़्रत कर गए और बाअज़ शाम, आख्या और ममालिक यूरोप की जानिब बढ़े। लेकिन जहां भी वो गए वो मुनज्जी आलमीन (जनाबे मसीह) की ज़फ़रयाब क्रियामत की खुशख़बरी का ऐलान करते गए। तारीख़ इस अम्र पर गवाह है कि पहली सदी में हर मुल्क और हर मुकाम के यहूद व गैर यहूद मसीही जिनमें लाखों लिखे पढ़े और हज़ारों आलिम थे, इस बात पर सिद्क़-ए-दिल से ईमान रखते थे और हर मुकामी कलीसिया के विर्द-ए-ज़बान (ज़बान पर चढ़ा हुआ, अज़बर) यही अक़ीदा था कि “मसीह पन्तीस पीलातुस की हुक्मत में मस्लूब हुआ, मर गया, दफ़न हुआ और तीसरे रोज़ मुर्दों में से जी उठा। यही अक़ीदा दो हज़ार साल से कलीसिया के विर्द-ए-ज़बान रहा है और आज भी हर मुल्क, क्रौम और नस्ल की कलीसिया का यही अक़ीदा है।

(6)

आमाल की किताब का मुतालआ इस अम्र को रोशन कर देता है कि रसूलों की मुनादी का मर्कज़ क़यामत-ए-मसीह का वाक़िया और उस के हकीकी मआनी को ज़ाहिर करना था। (2:36, 10:40-42 वगैरह, मुकाबला करो रोमीयों 1:4) रसूलों के मुक़्बात (खुतूत) साबित करते हैं कि इस वाक़िये के मुतालिब व मआनी ख़ुदा की ज़ात व सिफ़ात के समझने में निहायत मुमिद और मुआविन साबित हुए। (थिस्सलुनीकियों 1:10 आमाल 5:29 अलीख, इफ़िसियों 1:19, 1 पतरस 1:21 वगैरह) इसी एक वाक़िये की रोशनी में रसूल ना सिर्फ़ ख़ुदा की ज़ात व सिफ़ात के तसव्वुर को वाज़ेह करते थे, बल्कि दीगर मसाइल को भी समझाते थे। मसलन रूहुल-कुद्दुस का मसअला (रोमीयों 8:10-11) कफ़फ़ारे का मसअला (रोमीयों 4:25) अख़्लाकी रुहानी ज़िंदगी का मसअला (2 कुरंथियो 5:15, इफ़िसियों 2:5, कुलसियों 2:13, 1 कुरंथियो 15:17) फ़ना और बक्रा का मसअला (1 कुरंथियो बाब 15, 2 तीमुथियुस 1:10) वगैरह वगैरह। गरज़ कि इस एक वाक़िया ने इन्साना ज़िंदगी पर नए सिरे से रोशनी डाल कर उस के मुख्तलिफ़ पहलूओं के मतलब, मफ़हूम और मक़सद को कुल्लियतन बदल दिया और अब हकीकी मसीही ज़िंदगी का मतलब ही ये समझा गया कि वो सिर्फ़ मौत ही से निकलती हैं।

अगर क़यामत-ए-मसीह एक अम्र वाक़िया ना था तो ये तमाम उमूर एक ज़बरदस्त मुअम्मा का लामतनाही (बेइन्तहा, जिसकी इन्तहा ना हो) सिलसिला बन जाते हैं, जिनका कोई दूसरा हल सुझाई नहीं देता। अगर बारह रसूल क़यामत-ए-मसीह के मानने और उस का प्रचार करने में महज़ एक ज़हनी धोका, सराब (फ़रेब), वहम और मुग़ालते का शिकार थे तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या महज़ वहम और वस्वसे में इस क़द्र ताक़त, कुव्वत और ज़िंदगी हो सकती है कि ख़ुदा और मज़हब के बुनियादी तसव्वुरात एक माकूल निज़ाम में मरबूत हो कर दुनिया की काया पलट दें? हर शख्स जिसके सर में दिमाग़ और दिमाग़ में अक़्ल है, इस किस्म के मज़हकाखेज़ नज़रिये को रद्द करने में ज़रा भी ताम्मुल ना करेगा। पस साबित हुआ कि इस क़द्र अज़ीमुशान तब्दीली का सिर्फ़ एक ही वाहिद और मुक़तफ़ी सबब हो सकता है और वो क़यामत-ए-मसीह (मसीह का तीसरे दीन जी उठने) का अज़ीम वाक़िया है।

12. अस्सलामु अलैकुम (السلام عليكم) (तुम्हारी सलामती हो)

मरहूम सना-उल्लाह साहब ने इस नाम का एक 16 सफ़ा का रिसाला लिखा था “जिसमें इस्लामी सलाम (السلام) के अहकाम और दीगर मज़ाहिब के सलामों से मुकाबला किया गया है।” आप फ़रमाते हैं कि सलाम करने का इस्लामी हुक्म “अस्सलामु अलैकुम” (السلام عليكم) है। आप कुरआन को कामिल और अकमल किताब मानने के बावजूद कोई कुरआनी आयत पेश नहीं करते, जिसमें इस “इस्लामी सलाम के अहकाम” दर्ज हो और सिर्फ़ चंद अहादीस की जानिब रज़ू करते हैं और यह रोना रोते हैं कि “मुसलमानों में “अस्सलामु अलैकुम” कहना ही बे-अदबी और खिलाफ-ए-तहज़ीब समझा गया है। बजाय इस के हाथ खड़ा करना और आदाब अर्ज़ कहना तो अक्सर गाढ़े तस्लीमात अर्ज़ हो रहा है और साथ ही इस के झुकने में इस कद्र इफ़रात है कि करीब करीब रूकूअ के हो जाता है। (सफ़ा 1) और आप का फ़त्वा ये है कि “ये मज़हबी तरीक नहीं।” (सफ़ा 9)

रिसाले के बाब दोम में आप फ़रमाते हैं “ईसाईयों में मुख्तलिफ़ तरीक पाए जाते हैं। एक तो ये कि मिलते वक़्त टोपी उतार लेते हैं और ज़बान से कुछ नहीं कहते। ये रिवाज अक्सर अंग्रेज़ों में है। दूसरा, हाथ उठाकर इशारा करते हैं और तक्मील इस की मुसाफ़े (हाथ मिलाने) से होती है। तीसरा तरीक ये है कि “गुडमार्नींग” कहते हैं जिसका तर्जुमा ये है “सुबह अच्छी” जिससे ग़ालिबन एक तफ़ाउल (फ़ाल निकालना) होता है कि ज़माना मुवाफ़िक़ रहे। अजब नहीं कि यही तरीक़ ईसाईयों का मज़हबी हो।” (सफ़ा 6)

मौलवी साहब ये दावा करते कभी नहीं थकते कि आपको मसीही कुतुब मुक़द्दसा की कामिल वाक़फ़ीयत हासिल है। (इस्लाम और मसीहीयत, सफ़ा 38 वगैर) लेकिन आपकी इल्मी बे-बज़ाअती और इंजील दानी की बे सरो-सामानी का ये हाल है कि आपने इंजील जलील खोल कर ये मालूम करने की कोशिश नहीं की कि जनाब मसीह ने इस बारे में क्या हुक्म दिया है और खुद हज़रत कलिमतुल्लाह (كلمته الله) का क्या तरीका-ए-कार था और आँखुदावन्द के रसूलों का क्या रवैय्या था। आपके मुंदरजा बाला अल्फ़ाज़ से आपके नाज़रीन तो ग़ालिबन यही समझेंगे कि हज़रत कलिमतुल्लाह (كلمته الله) मिलते वक़्त टोपी उतारते और ज़बान से कुछ नहीं कहते थे या हुज़ूर “हाथ उठा कर इशारा करते और मुसाफ़ा (हाथ मिलाया) करते थे।” और या “गुडमार्नींग” कहते थे, क्योंकि बज़अम जनाब “यही तरीक़ ईसाईयों का मज़हबी तरीक़ है।

बेचारे मौलवी फ़ाज़िल साहब को क्या पता कि “सलाम अलैकुम (سلام عليكم) खालिस इब्रानी ज़बान के अल्फ़ाज़ हैं और जनाब-ए-मसीह से सदीयों पेशतर बनी-इस्राईल में मुलाकात के वक़्त और रुख़स्त के मौक़े पर इस्तिमाल किए जाते थे। मिसाल के तौर पर हज़रत यूसुफ़ ने मिस्र में अपने भाईयों से मुलाकात करते वक़्त यही अल्फ़ाज़ इस्तिमाल किए थे (पैदाइश 43:23) अहले यहूद के अम्बिया, बादशाह और अवामुन्नास यही मज़हबी तरीक़ इस्तिमाल करते थे। (1 समुएल 17:1-2, 2 समुएल 15:1, ज़बूर 122 आयत 7 ता 9 वगैरह) ख़ुदा ने हज़रत मूसा के ज़रीये हुक्म दिया था कि हज़रत हारून और काहिन बनी-इस्राईल को इसी तरह बरकत दिया करें। (गिनती 6:22-27)

इंजील जलील से पता चलता है कि जब मुनज्जी आलमीन (जनाबे मसीह) किसी से मुलाकात करते थे तो यही कलिमा (अस्सलामु अलैकुम) आपकी ज़बान मुबारक पर होता था। (युहन्ना 20:19, 26) लूका 24:36) जब आप रुख़स्त होते तो आप यही अल्फ़ाज़ (सलाम) दोहराते थे। (युहन्ना 20: 21) जब इब्ने-अल्लाह (ابن الله) किसी को बरकत देते तो यही अल्फ़ाज़ (सलाम) फ़रमाते थे। (मरकुस 5:34, लूका 7:50, युहन्ना 8:48, युहन्ना 14:27 वगैरह) जब आपकी ज़बान-ए-मोअज्जज़ बयान से ये कलिमा (अस्सलामु अलैकुम) निकलता तो इस की वजह से किसी रस्मी “मज़हबी तरीक़” की पाबंदी ना थी। इस कलिमे के अल्फ़ाज़ किसी रिवाजी ज़ाहिरदारी के निशान नहीं होते थे। (युहन्ना 14:27) बल्कि ये कलिमा लोगों के लिए इस बात की गारंटी था कि ख़ुदा तआला के मसीह मौऊद की बरकत और सलामती उन के शामिल-ए-हाल है। बनी-इस्राईल का ये ईमान था कि मसीह मौऊद का अहद सलामती का अहद होगा। (यसअयाह 54:10, हज़िकीएल 34:25, 37;26, अहबार 26:6 मलाकी 2:5-6 वगैरह) क्योंकि वो ख़ुद सलामती का शहज़ादा होगा। (यसअयाह 9:6 मुकाबला करो मीकाह 5:5, ज़करीयाह 6:13, ज़बूर 72 3,7, ज़बूर 29:11 126:7, यसअयाह 55:12 वगैरह) और इस के वसीले ख़ुदा अक्वाम आलम को सलामती बख़शेगा। (ज़करीयाह 9:10 वगैरह) जब हज़रत इब्ने-अल्लाह ने रसूलों को फ़रमाया “मैं सलाम (سلام) तुम लोगों के लिए छोड़ जाता हूँ। अपनी सलामती मैं तुमको देता हूँ”²⁰ (युहन्ना 14:27) आपने अपनी ज़ात के बुनियादी उसूल को उन पर ज़ाहिर कर दिया, क्योंकि ये सलामती उस कुर्बत (नज़दिकी), रिफ़ाक़त और यगानगत का नतीजा थी जो ख़याल, क़ौल और फ़ेअल में इब्ने-अल्लाह को बाप

²⁰ इसी सलामती की तरफ़ कुरआन शरीफ़ में इशारा है जब कलिमतुल्लाह गहवारे में फ़रमाते हैं :-

وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا

तर्जुमा : सलामती हो जिस दिन मैं पैदा हुआ, और जिस रोज़ मैं मरूँगा, और जिस रोज़ जिंदा उठा खड़ा किया जाऊँगा। (सुरह मर्यम आयत 33)

के साथ हासिल थी। (यसअयाह 26:3, युहन्ना 14:11, 20:31 वगैरह) यही वजह थी कि परेशान और मुज्तरिब इन्सान हजारों की तादाद में जौक-दर-जोक आते और आपसे सलामती, इत्मीनान-ए-कल्ब (दिल) और आराम-ए-जान हासिल करते थे, जो उनको और कहीं नसीब ना होता था। (मत्ती 11:28)

आँ जहानी मौलवी सना-उल्लाह साहब ने इंजील जलील के वर्क पलटने की भी जहमत कभी गवारा नहीं फ़रमाई। अगर आप ज़रा सी तक्लीफ़ उठा लेते तो आप पर जाहिर हो जाता कि मसीहीयों का "मज़हबी तरीक़" ना "टोपी उठाना" है, ना "मुसाफ़ा करना" है और ना "गुडमार्निंग" कहना है। क्योंकि हज़रत कलिमतुल्लाह (ﷺ) ने जमाअत (के) मोमिनीन को हुक्म दिया था कि जब वो किसी के घर में दाखिल हों तो घर वालों को "सलाम अलैकुम" (سلام عليكم) कहें। (मत्ती 10:12, लूका 10:5 वगैरह) अगर मौलवी साहब सिर्फ़ मुक़द्दस पौलुस रसूल के मुख्तलिफ़ खुतूत की इब्तिदाई आयात पर ही सतही नज़र डालते तो आप को मालूम हो जाता कि मुक़बात में मुखातबों को सलाम अलैकुम (سلام عليكم) कहा गया है। (रोमीयों 1:7, 1 कुरंथियो 1:3, 2 कुरंथियो 1:2, गलतीयों 1:3) जो खत हज़रत कलिमतुल्लाह (ﷺ) के भाई मुक़द्दस याक़ूब ने बारह फ़िर्क़ों (कबीलों) को लिखे हैं, वो भी "सलाम (سلام) ही से शुरू किया गया है। (1:1) लेकिन मौलवी साहब तहकीक़ हक़ की तरफ़ से बेनियाज़ (बेपर्वाह) हैं। यहां तक कि उन की शान बेनियाज़ी ने उनको कुरआनी इर्शादात की तरफ़ से भी बेपरवाह कर दिया है, क्योंकि आप कुरआनी इर्शाद के ऐन ख़िलाफ़ मसीहीयों को "काफ़िर" (كافر) शुमार करके "हिंदूओं के साथ एक ही ज़मुरे में शामिल करते हैं। (सफ़ा 14) लेकिन कुरआन ने ऐसे ईमान पर حَتَمُوا اللّٰهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ (खतमअल्लाह अला कुलुबिहुम) की मुहर सब्त कर दी है।

मौलवी साहब फ़रमाते हैं "अस्सलामु अलैकुम के मअनी हैं तुम पर हर तरह से सलामती और आसाइश हमेशा है।" जिससे उनकी मुराद जिस्मानी सेहत और दुश्मन से सलामती है। (सफ़ा 11) लेकिन इंजील जलील के मुताबिक़ "सलाम अलैकुम" (سلام عليكم) से मुराद ना सिर्फ़ जिस्मानी सेहत और दुनियावी सलामती है, बल्कि रुहानी सलामती, इत्मीनान और शांति है। यही वजह है कि खुदा को "सलामती का खुदा" कहा गया है। (रोमीयों 15:33 2 कुरंथियो 13:11, फिलिप्पियों 4:9, इब्रानियों 13:20 वगैरह) और इंजील शरीफ़ में ना सिर्फ़ "खुदा की सलामती" का ही ज़िक़्र है, बल्कि "खुदावंद मसीह की सलामती" का भी ज़िक़्र है। (रोमीयों 1:7) सलामती हर मसीही की मौजूदा मिलिकयत और मक़बूजा शैय है। (युहन्ना 14:27, रोमीयों 15:13, 2 थिस्सलुनीकियों 3:16) जो हमारे दिलों पर हुक्मत करती है। (कुलसियों 3:15) कल्ब (दिल) की उस कैफ़ीयत का नाम है जिसमें ना इज़तिराब है और ना तमूज (तलातुम, लहरें उठना) वो

रूह की तमानीयत और सुकून पर दलालत करती है, क्योंकि उस को हतमी तौर पर वासिक यकीन है कि उस का खुदा के साथ मेल मिलाप हो गया है और वो नजात याफ्ताह है (इफिसियों 2:16-17, रोमीयों 5:1) इस हालत-ए-कल्ब (दिल) का नतीजा कुदरतन इन्सानि एहसास और शऊर पर पड़ता है, क्योंकि खुदा से मेल मिलाप का नतीजा ये होता है कि इन्सान को खुदा का इत्मीनान हासिल होता है जो फ़हम से भी परे है और हमारे दिलों और खयालों की निगहबानी करता है।" (फिलिप्पियों 4:7) ये अंदरूनी सलामती रूहुल-कुहुस का फल है। (गलतीयों 5:22) और उस खुशी का जुज्वला एनफ़क (بِزَوْلَانِيَتِكَ) है जो ईमान के बाइस हम को हासिल होती है। (रोमीयों 15:13)

अरब जाहिलियत अस्सलामु अलैकुम (السلام عليكم) नहीं कहते थे, बल्कि वक्त्र के मुताबिक सलाम की जगह اَنْعَمُوْا صَبًا حَا اَنْعَمُوْا مَسَاءً اور اَنْعَمُوْا ظَلَامًا कहते थे जो अंग्रेज़ों के मुरत्वजा "गुडमार्निंग", "गुड इवनिंग" और "गुड नाइट" के हम-मअनी हैं। लेकिन चूँकि अरब में मुहम्मद अरबी के ज़माने में अहले-किताब बकसत आबाद थे। (खुत्बात अहमदिया खुत्बा सोम) जो मुलाक़ात के वक्त्र और रुखस्त के मौक़े पर एक दूसरे को "सलाम अलैकुम (السلام عليكم) कहा करते थे। आहज़रत को ये कलिमा अरब जाहिलियत के कलिमे से ज़्यादा पसंद आया। पस आपने उस को तर्जीह दी और उस उम्मी (अनपढ़) क़ौम अरब को मज़हब और तहज़ीब का सबक़ सिखा कर उन को हुक्म दिया कि ईसाईयों की तक्लीद में "अस्सलाम अलैकुम (السلام عليكم) कहा करें। मौलवी साहब अंजान बन कर भूल गए कि ईसाई इस मुआमले में मुसलमानों के उस्ताद हैं और उल्टा ईसाईयों को सबक़ देने चले। सच है :-

کس نیا موخت علم تیرا ز من کہ عاقبت مرانشانه فکرد

کس نیا موخت इल्म तीराज़ मन कि आक़िबत मरानशाना फ़क़र्द

उम्मीद है कि मौलवी सना-उल्लाह साहब के मुक़ल्लिदीन अब समझ गए होंगे कि ईसाईयों का सलाम (سلام) क्या है और उन का मज़हबी तरीक़ क्या है, और ईसाईयों के सलाम (سلام) का मफ़हम किस क़द्र गहिरा और रुहानी है। رب السلام نفسؤ يعطيكم السلام دائماً من كل وجؤ अब खुदावंद जो इत्मीनान का चशमा है आप ही तुमको हमेशा और हर तरह से इत्मीनान बख़शे। खुदावंद तुम सब के साथ रहे। (2 थिस्सलुनीकियों 3:16)

□वो जिंदों और मुर्दों की अदालत के लिए आने वाला है।□

13. अदालत-ए-खुदावंदी

(1)

मसीहीयत का असल-उल-उसूल ये है कि खुदा की ज्ञात मुहब्बत है। (1 युहन्ना 4:16,18, कुरंथियो 13:11) खुदा की तमाम सिफात उस की ज्ञात यानी मुहब्बत की सिफात हैं। खुदा की ज्ञात और सिफात इन्सानी हद्द और जमान व मकान की कुयूद के अंदर रब्बना-उल-मसीह की जिंदगी, मौत और जफरयाब क्रियामत में बदर्जा-ए-अहसुन जहूर पजीर हुई। ईलाही सिफात में से एक सिफत “खुदा की कुद्दुसियत□ है, जो दीगर ईलाही सिफात की तरह खुदा की ज्ञात यानी ईलाही मुहब्बत से मुताल्लिक है। खुदा की मुहब्बत कुद्दूस और पाक मुहब्बत है। बअल्फाज-ए-दीगर खुदा की मुहब्बत तमाम रुहानी खूबीयों और अख्लाकी नेकियों का सरचश्मा है। गुनाह और बदी का उस से बिल्कुल ताल्लुक नहीं। इस्लाम और कुरआन के मुताबिक खुदा नेकी और बदी दोनों का सरचश्मा है, लेकिन इंजील जलील की ताअलीम इस के ऐन खिलाफ है। “खुदा नूर है और उस में जरा भी तारीकी नहीं।□ (1 युहन्ना 1:5) पस खुदा की कुद्दूस मुहब्बत हर क्रिस्म की खूबी और नेकी का सरचश्मा और मंबा है और हर क्रिस्म की बदी के ऐन नकीज है।

इस दुनिया में खुदा की कुद्दुसियत (पाकीजगी) जमान व मकान की हद्द के अंदर हम को नजर आती है। खुदा ने इस दुनिया का निजाम ऐसा कायम किया है कि उस के अटल क्वानीन उस की कुद्दुसियत के मजहर हैं। (जबूर 119:89-90, 1 पतरस 1:25, मती 24:35) क्वानीन फित्रत का मुतालआ खुदा की कुद्दूस ज्ञात को बनी-नौ इन्सान पर जाहिर कर देता है। अक्वाम-ए-आलम की तारीख हम पर ये बात रोशन कर देती है कि जो अक्वाम खुदा की मुहब्बत और पाक मर्जी पर अमल करती हैं, वो जिंदा रहती हैं और शाहराह तरक्की पर कदम मारती हैं। लेकिन जो अफराद इस पर अमल नहीं करते वो नेस्त व नाबूद हो जाते हैं। चुनान्चे कलाम मुकद्दस की रोशनी में कह सकते हैं कि बदकारी और नापाकी का अंजाम मौत है। लेकिन पाकीजगी का अंजाम हमेशा की जिंदगी है। (रोमीयों 6:21-22)

ये ईलाही कानून अटल है, क्योंकि वो खुदा-ए-ताईजाल (बेजवाल, हमेशा रहने वाले) की ज्ञात का मजहर है। गुनाह के सबब मौत आई और मौत सब आदमीयों में फैल गई। क्योंकि सबने गुनाह किया है।” (रोमीयों 5:12) वो खुदा हर एक को उस के

कामों के मुवाफ़िक बदला देगा। जो नेकोकारी में साबित-कदम रह कर जलाल और इज़्जत और बका के तालिब होते हैं, उन को हमेशा की ज़िंदगी देगा। मगर जो तफ़र्का अंदाज़ और हक़ के ना मानने वाले बल्कि नारास्ती के मानने वाले हैं उन पर ग़ज़ब और क्रहर होगा और मुसीबत और तंगी हर एक बदकार की जान पर आएगी।....क्योंकि खुदा के हाँ किसी की तरफ़दारी नहीं। (रोमीयों 2:6 ता 11) चुनान्चे कलिमतुल्लाह (كلمته الله) फ़रमाते हैं “अगर तुम ईमान नहीं लाओगे तो अपने गुनाहों में मरोगे।” (युहन्ना 8: 24) फिर इस अटल ईलाही क़ानून को एक मिसाल से वाज़ेह करके फ़रमाते हैं “क्या झाड़ीयों से अंगूर और ऊंट कटारों से इंजीर तोड़ते हैं? इसी तरह हर एक अच्छा दरख़्त अच्छा फल लाता है और बुरा दरख़्त बुरा फल लाता है। अच्छा दरख़्त बुरा फल नहीं ला सकता और ना बुरा दरख़्त अच्छा फल ला सकता है।...पस उन के फलों से तुम उन को पहचान लोगे।” (मत्ती 7:16-20, लूका 6:43)

पस खुदा की मुहब्बत की कुदुसियत (पाकीज़गी) खुदा की अदालत में ज़ाहिर होती है और अदालत का मेयार अक्वाम और अफ़राद के लिए एक ही है। बदकारी और नापाकी का अंजाम मौत है। लेकिन पाकीज़गी का अंजाम हमेशा की ज़िंदगी है। (रोमीयों 6:21-22) [जो दरख़्त अच्छा फल नहीं लाता वो काटा और आग में डाला जाता है।” (मत्ती 7:19) अक्वाम-ए-आलम (दुनिया की क्रोमों) की तारीख़ इस एक अटल ईलाही क़ानून की ज़िंदा मिसालों से भरी पड़ी है, जिससे बनी-नौ इन्सान इबरत हासिल कर सकते हैं। अहद-ए-अतीक़ की कुतुब का मुतालआ इसी एक हकीक़त को ज़ाहिर करता है कि जब बनी-इस्राईल खुदा की मर्ज़ी और अहक़ाम के ताबे रहे, उन की क्रौम तरक्की करती रही। लेकिन जब उन्होंने ने ईलाही अहक़ाम को पसेपुशत फेंक दिया तो वो कार (गहराई, बड़ा गढ़ा) ज़िल्लत में गिरफ़्तार हो गए। ग़ज़ब ईलाही इसी क़ानून-ए-कुदरत का दूसरा नाम है। परवरदिगार-ए-आलम ने ऐसा इंतज़ाम कर रखा है कि जो अक्वाम या अफ़राद ईलाही अहक़ाम का उदूल करके ईलाही मुहब्बत से मुँह मोड़ते हैं, वो अपने किए की सज़ा पाते हैं।

[खुदावंद एक दीवार पर जो साहौल से बनाई गई थी खड़ा है और साहौल उस के हाथ में है।” (आमोस 7:17) खुदा एक ही साहौल और मेयार से दुनिया की अक्वाम और ममालिक को जाँचता है। हर इन्सानी, सयासी, मुआशरती और इक़तिसादी निज़ाम इसी एक मेयार से परखा जाता है और जिस तरह वो दीवार जो साहौल से ना बनाई जाये टेढ़ी हो जाती है और जब कज दीवार एक खास अंदाज़े से बढ़ जाती है तो अपने वज़न से खुद ही गिर जाती है। इसी तरह हर एक इन्सानी अम्र जो ईलाही मुहब्बत के क़वानीन के मुताबिक़ नहीं बनता, वो कुदरती तौर पर खुद बखुद फ़ना हो जाता है। क्योंकि किर्दगार (खालिक) ने आलम का इंतज़ाम ही इस क्रिस्म का कर रखा है। इस ईलाही ग़ज़ब से हम हरगिज़ नहीं बच सकते।

□क्योंकि खुदा का गज़ब उन आदमीयों की तमाम बेदीनी और नारास्ती पर आस्मान से जाहिर होता है जो हक़ को नारास्ती से दबाए रखते हैं।...ऐ इन्सान तू जो ऐसे काम करने वालों पर इल्जाम लगाता है और खुद वही काम करता है क्या ये समझता है कि तू खुदा की अदालत से बच जाएगा। या तू उस की मेहरबानी और तहम और सब्र की दौलत को नाचीज़ जानता है और नहीं समझता कि खुदा की मेहरबानी तुझको तौबा की तरफ़ माइल करती है। बल्कि तू अपनी सख्ती और ग़ैर ताइब दिल के मुताबिक़ उस क़हर के दिन के लिए अपने वास्ते ग़ज़ब कमा रहा है जिसमें खुदा की सच्ची अदालत जाहिर होगी। वो हर एक को उस के कामों के मुवाफ़िक़ बदला देगा।” (रोमीयों 1:18-6:2)

लिहाज़ा रसूल मक्बूल अपने मसीहीयों को कहता है □अज़ीज़ फ़रज़न्दों की तरह खुदा की मानिंद बनो और मुहब्बत से चलो और जैसा कि मुक़द्दसों को मुनासिब है। तुम में हरामकारी और किसी तरह की नापाकी का ज़िक्र तक ना हो। कोई तुमको बेफ़ाइदा बातों से धोका ना दे। क्योंकि इन्ही गुनाहों के सबब से ना-फ़रमानी के फ़रज़न्दों पर खुदा का ग़ज़ब नाज़िल होता है।□ (इफ़िसियों 5 बाब) पस मसीहीयत के मुताबिक़ ईलाही ग़ज़ब किसी बरतर हस्ती के इंतिक़ाम पर मुश्तमिल नहीं। क्योंकि इंतिक़ाम का जज़्बा खुदा की मुहब्बत के मुनाफ़ी (खिलाफ) है, बल्कि वो खुदा की मुहब्बत की कुदूसियत और पाकीज़गी का फ़ित्रती और कुदरती नतीजा है। क्योंकि “पाकीज़गी□ का अंजाम हमेशा की “ज़िंदगी□ है, लेकिन गुनाह की मज़दूरी मौत है।” ये अटल कानून-ए-कुदरत है।

(2)

यहां हम ये अर्ज़ कर देना मुनासिब समझते हैं कि जब हम ये कहते हैं कि ईलाही ग़ज़ब फ़ित्रत का अटल कानून है तो हम इन क़वानीन को एक ग़ैर शख्स बाला और बरतर हस्ती क़रार नहीं देते जिनकी रू से किसी इन्सान को क़रार नहीं हो सकता। हम अहले हनूद की तरह कर्म की ताअलीम के क़ाइल नहीं। हम दुनियावी और माद्दी अस्बाब व अलल को वो जगह और रुत्बा नहीं देते जो सिर्फ़ मुसब्बिब-उल-अस्बाब (مسبب الاسباب) को ही शायं है। हम किसी तक्दीर मुबररम और अकीद-ए-जब्र के क़ाइल नहीं। बल्कि उस वाहिद हस्ती के क़ाइल हैं जिस की जात मुहब्बत है और जिस की सिफ़ात माद्दी अस्बाब व अलल में हम को नज़र आती हैं। “आस्मान खुदा का जलाल बयान करते हैं और फ़िज़ा उस की दस्तकारी दिखाती है।□ (जबूर 1:19) खुदा की मुहब्बत

की पाकीजगी और कुदुसियत जाहिर करती है कि खुदावंद की अदालतें सच्ची और तमाम व कमाल सीधी हैं और इन को अबद तक पाएदारी हासिल है। (जबूर 19:9)

(3)

हम इस मज्मून के शुरू में कह चुके हैं कि मसीहीयत इस बात की काइल है कि खुदा की जात और सिफ़ात ज़मान व मकान की कुयूद के मातहत इन्सानी हदूद के अंदर रब्बना-उल-मसीह की मुबारक ज़िंदगी, मौत और क्रियामत में जाहिर हुई हैं। जब हम इंजील जलील में इब्ने-अल्लाह की मुहब्बत भरी ज़िंदगी को देखते हैं तो हम खुदा की मुहब्बत का तसव्वुर बांध सकते हैं। जब हम चारों इंजीलों में उस की कुदूस ज़िंदगी पर नज़र करते हैं तो हम पर ये जाहिर हो जाता है कि खुदा को गुनाह और बदी से नफ़रत है, क्योंकि वो नेकी का सरचश्मा है। जनाब मसीह की ज़िंदगी एक नूर है जिसकी रोशनी में आजिज़ इन्सान हकीकी नेकी के मफ़हूम को कमा-हक्का समझ सकता है। कलिमतुल्लाह (ﷺ) ने अलल-ऐलान फ़रमाया “दुनिया का नूर मैं हूँ, जो मेरी पैरवी करेगा वो अंधेरे में ना चलेगा, बल्कि ज़िंदगी का नूर पाएगा। (युहन्ना 8:12) मुकद्दस युहन्ना इंजील नवीस फ़रमाता है “उस में ज़िंदगी थी और वो ज़िंदगी आदमीयों का नूर थी। नूर तारीकी में चमकता है। (युहन्ना 1:4-5)

कलिमतुल्लाह (ﷺ) के मुबारक अक्वाल व अफ़आल “अक्वाम आलम को रोशनी देने वाले नूर हैं। जो हर एक शख्स की ज़िंदगी की अदालत करते हैं। जनाब मसीह के खयालात, कलिमात, जज़्बात और अफ़आल की रोशनी में हर शख्स अपने खयालात और ज़िंदगी को परख सकता है और मालूम कर सकता है कि आया मुझमें तारीकी है या नहीं? क्योंकि जो खुदा से होता है वो खुदा की बातें सुनता है। (युहन्ना 8:47) चुनान्चे इब्ने-अल्लाह ने रूमी गवर्नर पीलातुस तक को फ़रमाया “मैं इसलिए पैदा हुआ और इस वास्ते दुनिया में आया हूँ कि हक़ की गवाही दूँ। जो कोई सच्चाई का है वो मेरी आवाज़ सुनता है।” (युहन्ना 18:37) फिर अहले यहूद को मुखातब करके फ़रमाया

“जब तक नूर तुम्हारे साथ है, चले चलो। ऐसा ना हो कि तारीकी तुमको आ पकड़े। (युहन्ना 12:35) मुकद्दस युहन्ना इंजील नवीस फ़रमाता है कि कलिमतुल्लाह (ﷺ) की मुबारक ज़िंदगी “आदमीयों का नूर थी और नूर तारीकी में चमकता है और तारीकी ने उसे कुबूल ना किया। (युहन्ना 1:5) फिर फ़रमाता है कि जो लोग “दुनिया से हैं वो दुनिया की सी कहते हैं और दुनिया उन की सुनती है। हम खुदा से हैं। जो खुदा को जानता है वो हमारी सुनता है। जो खुदा से नहीं वो हमारी नहीं सुनता। इसी से हम हक़ की रूह और गुमराही की रूह को पहचान लेते हैं। (1 युहन्ना 4:5 ता 7) पस कलिमतुल्लाह (ﷺ) की ज़िंदगी एक ऐसी कसौटी है जो नेक व बद के परखने में कभी

खता नहीं करती। आपके खयालात और जज़्बात, कलिमात तय्यबात और जलाल अफ़्आल बनी-नौ इन्सान के जज़्बात, अक्वाल और अफ़्आल की अदालत करते हैं। चुनान्चे आप ने फ़रमाया मैं दुनिया में अदालत के लिए आया हूँ।” (युहन्ना 9: 39) “बाप किसी की अदालत नहीं करता, बल्कि उस ने अदालत का सारा काम बेटे के सपुर्द किया है। उस ने उस को अदालत करने का इख़्तियार बख़्शा है क्योंकि वो इब्ने आदम (इंसान-ए-कामिल) है।” (युहन्ना 5:22-27) मुकद्दस पतरस जिसने इब्ने-अल्लाह की ज़िंदगी का अच्छी तरह मुतालाआ किया था फ़रमाता है मैं यूसूअ मसीह वही है जो खुदा की तरफ़ से ज़िंदों और मुर्दों का मुंसिफ़ मुकर्रर किया गया है।” (आमाल 10:42) मुकद्दस पौलुस भी फ़रमाता है खुदा रास्ती से दुनिया की अदालत यूसूअ मसीह की मार्फ़त करेगा। (आमाल 17:31) ज़रूर है कि मसीह के तख़्त-ए-अदालत के सामने जाकर हम सब का हाल ज़ाहिर किया जाये। (2 कुरंथियो 15:10) ये उन लोगों की गवाही है जिन्होंने कलिमतुल्लाह (ﷺ) को खुद सुना और अपनी आँखों से देखा, बल्कि गौर से देखा और अपने हाथों से छुवा।” (1 युहन्ना 1:1) उन्होंने ने तीन साल का एक एक लम्हा इब्ने-अल्लाह की सोहबत में काटा था और जब वो अपनी ज़िंदगी को आपकी कुद्स ज़िंदगी के आईने में देखते थे तो वो बे-इख़्तियार कहते थे “ऐ खुदावंद में गुनाहगार आदमी हूँ।” (लूका 5:8) ये बात सच्च और हर तरह से कुबूल करने के लायक है कि मसीह यूसूअ गुनाहगारों को नजात देने के लिए दुनिया में आया। जिनमें सबसे बड़ा मैं हूँ। (1 तिमुथीयस 1:15)

क़दीम ज़माने में इसी तरह हज़रत यसअयाह पुकार उठे थे, जब उन्होंने ने ईलाही कुद्दुसियत का जलाल देखा था। “तब मैं चिल्लाया, हाय मुझ पर मैं तो बर्बाद हुआ। क्योंकि नापाक होंटों वाला आदमी हूँ। (बाब 6) कलिमतुल्लाह (ﷺ) की जलाली और कुद्स ज़िंदगी ने हर शख्स की जो आपके पास आया, अदालत की (मत्ती 9:2,12, 12:34, 16:4, 21:4, 40 बाब 23:25, 27:4, लूका 7:38, 11:39 ता 12:7, 15 बाब 16:15, 19:8-10, युहन्ना 3:1-21, 4:29, 5:14, 8:1-10, 44, 46 9:41, मरकुस 14:72 वगैरह) हर शख्स अपनी घिनौनी ज़िंदगी पर नज़र करके तौबा करता और अपने गुनाहों से नजात पाने का जाँ-फ़जाँ मुज्दा सुनकर खुदा की बादशाहत का वारिस हो जाता था। लेकिन जो लोग अपने दिलों को सख़्त करके दीदा-ओ-दानिस्ता तौबा नहीं करते थे। उन को भी अपनी ज़िंदगीयां नफ़रत-अंगेज़ नज़र आती थीं। (युहन्ना 8:1-10) खुदावंद फ़रमाते थे कि उन की अदालत ज़्यादा सख़्त होगी। (मत्ती 11:20-24,12:41-45, लूका 13:1 ता 5, 20:16 ता 18)

इब्ने-अल्लाह उन के दिल की सख़्ती पर बार-बार ताज्जुब करते और इज़हार-ए-अफ़सोस करते थे और उन के आमाल की पादाश (सिला, बदले) पर रोते थे। “जब उस ने नज़्दीक आकर यरूशलेम को देखा तो रोया और कहा काश कि तू अपने इसी

दिन में सलामती की बातें जानता। मगर अब वो तेरी आँखों से छिप गई हैं। क्योंकि वो दिन तुझ पर आएँगे कि तेरे दुश्मन तेरे गर्द मोर्चा बांध कर तुझे घेर लेंगे और हर तरफ से तंग करेंगे और तुझको और तेरे बच्चों को ज़मीन पर दे पटकेंगे और तुझ में किसी पत्थर पर पत्थर बाकी ना छोड़ेंगे। इसलिए कि तूने इस वक़्त को ना पहचाना। जब तुझ पर निगाह की गई। देखो तुम्हारा घर तुम्हारे लिए वीरान छोड़ा जाता है। जब तक ना कहोगे कि मुबारक है वह जो खुदावंद के नाम पर आता है। (लूका 19:41-44 मत्ती 33:37-39) तारीख हमको बताती है कि यरूशलेम और क्रौम यहूद के साथ ऐसा ही हुआ। उन के मसाइब व आलाम जनाब मसीह की वफ़ात के बाद शुरू हो गए और ताहाल उनका खातिमा नज़र नहीं आता। इनकी वजह ये नहीं कि खुदा ज़वाल इंतिकाम है और वो बदला लेता है। इस किस्म की दलील लाने वाले खुदा को अपना सा इन्सान समझते हैं। ऐसे लोगों को खुदावंद फ़रमाता है "तू ने ये किया, तू ने गुमान किया कि मैं तुझी सा हूँ।" (जबूर 50:21) कलिमतुल्लाह (ﷺ) के अल्फ़ाज़ में "वो खुदा की बातों का नहीं बल्कि आदमीयों की बातों का ख़याल रखते हैं।" (मत्ती 16:23) क्योंकि जो जिस्मानी हैं वो जिस्मानी बातों के ख़याल में रहते हैं। (रोमीयों 8:5) यरूशलेम और क्रौम यहूद की तबाही खुदा की मुहब्बत की कुदुसियत के क़वानीन की खिलाफ़वर्जी की एक बय्यन मिसाल है। ज़बूर नवीस ऐसे ही हालात में इकरार करता है "ऐ खुदावंद मैं जानता हूँ कि तेरी अदालतें रास्त हैं और कि तूने वफ़ादारी से मुझ पर तबाही भेजी।" (जबूर 119:75) आमाल की मुकाफ़ात (सज़ा, बदला) महज़ सज़ा देने की खातिर नहीं, बल्कि इस्लाह की खातिर तंबीह है। चुनान्चे इम्साल का मुसन्निफ़ नसीहत करता है "ऐ मेरे बेटे खुदावंद की तंबीह को हकीर मत जान और उस की तादीब से बेदिल मत हो। क्योंकि जिससे खुदावंद मुहब्बत रखता है, उसे तंबीह भी करता है। जिस तरह बाप उस बेटे को जिससे वो खुश है।" (13:11-12) और इब्रानियों का मुसन्निफ़ कहता है "हर किस्म की तंबीह खुशी का नहीं, बल्कि ग़म का बाइस मालूम होती है। मगर जो उस के सहते सहते पुख़्ता हो गए हैं, उन को बाद में चेन के साथ रास्तबाज़ी का फल बख़्शती है।" (12:11)

(4)

पस जो गुनाहगार अपने आमाल के नताइज को देखकर खुलूस-ए-दिल से तौबा करते हैं। खुदा की मुहब्बत उन को अपने फ़ज़ल व करम से गुनाह के बंद और कैद की गुलामी से नजात बख़्शती है और उस को इस काबिल बना देती है कि उस की मुर्दा रूह में जिंदगी पैदा हो। यही वजह है कि कलिमतुल्लाह (ﷺ) फ़रमाते हैं "मैं तुमसे सच्च सच्च कहता हूँ कि जो मेरा कलाम सुनता और मेरे भेजने वाले का यकीन करता है, हमेशा की जिंदगी उसी की है और उस पर सज़ा का हुक्म नहीं होता। बल्कि वो

मौत से निकल कर ज़िंदगी में दाखिल हो गया है। मुर्दे, खुदा के बेटे की आवाज़ सुनेंगे और जो सुनेंगे वो ज़िंदा हो जाएंगे। (युहन्ना 5:24-25) आपने फ़रमाया कि क़ियामत और ज़िंदगी तो मैं हूँ, जो मुझ पर ईमान लाता है गो वो मर जाये तो भी ज़िंदा रहेगा और जो कोई ज़िंदा है और मुझ पर ईमान लाता है वो अबद तक कभी ना मरेगा। (युहन्ना 11:26-25) हर शख्स को जो अपने गुनाहों के हाथों मजबूर है, ये तजुर्बा है कि :-

मैं जिस्मानी और गुनाह के हाथ बिका हुआ हूँ और जो मैं करता हूँ उस को नहीं जानता क्योंकि जिस का मैं इरादा करता हूँ वो नहीं करता बल्कि जिस से मुझको नफ़रत है वुही करता हूँ।.....मैं जानता हूँ कि मुझ में यानी मेरे जिस्म में कोई नेकी बसी हुई नहीं अलबत्ता इरादा तो मुझमें मौजूद है मगर नेक काम मुझसे बन नहीं पड़ते। चुनांचा जिस नेकी का इरादा करता हूँ वो तो नहीं करता मगर जिस बदी का इरादा नहीं करता उसे कर लेता हूँ। पस अगर मैं वो करता हूँ जिस का इरादा नहीं करता तो उस का करने वाला मैं ना रहा बल्कि गुनाह है जो मुझमें बसा हुआ है। गरज़ मैं ऐसी शरीअत पाता हूँ कि जब नेकी का इरादा करता हूँ तो बदी मेरे पास आ मौजूद होती है। क्योंकि बातिनी इन्सानियत की रू से तो मैं खुदा की शरीअत को बहुत पसंद करता हूँ। मगर मुझे अपने आज्ञा में एक और तरह की शरीअत नज़र आती है जो मेरी अक्ल की शरीअत से लड़ कर मुझे उस गुनाह की शरीअत की कैद में ले आती है जो मेरे आज्ञा में मौजूद है। हाय मैं कैसा कम्बख्त आदमी हूँ इस मौत के बदल से मुझे कौन छुड़ाएगा। (रोमीयों 14:7-24)

ऐसी हालत में जनाब मसीह का फ़ज़ल गुनहगार के शामिल-ए-हाल होता है और उस को इस ख़ोफ़नाक गुलामी से छुड़ाता है। क्योंकि “गुनाह की मज़दूरी मौत है। मगर खुदा की बख़्शिश हमारे जनाब यस्ूअ मसीह में हमेशा की ज़िंदगी है।” (रोमीयों 6 23)

14. खुदा का ग़ज़ब

(1)

इंजील जलील की ताअलीम का मर्कज़ी उसूल ये है कि “खुदा मुहब्बत है। (1 युहन्ना 4:8) मसीहीय्यत का तमाम दार-ओ-मदार इसी एक उसूल पर है कि खुदा-ए-वाहिद की ज्ञात मुहब्बत है और मसीही अकाईद को समझने की यही एक कुंजी है। अगर कोई शख्स इस अस्लूल-उसूल को नज़र-अंदाज करके किसी मसीही मसअले पर बहस करता है तो मुम्किन है कि वो अपनी खुदादाद अक्ल के जोहर से लोगों को मरऊब कर दे। लेकिन वो इस मसअले को इंजील जलील के पैगाम के मुताबिक हल करने से कासिर रह जाता है।

(2)

मुकद्दस युहन्ना और मुकद्दस पौलुस दोनों अपनी तहरीरात में इस असल के जरीये मसीहीय्यत के पैगाम की तशरीह करते हैं। लेकिन इस के साथ ही वो “खुदा के ग़ज़ब” का भी ज़िक्र करते हैं। (रोमीयों 1:18, युहन्ना 3:36) पस सवाल ये पैदा होता है कि अगर खुदा मुहब्बत है तो खुदा के ग़ज़ब का क्या मतलब है? हमारे ज़हन ये कुबूल नहीं करते कि एक ही हस्ती में मुहब्बत और ग़ज़ब दोनों मौजूद हों, क्योंकि हम ये फ़र्ज़ कर लेते हैं कि मुहब्बत और ग़ज़ब दो मुतज़ाद (एक दुसरे के खिलाफ अलग अलग) सिफ़ात हैं जो एक ही हस्ती में मौजूद नहीं हो सकती हैं। इस की वजह ये है कि हम ईलाही ग़ज़ब को इन्सानी ग़ज़ब के मुताबिक़ तसव्वुर कर लेते हैं। हम ये फ़रामोश कर देते हैं कि इन्सानी ग़ज़ब में गुनाह का अंसर होता है। क्योंकि उस में इंतिक़ाम का ज़ब्बा उमूमन मौजूद होता है। जिस ग़ज़ब से हम वाकिफ़ हैं उस में बदला लेने की ख्वाहिश और मुंतक्रिमाना सज़ा देने का ख्याल तक्ररीबन हमेशा होता है। बल्कि हक़ तो ये है कि इन्सानी ग़ज़ब हर किस्म के जोर व ज़ुल्म, तुंद मिज़ाजी, कीना, बुग़ज़ और हसद, नफ़रत और जंगजोई वगैरह का सरचश्मा है। इस की नश-ओ-नुमा और तरक्की भी इन्ही जज़्बात पर मुन्हसिर है। पस किताब मुकद्दस में बार-बार गुस्से, गेय़ज़ (गुस्सा) और ग़ज़ब के खिलाफ़ ताकीदन तंबीह की गई है। चुनान्चे हज़रत दाऊद फ़रमाते हैं “गुस्सा करने से बाज़ आ और ग़ज़ब को तर्क कर।” (ज़बूर 27:8) हज़रत सुलेमान कहते हैं “ग़ज़ब सख़्त बेरहमी है और कहर एक सेलाब है।” (इम्साल 27:4) मुकद्दस पौलुस इस को ँजिस्म के कामों में शुमार करते हैं जिनकी निस्बत वो फ़रमाते हैं कि “ऐसे काम करने वाले खुदा की बादशाहत के वारिस ना होंगे।” (ग़लतीयों बाब 5) फिर ताकीद करके फ़रमाते हैं कि ँगुस्सा और क़हर वगैरह के सबब खुदा का ग़ज़ब

ना-फ़रमानी के फ़रज़न्दों पर नाज़िल होता है।” (कुलसियों 3:6 ता 8) इस में कुछ शक नहीं कि ग़ज़ब की एक क्रिस्म ऐसी भी है जो सालिह है और जिस को उमूमन रास्तबाज़ाना गुस्सा कहा जाता है, जो जायज़ है। लेकिन ये सवाबकारी (सवाब: नेकी, दुरुस्त अमल) का ग़ज़ब शाज़ोनादर ही इन्सानी तजुर्बे में आता है। इसी क्रिस्म के ग़ज़ब की बाबत हज़रत दाऊद फ़रमाता है □इन्सान का ग़ज़ब खुदा की सताइश करेगा।□ (ज़बूर 76:10) इस क्रिस्म के ग़ज़ब की आला तरीन मिसाल हमको इब्ने-अल्लाह की मुबारक ज़िंदगी में मिलती है। यूं बयान हुआ है कि आप एक दफ़ाअ खुदा की हैकल में तशरीफ़ ले गए। वहां जाकर क्या देखते हैं कि जो जगहगीर यहूद की इबादत के लिए मख्सूस थी। उस को सरदार काहिनों ने तिजारत का ज़रीया और मुनफ़अत (नफे) का वसीला बना रखा है और नमाज़ियों की बजाय वहां बेल और भेड़ें, कबूतर और सर्राफ़ वगैरह हैं। इब्ने-अल्लाह की गैरत जोश जन हुई। आपके हाथ में एक रस्सी थी। आपने उसको कोड़े के तौर पर इस्तिमाल करके भेड़ों, बैलों वगैरह सबको निकाल दिया और ज़बान मोअज्जज़ बयान से फ़रमाया “इनको यहां से ले जाओ मेरे बाप के घर को तिजारत का घर ना बनाओ। खुदावंद फ़रमाता है कि मेरा घर अक्वाम-ए-आलम (तमाम कौमों) के लिए दुआ का घर होगा। लेकिन तुम उसे डाकूओं की खोह बनाते हो।□ (मती बाब 21, युहन्ना बाब 2)

अक्सर अवक़ात जब हम ग़ज़बनाक होते हैं तो अपने गुस्से को हक़ बजानिब साबित करना चाहते हैं और अपने आपको फ़रेब देकर ये ख़याल करते हैं कि हमारा गुस्सा सवाबकारी और रास्ती का गुस्सा है। लेकिन जब हम हक़ के आईने में इस जज़्बे को देखते हैं तो हम पर ये ज़ाहिर हो जाता है कि हमारे जज़्बे में खुदी का अंसर मौजूद है और हमारे ग़ज़ब का असली सबब ये है कि हमारी खुदी और खुदनुमाई को किसी ना किसी तरह से ठेस लगी है। जिससे हमारे दिल में इंतिक़ाम लेने की ख़्वाहिश पैदा होती है और जिस चीज़ को हम गैरत ईलाही की तरफ़ मंसूब करते थे वो दरहकीक़त ईलाही बातों से कोसों दूर होती है और कि हमारा गुस्सा खुदा की तरफ़ से नहीं, बल्कि शैतानी वस्वसे का नतीजा है। चूँकि इन्सानी तजुर्बे में रास्तबाज़ी का गुस्सा *كالتادرن في المردوم* (मक़ला: बहुत कम दस्तयाब होने वाली चीज़ ना होने के बराबर) का हुक्म रखता है। इसलिए हम ईलाही ग़ज़ब के सहीह मफ़हूम को समझने से कासिर रह जाते हैं और ये ख़याल करते हैं कि खुदा जिसकी ज़ात मुहब्बत है, उस की सिफ़त ग़ज़ब नहीं हो सकती।

(3)

एक और सबब है जिसकी वजह से हम ये ख़याल करते हैं कि मुहब्बत और ग़ज़ब के जज़्बे एक जगह जमा नहीं हो सकते। गैर मसीही मज़ाहिब और बिलखसूस इस्लाम ने जो क़हर ईलाही का तसव्वुर हमारे सामने पेश किया है। उस के ख़याल ही

से इन्सान पर दहशत छा जाती है और बदन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अज़रू-ए-कुरआन खुदा एक कहहार हस्ती है और इन्सान मकहूर है। खुदा ज़रर पहुंचाने वाला और गुनाहगारों को फ़ना कर देने वाला हाकिम है। जिसने जहन्नम सज़ा देने की गरज़ से पैदा कर रखा है। कुरआन में सज़ा का बयान पढ़ने से जिस्म पर रअशा तारी हो जाता है। ये ज़ाहिर है कि इस किस्म का ग़ज़ब खुदा की मुहब्बत के मुनाफ़ी (खिलाफ) है और जब इंजील जलील में खुदा के ग़ज़ब का ज़िक्र आता है तो उन अल्फ़ाज़ का वो मतलब हरगिज़ नहीं होता जो इस्लाम और कुरआन का मतलब होता है। इस किस्म के ग़ज़ब में इंतिकाम का अंसर ग़ालिब है और सज़ा का वाहिद मक्सद बदला लेना होता है, जो मुहब्बत के मुनाफ़ी (खिलाफ) है। मुहिब-ए-सादिक अपने महबूब से इंतिकाम नहीं लिया करता।

(4)

हम इस हकीकत को एक दुनियावी मिसाल से वाज़ेह करते हैं। जब किसी बाप का बच्चा आवारा हो कर शैतानी अफ़आल (कामों) का मुर्तकिब होता है तो बाप इस मुहब्बत की वजह से जो वो उस के साथ करता है, उस से गुस्सा होता है। पस बाप का ग़ज़ब दरहकीकत उस की मुहब्बत की आग की चिंगारी है और अगर वो अपने बेटे को सज़ा देता है तो उस का मक्सद इंतिकाम और बदला लेना नहीं होता, बल्कि उस का वाहिद मक्सद ये होता है कि बेटे की ज़िंदगी की इस्लाह हो जाए और उस की आदतें सँवर जाएं और वो राह-ए-रास्त पर चले। बाप की मुहब्बत और उस का ग़ज़ब दो मुतज़ाद (एक दुसरे के खिलाफ़ अलग अलग) बातें नहीं होतीं। इस के बरअक्स बाप का ग़ज़ब उस की मुहब्बत का ज़हूर है, जिसका मक्सद बेटे की इस्लाह है। पस बाप की मुहब्बत और बाप का ग़ज़ब दरहकीकत एक ही तस्वीर के दो रूख हैं। अगर एक जावीयह निगाह से देखा जाये तो वो बाप की मुहब्बत है। लेकिन दूसरे जावीयह निगाह से वही चीज़ बाप का ग़ज़ब है।

ये दुनियावी मिसाल जो हर रोज़ हमारे तजुर्बे में आती है हम को ईलाही मुहब्बत और ईलाही ग़ज़ब का सहीह मफ़हूम समझने में मदद देती है। खुदा मुहब्बत है। लेकिन जब उस का गुनाहगार फ़र्ज़द उस की राह को तर्क करके शैतान के पीछे चलता है तो ईलाही मुहब्बत की आग की चिन्गारियां ईलाही ग़ज़ब की शक्ल में ज़ाहिर होती हैं। पस खुदा की मुहब्बत और खुदा का ग़ज़ब दो मुतज़ाद (एक दुसरे के खिलाफ़ अलग अलग) चीज़ें नहीं हैं, बल्कि ग़ज़ब मुहब्बत का ज़हूर है और यह ग़ज़ब मुंतकिमाना (منتقمانه) नहीं होता। बल्कि इस की ग़ायत गुनाहगार इन्सान की इस्लाह है। इसी वास्ते इंजील जलील में ईलाही ग़ज़ब का नाम [बर्रे का ग़ज़ब] रखा है। (मुकाशफ़ा 6:16) इस ग़ज़ब का मक्सद गुनाहगार इन्सान को फ़ना करना नहीं होता। क्योंकि खुदा हर गुनाहगार से

मुहब्बत रखता है। (युहन्ना 3:16) और चाहता है कि “शरीर (बेदीन) अपनी शरारत से बाज़ आए और ज़िंदा रहे।□

पस सहीह माअनों में ग़ज़ब और मुहब्बत में तज़ाद (आपस में टकराव) नहीं है। मुहब्बत का तज़ाद ग़ज़ब नहीं बल्कि बे-एतिनाई, बेतवज्जुही और बेपरवाई है। अगर ईलाही मुहब्बत का ज़हूर ग़ज़ब में नहीं होता तो इस का मतलब ये है कि खुदा गुनाह के मुआमले में बेपरवाह है और अगर उस का कोई फ़र्ज़द गुमराह हो कर बदी करता है तो उस को बिल्कुल परवाह ही नहीं होती। जिस तरह सौतेले बाप को परवाह नहीं होती। जब उस का सौतेला बेटा शैतानी अफ़्आल (कामों) का मुर्तक़िब हो जाता है। सौतेला बाप इस मुआमले में बे-एतिनाई और बेतवज्जुही इख़्तियार कर लेता है, क्योंकि वो मुहब्बत नहीं करता। लेकिन वो अपने सगे बेटे की तरफ़ से बेपरवाह नहीं होता। चूँकि उस से मुहब्बत करता है। वो उस से नाराज़ होता है ताकि बेटे की इस्लाह हो जाएगी।

पस ईलाही मुहब्बत इस बात का तक्राज़ा करती है कि उस का ज़हूर ग़ज़ब में हो। इस दुनिया में नेकी और बदी की ताक़तों में जंग हो रही है और कोई सहीह-उल-अक्ल शख्स ये नहीं मान सकता कि इस जंग में खुदा ग़ैर जानिबदार हो कर बे-एतिनाई इख़्तियार कर लेता है। उस को ये परवाही नहीं कि इन्सान इस जंग में उस की कमान के मातहत है या शैतान के झंडे तले लड़ रहा है। इंजील जलील की ये ताअलीम है कि खुदा जो नेकी का सरचश्मा है, बदी से अदावत रखता है। लिहाज़ा वो नेकी और बदी की ज़बरदस्त जंग में बेतवज्जुही और बे-एतिनाई इख़्तियार कर ही नहीं सकता। ईलाही ग़ज़ब इस जानिबदारी का लाज़िमी नतीजा है। लेकिन जैसा हम ऊपर ज़िक्र कर चुके हैं इस ईलाही ग़ज़ब में बदला और इंतिकाम का रती भर अंसर भी नहीं है, क्योंकि खुदा मुहब्बत है।

▣बदन की क्रियामत और अबदी जिंदगी▣

15. जब ये फ़ानी जिस्म बक्रा का जामा पहन चुकेगा

(1)

करीबन उन्नीस सौ साल हुए मुकद्दस पौलुस ने लिखा था “कोई ये सवाल करेगा कि मुर्दे किस तरह जी उठते हैं और कैसे जिस्म के साथ आते हैं?” (1 कुरंथियो 15: 35) आज भी अक्सर लोग यही सवाल करते हैं। (जिसका हल सदीयों से इंजील जलील में पाया जाता है।) कि क्या जो जिस्म जी उठेगा बर्इना वही होगा जो सदीयों से तह-ए-ज़मीन में दफ़न हो चुका है? या सपुर्द आतिश किया गया है? या मर्दुम खुद हैवानों और इन्सानों ने खा लिया है। क्योंकि वो तो उन के अपने जिस्मों का हिस्सा हो चुका है।

इंजील जलील का जवाब साफ़ है कि ये जिस्म जो खून, गोश्त और हड्डीयों पर मुश्तमिल है, वो बदन नहीं जो जी उठता है। चुनान्चे हमारे आका व मौला की ज़बाने सदाक़त ने बयान फ़रमाया है “जो लोग इस लायक ठहरेंगे कि उस जहान को हासिल करें और मुर्दों में से जी उठें उन में ब्याह शादी ना होगी। क्योंकि वो फिर मरने के भी नहीं। इसलिए कि वो फ़रिश्तों के बराबर होंगे और क्रियामत के फ़र्जद हो कर खुदा के भी फ़र्जद वो होंगे।” (लूका 20:34) मुकद्दस पौलुस निहायत वाज़ेह अल्फ़ाज़ में फ़रमाता है “गोश्त और खून खुदा की बादशाही का वारिस नहीं हो सकता और ना फ़ना बक्रा की वारिस हो सकती है।” (1 कुरंथियो 15:50)

मुकद्दस पौलुस का मतलब ये है कि जो मोअतरिज़ जी उठने वाले बदन की बाबत ख़याल करते हैं कि वो बर्इना वही जिस्म होगा जो सपुर्द-ए-खाक किया जाता है, वो सख़्त ग़लती में मुब्तला हैं। वो ज़रा कुदरत के नज़ारों पर ग़ौर करें। हर मौसम-ए-बहार में हमारी आँखों के सामने ऐसी तब्दीलीयां वक़ूअ पज़ीर होती हैं जो जी उठने वाले बदन से कम अजीब नहीं हैं। “ऐ नादान तू खुद जो कुछ बोता है। जब तक वो मर ना जाये जिंदा नहीं किया जाता।” गेहूँ के खेत में या आमों के बाग़ में पहले मौत नज़र आती है और फिर जिंदगी रूनुमा होती है। अनाज का दाना ज़मीन में दफ़न किया जाता है। वो पहले मर जाता है। तुख़्म के बाहर का पर्दा तहलील हो जाता है। वो ज़मीन के अंदर पड़ा रह जाता है और वहीं गल के सड़ जाता है। उस का सिर्फ़ असल रह जाता

है। जिसमें नया जिस्म बनने की सलाहीयत होती है। बाक़ी सब फ़ना हो जाता है और उस में से नया पौदा निकलता है। लेकिन ये मुशाबहत और मुनासबत यहीं ख़त्म नहीं हो जाती।

मुक़द्दस पौलुस रसूल फ़रमाता है “जो तू बोता है ये वो जिस्म नहीं जो पैदा होने वाला है।” तू ये उम्मीद नहीं करता कि जो दाना तू ने बोया है वो उसी दाने की सूरत में फिर दुबारा उग पड़ेगा। क्योंकि जब वो उगता है तो वो ऐसी सूरत इख़्तियार कर लेता है जो बोए हुए दाने से क़तई मुख़्तलिफ़ होती है। ऐसा कि मदफ़ून (दफ़न किये हुए) दाने में और उगे हुए पौदे में किसी किस्म की मुमासिलत नहीं होती। उस की सूरत और शक्ल, रंग व बू वगैरह सब में ऐसी तब्दीली वाक़ेअ हो जाती है कि किसी के क्रियास में भी ये नहीं आ सकता कि ये वही दाना है जो सुपुर्द-ए-खाक किया गया था। इस उगी हुई शैय का रंग शोख सबज़ होता है। वो ज़िंदा होती है और रोज़ बरोज़ बढ़ती ही चली जाती है। आमों का बाग़ आमों की गुठलियों के ढेर से किस क़द्र मुख़्तलिफ़ होता है। ख़ुदा नई ज़िंदगी रखने वाली शैय को ऐसी सूरत अता फ़रमाता है कि इन्साननी अक्ल दंग रह जाती है। वो इस क़ानून के मुताबिक़ बढ़ती और तरक्की करती चली जाती है जो ख़ालिक़ ने इसके लिए मुक़र्रर कर रखा है। ख़ुदा ने जैसा इरादा कर लिया वैसा ही उस को जिस्म देता है और हर एक बीज को उस का खास जिस्म (आयत 38) चुनान्चे गेहूँ का पौदा रोज़ बरोज़ बढ़ता चला जाता है। फिर इस में बालें आती हैं और वो साठ गुना और सौ गुना फल लाता है। यही हाल मुर्दों की क्रियामत है जो जिस्म सुपुर्द-ए-खाक या नज़र-ए-आतिश किया जाता है, वो गल सड़ जाता है। लेकिन मुक़र्ररा वक़्त पर एक ऐसा बदन जी उठेगा जिसकी सूरत और शक्ल और ज़िंदगी के तौर तरीक़ मदफ़ून जिस्म से कुल्लियतन मुख़्तलिफ़ होंगे। अगर हम ने गेहूँ के सरसब्ज़ और लहलहाते खेत ना देखे होते तो हमारी कुव्वत-ए-मुतख़य्युला के कभी वहम व गुमान में भी ना आ सकता कि ये उन दानों का अंजाम है जो हम ने ज़ेर-ए-ज़मीन फेंके थे। इसी तरह हमारी कुव्वत-ए-मुतख़य्युला उठने वाले बदन की साख़त और सूरत वगैरह का क्रियास भी नहीं कर सकती और जब दुनिया के खेत में ख़ुदावंद की आमद के वक़्त मौसम-ए-बहार आएगा और ख़ुदा हर जिस्म को नई सूरत बख़शेगा तो हम अपने और अपने अज़ीज़-ओ-अक्रारिब के नए बदनों को देख कर हैरान और दन्ग रह जाएंगे।

(2)

नफ़्सानी जिस्म बोया जाता है और रुहानी जिस्म जी उठता है। जब नफ़्सानी जिस्म है तो रुहानी जिस्म भी है।” (1 कुरंथियो 15:44) जो जिस्म सुपुर्द-ए-खाक किया जाता है, वो “नफ़्सानी है यानी वो हवास-ए-ख़मसा, ख़्वाहिशात और रुजहानात-ए-

कसीफ़ वगैरह का इज़हार है और बिलउमूम हमारी बहीमी (हैवानी फ़ित्रत) का आलाकार है। ऐसा जिस्म सुपर्द-ए-खाक किया जाता है और इस की जगह “रुहानी” बदन जी उठता है यानी ऐसा बदन जो रुहानी उमूर और आला बातों का ज़रीया इज़हार हो और हमारी रुहानी ज़िंदगी की नश्च-नुमा और तरक्की का आलाकार हो। वो हमारे रुहानी मक़ासिद व अगराज़ के हासिल करने में मुमिद व मआवन (موجودون) हो। ऐसा कि “गो अभी तक ये ज़ाहिर नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना हम जानते हैं कि जब वो (मसीह) ज़ाहिर होगा तो हम भी उसकी मानिंद होंगे।” (1 युहन्ना 3:2) उस तरक्की का आगाज़ इसी मौजूदा जिस्म के साथ होता है। लेकिन इस का अंजाम जिस्म के बदल जाने और रुहानी बदन इख्तियार करने से होता है। क्योंकि ये फ़ानी जिस्म बहीमी अंसर की वजह से रुहानी तरक्की का ज़रीया-ए-इज़हार नहीं हो सकता। हमारा वतन आस्मान पर है और हम एक मुंजी (निजात देने वाले) यानी खुदावंद यसूअ मसीह के वहां से आने के इंतज़ार में हैं। वो अपनी कुव्वत की तासीर के मुवाफ़िक़ जिससे सब चीज़ें अपने ताबे कर सकता है हमारी पस्त हाली के बदन की शकल बदल कर अपने जलाल के बदन की सूरत पर बनाएगा।” (फिलिप्पियों 3:20) पस आखिरकार और अंजामकार हमारा “रुहानी” बदन हमारे मुबारक खुदावंद के जलाली बदन की मानिंद होगा। जिसका नज़ारा मुक़द्दस स्तफ़नस ने देखा था। (आमाल 7:55) और जिस का जलाल मुक़द्दस पौलुस पर दमिशक़ की राह पर चमका था। (आमाल 9:3)

(3)

हमने ऊपर के फ़िक़्रे में लफ़ज़ “अंजाम-कार” दीदा व दानिस्ता (जानबूझ कर) इस्तिमाल किया है, क्योंकि ये बदन मुंतहाए कमाल होगा। हमारे मौजूदा फ़ानी जिस्म और उस जलाली बदन के बीच में मुतअद्दिद दरमयानी मनाज़िल हैं जो हमारी रुहानी तरक्की की मुख्तलिफ़ मंज़िलों के मुताबिक़ हैं। जिस रुहानी तरक्की की मंज़िल पर हम पहुंचते हैं उसी के मुताबिक़ हमको बदन भी दिया जाता है। पस दरमयानी मंज़िलों का एक बदन दूसरे बदन से मुख्तलिफ़ है। क्योंकि “सब गोश्त” यकसाँ गोश्त नहीं, बल्कि आदमीयों का गोश्त और है और चौपायों का और। परिंदों का गोश्त और है मछलीयों का गोश्त और। आस्मानी भी जिस्म हैं और ज़मीनी भी। मगर आसमानियों का जलाल और है ज़मीनियों का और। आफ़ताब (सूरज) का जलाल और है महताब (चाँद) का और। सितारों का जलाल और क्योंकि सितारे, सितारे के जलाल में भी फ़र्क़ है। (1 कुरंथियो 15:39-41) रूह की तरक्की की मंज़िल के मुताबिक़ “खुदावंद ने जैसा इरादा कर लिया वैसा ही इस को जिस्म देता है। और हर एक बीज को इस का खास जिस्म। (1 कुरंथियो 15:38)

जनाब मसीह के मुबारक बदन की मिसाल इस हकीकत को वाज़ेह कर देती है। अनाज़ील अरबा (यानी चारो इंजील) का मुतालआ जनाब मसीह की मनाज़िल तरक्की को हम पर जाहिर कर देता है। खुदावंद मसीह लड़कपन में ही रुहानी तरक्की की ऐसी मंज़िलों पर पहुंच गए थे कि आप “हिकमत और क़द-ओ-क़ामत में खुदा की और इन्सान की मक़बूलियत में तरक्की करते गए।” (लूका 2:52) हता कि जवानी के अय्याम (दिनों) में आपकी आजमाईशें भी इस किस्म की थीं जो ना तो जिन्सी ताल्लुकात से मुताल्लिक थीं और ना इन्सानी फ़ित्रत के बहीमी अनासिर से उनका कुछ लगाओ था। (मत्ती 4:1-11) जिसका नतीजा ये हुआ कि खुदा ने आपको ऐसा जिस्म और चेहरा अता किया जिसमें मक़नातीसी (مقتضى) कशिश थी। आपके बुशरा (चेहरे) से ऐसा जलाल टपकता था कि जो भी आप को देखता माँ बाप, बीवी बच्चे, घर-बार, माल जायदाद सब भूल जाता और आप के पीछे हो लेता। (मत्ती 4:22, 8:22, 9:9) बिलअल्फ़ाज़-ए-मुक़द्दस युहन्ना आपके चेहरे मुबारक पर “ऐसा जलाल था जो सिर्फ़ बाप के इकलौते बेटे ही की शायँ-ए-शान हो सकता था। (1:14) जब आप तीस साल के हुए तो आप ने आलम-ए-रुहानियत की मनाज़िल में इस क़द्र तरक्की कर ली कि आपका पुर-जलाल “चेहरा सूरज की मानिंद चमकता था। (मत्ती 17:2)

जब आपने क़ब्र पर फ़त्ह पाई तो आप की जलाली सूरत इस क़द्र बदल गई कि जो लोग आपकी सोहबत से दिन रात फ़ैज़याब होते थे, आपको ना पहचान सके। (लूका 24:18, 27 युहन्ना 20:15) लेकिन अभी तक इन चालीस दिनों में भी जनाब मसीह का बदन अतहर कामिल-तौर पर ञरुहानी ना था। (युहन्ना 20:17) आपके पाकीज़ा और लतीफ़ बदन में अभी तक गोशत और हड्डियां थीं। आप को लोग छू सकते थे। आप खा पी सकते थे। ञखुदा ने जैसा इरादा किया” वैसा ही उस ने आपको बदन अता किया ताकि आपके शागिर्दों को आपकी ज़फ़रयाब क्रियामत (फ़त्ह के साथ जी उठने) का ऐनी और यकीनी इल्म हो जाए। लेकिन जब ये चालीस दिन ख़त्म हो गए तो हुज़ूर के साअद-ए-आस्मानी (आस्मान पर जिस्म के साथ उठाए जाने) के मौक़े पर आपका बदन अतहर कामिल और मुक़म्मल तौर पर “रुहानी” हो गया था। (लूका 24:51) इसी इंतिहाई कमाल के वास्ते 49 वीं आयत में पौलुस रसूल लफ़ज़ “आस्मानी” इस्तिमाल करते हैं।

हम अपने “रुहानी” बदन को भी इस पर क्रियास कर सकते हैं। हमारी रुहानी ज़िंदगी की मनाज़िल में जिस निस्बत से हमारा जिस्म बहीमी अनासिर का आलाकार नहीं होगा बल्कि आला तरीन अगराज़ व मकासिद का ज़रीया-ए-इज़हार होगा। इसी निस्बत से “जैसा खुदा ने इरादा कर लिया”, वैसा ही हमारी रुहानी तरक्की के मुताबिक़ हमको रुहानी बदन अता करेगा। जूँ-जूँ हम जनाबे मसीह के फ़ज़ल से मामूर हो कर खुदा के इफ़ान और मुहब्बत में तरक्की करते जाएंगे, तूँ तूँ हमारे बदनो की सूरत इन

दरमयानी मनाज़िल में बदलती जाएगी। “जब तक हम सब के सब खुदा के बेटे के ईमान और उस की पहचान में एक ना हो जाएं और कामिल इन्सान ना बनें यानी मसीह के पूरे क्रद के अंदाज़े तक ना पहुंच जाएं।” (इफिसियों 4:13)

16. मसअला बक्रा और साईंस

(1)

इस से पहले कि हम मादी जिस्म और रुहानी बदन और उनके बाहमी ताल्लुकात पर गौर करें ये मुनासिब मालूम होता है कि हम माद्दे और रूह की हकीकत को जानें। हम ये नहीं कह सकते कि रूह क्या है? लेकिन इतना हम जानते हैं कि जब हम कहते हैं कि हम में रूह है तो हमारा ये मतलब होता है कि हम एक खुद शऊर हस्ती हैं और हम में अपने नफ़स पर नज़र डालने की सलाहीयत मौजूद है। इस के इलावा हमारा ये भी मतलब होता है कि हमारी रूह में तख्लीकी कुव्वत मौजूद है जो अमल की बिना (बुनियाद) डालती है, माद्दे को काबू में रखती है और उस को अपने अग़राज़ व मकासिद के लिए इस्तिमाल करती है। रूह कुव्वत-ए-इरादी को अमल में लाने की सिफ़त से मुतसिफ़ है और उसकी हकीकत आज़ादी के तसव्वुर के ज़रीये ही कामिल तौर पर बयान में आ सकती है। माद्दा और रूह दोनों में से रूह को अफ़ज़लीयत और फ़ौकियत हासिल है। क्योंकि माद्दा सिर्फ़ एक ज़रीया है जिसके वसीले रूह अपनी असली और ज़ाती फ़ाइलीयत का इज़हार कर सकती है। क्योंकि रूह का ये खास्सा है कि वो अपना इज़हार करे। साईंस की तारीख़ दरहकीकत माद्दे पर काबू हासिल करने की तारीख़ है और इस की तरक्की का इन्हिसार इसी पर है कि माद्दे पर ज़्यादा से ज़्यादा काबू पाए। अगर रूह कामिल तौर पर काबू हासिल कर ले (जिस तरह हमारा ईमान है कि हमारे मुबारक खुदावंद को हासिल था।) तो हम जान जाएंगे कि माद्दे में ये सलाहीयत मौजूद है कि रूह जिस तरह चाहे उस को अपने इरादे के मुताबिक़ ढाल ले।

जिस तरह हम ये नहीं कह सकते कि रूह क्या शैय है, इसी तरह हम ये भी नहीं जानते कि माद्दा क्या चीज़ है। लेकिन मौजूदा साईंस की रोशनी हम पर ये अयाँ कर देती है कि जिस शैय को हम माद्दा कहते हैं वो दरहकीकत ग़ैर मादी है। सच्य तो ये है कि माद्दा और कुव्वत (Energy) दोनों की बाबत हम बहुत कुछ नहीं जानते। लेकिन हम इतना जानते हैं कि हम पहले जो ये ख़याल किया करते थे कि माद्दा किसी मोटी ठोस चीज़ का नाम है, वो ग़लत है। माद्दे की मुख्तलिफ़ अश्या के इंजिमाद और भद्दे पन में दर्ज़ी का फ़र्क़ है। मसलन लोहे की सीख़ के ज़रात इस क्रद ग़नजान होते हैं कि हम इस को आसानी से तोड़ नहीं सकते, लकड़ी ज़्यादा आसानी से टूट जाती है।

मक्खन के हिस्से इस से भी ज़्यादा आसानी से जुदा हो सकते हैं। हम धुएं के बादल में से बाआसानी तमाम गुजर जाते हैं। अब हमारे पास ये मानने के लिए काफी वजूह हैं कि माद्दा मुख्तलिफ़ अक्साम (मुख्तलिफ़ किस्मों) का दरहकीकत एक ही असल है जो मुख्तलिफ़ सूरतों और शक्लें इख्तियार करके मुख्तलिफ़ मुरक्कबात में हमको नज़र आता है। ऐसा मालूम होता है कि माद्दे की हकीकत का असल ही ये है कि वो एक तगय्युर-पज़ीर बदलने वाली लचकदार शैय है। जिसमें ये सलाहीयत मौजूद है कि हर किस्म की सूरत और शक्ल इख्तियार करे।

हम उम्मन ये ख्याल करते हैं कि माद्दी शैय ज़मान व मकान की कुयूद से महदूद होती है और कि वो मुख्तलिफ़ सिफ़तों का मजमूआ होती है। लेकिन ये सिफ़तें दरहकीकत मुख्तलिफ़ आमिल कुव्वतें हैं जो कारकुन हैं और जो अपने असरात से जानी जाती हैं। मसलन गर्मी, रोशनी और हरकत आमिल कुव्वतें हैं और यही हाल दीगर सुनअतों का है। यही वजह है कि अश्या में तब्दीलीयां वाक़ेअ होती हैं और यह तब्दीली ना सिर्फ़ बैरूनी हालत और खारिजी वज़ा की तब्दीली होती है, बल्कि अंदरूनी तब्दीली भी होती है। मसलन एक ज़िंदा बदन हमेशा तमाम वक़्त बदलता रहता है। लेकिन इन तमाम तब्दीलीयों के बावजूद वो वही बदन रहता है। अब सवाल ये है कि वो क्या चीज़ है जो तमाम तब्दीलीयों के दर्मियान यकसाँ रहती है। बाअज़ इस का जवाब ये देते हैं कि वो इस शैय का जोहर और ज्ञात है। लेकिन जोहर का तसव्युर महज़ एक मुजरिद जहनी तसव्युर है जिसकी तजरीद (एक चीज़ को दूसरी से जुदा करना, तन्हाई) एक ख्याली अम्र है।

पस कोई शैय मुख्तलिफ़ आमिल कुव्वतों के मजमूए का नाम है। माद्दे की सिफ़त ही ये है कि वो हमेशा मैदान-ए-अमल बना रहे। लेकिन जैसा हम ऊपर कह चुके हैं अमल दरहकीकत रूह का इम्तीयाज़ी निशान है। इन हक़ायक़ को पेश-ए-नज़र रख कर हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि रूह और माद्दे में दरहकीकत कोई ऐसा नुमायां फ़र्क़ नहीं कि वो एक दूसरे के मुतज़ाद (खिलाफ़) समझे जाएं। इन दोनों के दर्मियान फ़िल-हकीकत कोई खलीज हाइल नहीं है। मसलन जब हम रोटी खाते हैं तो हमारे जिस्म इस को हजम करते हैं, जिस माद्दे की वो बनी हुई होती है। वो हमारे अंदर जाकर अपनी सूरत तब्दील कर लेता है। निवाला हमारे खून में जाकर हमारे ज़िंदा निज़ाम का हिस्सा बन जाता है और इस के असर की हदबंदी नहीं कर सकते। अगर वो हमारी हड्डीयों और पट्टों के बनने और उन की नशो-नुमा में मुमिद व मआवन हो सकता है, तो क्या वो हमारे ख्यालात, जज़्बात वगैरह के बनने और नशो-नुमा पाने में मुमिद व मआवन नहीं हो सकता? क्या एक भूके फ़ाक़ों के मारे इन्सान का दिमाग़ नशो-नुमा पा सकता है? और उस के ज़हन का अमल तरक्की की आला मनाज़िल कुव्वते कर सकता है? हरगिज़ नहीं। पस रोटी का निवाला दरहकीकत एक हमेशा तब्दील होने वाली शैय है

जो मुख्तलिफ़ सूरतें पकड़ती हैं और जिस के अमल की एक सूरत दूसरी में और दूसरी सूरत तीसरी में तब्दील होती जाती है और यूं अला-हाज़-उल-क़यास वो एक लामतनाही (बेइन्तहा, जिसकी इन्तहा ना हो) सिलसिला बन जाता है। पस अगर जिस शैय (चीज़) को हम माद्दी कहते हैं वो ऐसी सूरतों इख्तियार कर लेती है जिसको हम “रुहानी” कहते हैं, तो क्या माद्दी और रुहानी शैय में फ़र्क और इम्तियाज़ बाकी रह जाता है?

(2)

मज़कूर बाला उमूर को पेश-ए-नज़र रखकर अब जिस्म की तरफ़ आईए। हमारा जिस्म एक तग़य्युर-पज़ीर शैय है, जिसमें हर वक़्त तब्दीली वकूअ में आती रहती है। इस के जो ज़र्त घिस पिस जाते हैं, उन की जगह नए ज़र्त ले लेते हैं। चंद सालों के बाद (जिनको उर्फ़-ए-आम में सात साल कहा जाता है) जिस्म के तमाम ज़र्त कुल्लियतन (पुरे तौर पर) तब्दील हो जाते हैं। ऐसा कि पुराना जिस्म नेस्त हो जाता है और उस की जगह एक नया जिस्म ले लेता है। सात साल के बाद ये नया जिस्म भी पुराना हो जाता है और एक तीसरा नया जिस्म उस की जगह ले लेता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि वो क्या शैय है जो जिस्म की इन तमाम तब्दीलीयों में हमारी इन्फ़िरादियत को बरकरार और कायम रखती है? एक और मिसाल ले लीजिए। दरिया का पानी हमेशा बहता रहता है, लेकिन इस की जुगराफ़ियाई सूरत कायम रहती है। क्या इसी तरह हमारे जिस्म की तब्दीलीयों के दर्मियान हमारी इन्फ़िरादियत की कोई सूरत कायम रहती है? अगर रहती है तो क्या मौत के बाद भी वो तब्दीली के दर्मियान कायम रहेगी?

मौजूदा जिस्म की तब्दीलीयां इस क़द्र अज़ीम होती हैं कि अगर किसी शख्स ने किसी बच्चे को बचपन की हालत में देखा हो तो वो इस को बीस पच्चीस साल के बाद कभी पहचान नहीं सकेगा। अगरचे बच्चा वही होता है जो बचपन से लड़कपन और जवानी की मुख्तलिफ़ मनाज़िल को तेय करता रहता है। पस सवाल ये है कि वो क्या शैय है जो हमारे जिस्म की इन्फ़िरादियत को कायम रखती है? इस का जवाब ये है कि ये शैय हमारी ज़िंदगी की असल है जो तब्दीलीयों के दर्मियान जिस्म की तमाम कुव्वतों को तंज़ीमी तर्तीब देकर बाकायदा तौर पर उनको ऐसा मज़बूत करती है कि इस जिस्म की इन्फ़िरादियत कायम रहती है। पस इन्सानी जिस्म महज़ ज़र्त का मजमूआ नहीं होता, बल्कि हर जिस्म की तर्कीब और साख़त जुदागाना होती है जिससे हम एक जिस्म को दूसरे से पहचान लेते हैं। हर जिस्म के ज़र्त खास खास तरकीबों से मुरक्कब होते हैं और हर जिस्म के ज़र्त इस क़ानून के तहत हैं जिससे उस की ज़िंदगी की असल उनको बाकायदा तौर पर मुरत्तिब करती है और इस में हस्ब-ए-ज़रूरत तर्मीम व तादील करती रहती है। ऐसा कि हमारे जिस्म हमारी ज़हनी और रुहानी हालत का अक्स

हो जाते हैं। मसलन बाअज़ लोगों की आदतें ऐसी मकरूह होती हैं कि उनके चेहरे और जिस्म घिनौने हो जाते हैं, मसलन गुस्सावर शख्स का माथा और चेहरे के शिकन मुहब्बत भरे शख्स के चेहरे से बिल्कुल मुख्तलिफ़ हो जाते हैं। मिस्ल मशहूर है कि पच्चीस बरस की उम्र के बाद हर शख्स अपने चेहरे का आप जिम्मेदार होता है। नेक सीरत शख्स का जिस्म एक किस्म हो जाता है, लेकिन बदकार आदमी का जिस्म दूसरी किस्म का हो जाता है। बहर-सूरत जिंदगी का असल हमारे अंदर हर वक़्त काम करता रहता है। क्या ये बात ना-मुम्किनतात में से है कि यही जिंदगी की असल मौत के बाद भी कारफ़रमा रहे? और जो बदन भी हमको मिले वो हमारी शख्सियत के ऐन मुनासिब और हमारी रुहानी हालत के ऐन मुताबिक़ हो? क्या ये मुम्किन नहीं कि जिस तरह तब्दीलीयों के बावजूद हम किसी शख्स के जिस्म को पहचान कर कह सकते हैं कि ये वही है, इसी तरह हमारे इस जिस्म और मौत के बाद के बदन में तब्दीली के बावजूद इन्फ़िरादियत कायम रहे? हम ऊपर कह चुके हैं कि हमारी जाहिरी सूरत की ये इन्फ़िरादियत जिंदगी की असल की तंजीमी तर्तीब की वजह से है। लेकिन हकीकत ये है कि जिस्मानी इन्फ़िरादियत महज़ एक सतही शैय है। हमारी शख्सियत यकसानियत महज़ जिस्मानी इन्फ़िरादियत से बहुत ज़्यादा गहरी है। हमें याद रखना चाहिए कि शख्सियत के लिए ज़ेल के अनासिर ज़रूरी हैं :-

- (1) खुद शऊरी
- (2) कुव्वत-ए-इरादी
- (3) कुव्वत-ए-हाफ़िज़ा
- (4) मख़सूस जज़्बाती अमल जो हर जुदागाना शख्सियत के लिए जुदा होता है।

चुनान्चे जब हम किसी शख्स की हयात-ए-जावेदानी का या उस की शख्सियत की बक्रा का जिक़र करते हैं तो हमारा मतलब ये होता है कि उस में मज़कूर बाला चारों अनासिर का कायम और बरकरार रहना लाज़िमी है। शायद कोई ये ख़याल करे कि आखरी अंसर यानी जज़्बात के बरकरार रहने की ज़रूरत नहीं है? लेकिन जज़्बात के पे हम तवातर और तसलसुल का जारी रहना हद दर्जा लाज़िमी है। क्योंकि ये पहलू हमारी जिंदगी के हर शोअबे पर हावी होता है और हर जिंदा-नफ़्स की जिंदगी को ख़ुसूसी अंदाज़ से जाहिर करता है। मसलन मुहब्बत आला तरीन जज़्बा है और आस्मानी जिंदगी दरहकीकत मुहब्बत की ही जिंदगी है।

(3)

जब हम रसूलों के अक़ीदे में इकरार करते हैं कि “मैं बदन की क़ियामत (जी उठने) पर ईमान रखता हूँ।” तो हमारा मतलब ये नहीं होता कि जिस लाश को हम

सुपुर्द-ए-खाक करते हैं या जला देते हैं, वही क्रियामत के रोज़ क़ब्र से दुबारा उठ खड़ी होगी। क्योंकि ये एक नामुम्किन और अन्होनी बात है। वो तो खाक का हिस्सा हो जाती है। जिसके ज़रात खाक के दूसरे ज़रात से मिलकर नए मुरक्कबात बन जाते हैं, जो पौदों, हैवानों और इन्सानों के जिस्मों की तर्कीब में शामिल हो कर उन के जिस्मों का हिस्सा बन जाते हैं। हमें ये भी याद रखना चाहिए कि जैसा हम ऊपर कह चुके हैं, हर सात साल के बाद हम को एक नया जिस्म मिल जाता है। पस क्या ज़रूरी है कि हम ख्वाह-मख्वाह ये फ़र्ज कर लें कि हमारा इस दुनिया का आखिरी जिस्म (जिसको हम दफ़न करते हैं) हमारी असली शख़िसयत का हकीकी आईनेदार था और उस के पहले के जिस्म हमारी शख़िसयत के असली नुमाइंदे ना थे? सच्य तो ये है कि हमारे बुढापे का जिस्म इन्हितात और जईफी (कमजोरी) के जमाने का होता है। जब हमारी शख़िसयत के क़वाअ (ताक़त) एक एक करके सब जवाब देने लग जाते हैं और वो जिस्म हमारी शख़िसयत की कामलीयत और शक्ति, जहनी कुव्वत और रुहानी ताक़त का कमा-हक्का इज़हार नहीं कर सकते। यही वजह है कि मुक़द्दस पौलुस ने फ़रमाया है कि “खुदा ने जैसा इरादा कर लिया वैसा ही उस को जिस्म देता है।” बक़ा के लिए लाज़िम है कि हमारी शख़िसयत का तवातर और तसलसुल (लगातार होना) कायम रहे और तब्दीलीयों के दर्मियान शख़िसयत के मज़कूर बाला अनासिर हमेशा बरकरार हैं। शख़िसयत की बक़ा का मतलब ही ये है कि हमारी मुस्तक़बिल की जिंदगी में ये इस्तिमरार (दवाम), तवातर और तसलसुल हमेशा कायम रहे। हक़ तो ये है कि तब्दीली के मफ़हूम में ही ये बात दाख़िल है कि जो शैय तब्दील हो वह तब्दीली से पहले और तब्दीली के बाद वही शैय रहे।

अगर कोई ये सवाल पूछे कि हमारा जिस्म मौत के बाद किस किसम का होगा? तो हम इस सवाल का कोई यकीनी जवाब नहीं दे सकते। हम फ़क़त ये कह सकते हैं कि लाज़िम है कि मौत के बाद जो बदन भी हमको मिले वो हमारी शख़िसयत (जिसमें मज़कूर बाला अनासिर शामिल हों) का बेहतरीन तौर पर इज़हार कर सके। इस सवाल का जवाब हम देने से कासिर हैं। क्योंकि मौत की तब्दीली के बाद का बदन हमारे हवास-ए-खम्सा के तजुर्बे में नहीं आया। इस सवाल का जवाब महज़ ज़न (गुमान) और क्रियास के साथ ही ताल्लुक़ रखता है।

चुनान्चे बाअज़ ये ख़याल करते हैं कि हम इसी दुनिया में मौत से पहले अपने मौजूदा कसीफ़ जिस्म के साथ साथ एक और अंदरूनी, बातिनी और ग़ैर मुरई (दिखाई ना देने वाली चीज़ें) बदन भी बनाते जाते हैं, जो निहायत लतीफ़ ज़रात से बना होता है और ये नज़रिया ग़ैर मुम्किन नहीं। क्योंकि ये नज़रिया इस्तिमरार और इन्फ़िरादियत को बरकरार रखता है। इस के मुताबिक़ रूह ग़ैर मुरई (दिखाई ना देने वाली चीज़ें) दुनिया में बग़ैर किसी बदन के दाख़िल नहीं होता और उसे नए सिरे से कोई ऐसा बदन

बनाना नहीं पड़ता जो उसके मुनासिब-ए-हाल हो। बल्कि वो अपने साथ इस जहान से कूच करते वक़्त बना बनाया बदन ले जाती है। इस नज़रिये से हम में मौजूदा ज़िंदगी की संजीदगी का एहसास भी पैदा हो जाता है। क्योंकि हम ये जान जाते हैं कि हमारे मौजूदा खयालात, आदात, जज़्बात और अफ़्आल ना सिर्फ़ हमारे मौजूदा जिस्म को ही ढालते हैं, बल्कि हमारे मुस्तक़बिल के बदन का भी ताना-बाना हैं। जो नादीदा (अनदेखे) जहान में हमारी रूह का ज़रीया-ए-इज़्हार और आलाकार होगा। बहरहाल ये महज़ क्रियास आराई है, जो यक़ीनी नहीं हो सकती।

(4)

साईस ने हयात बाद-अज़-ममात (मौत के बाद ज़िन्दगी) की तहक़ीक़ व तफ़्तीश की है। 1882 ई. में इस मक़सद के लिए एक बाकायदा सोसाइटी बनाई गई जिसका नाम “सोसाइटी फ़ार साएकीकल रिसर्च” (Society for Psychological Research) है। गुज़श्ता सत्तर साल से मगरिबी ममालिक और अमरीका के माहिरीन नफ़िसयात, उलमा और साईसदान साईस के उसूलों के मुताबिक़ इन लातादाद हकायक़ और मुशाहदात की खोज लगाते रहे हैं जिनका ताल्लुक़ कब्र के बाद की ज़िंदगी से है। उन की अन-थक़ कोशिशों का नतीजा ये है कि आज इस मज्मून पर एक बड़े हुजम और ज़ख़ामत का वसीअ लिट्रेचर मौजूद हो गया है। जिसके मुतालए के लिए सालहा साल दरकार हैं। अब ये साईसदान मानते हैं कि मौजूदा ज़िंदगी का अंजाम मौत नहीं है, बल्कि ज़िंदगी ग़ैर मुन्क़ते और मुसलसल है, जिसमें मौत भी हाइल हो कर खलल नहीं डाल सकती। क्योंकि मौत इस तवातर में रोज़ाना नींद की तरह महज़ एक ज़मनी वाक़िया होती है जिसमें से हर इन्सान गुज़रता है। जिस्म रूह का आलाकार और ज़रीया-ए-इज़्हार है, जिसको रूह ने इस मौजूदा ज़िंदगी के बरसों में आहिस्ता-आहिस्ता तर्कीब व तर्तीब देकर मुनज़ज़म किया है। लेकिन जब रूह इस मौजूदा जिस्म की कैद से आज़ाद हो जाती है, तो वो एक ऐसी ज़िंदगी शुरू करती है जिसके मैदान-ए-अमल में मौजूदा दुनिया की सी रुकावटें हाइल नहीं होतीं। वो ज़िंदगी ज़्यादा हकीकी और उम्मीद अफ़ज़ा हालात की ज़िंदगी होती है। रूह का नया बदन ज़्यादा लतीफ़ होता है जो रुहानी मक़ासिद और अगराज़ के हुसूल के लिए ज़्यादा मौजूं होता है।

□मुक़द्दसों की रिफ़ाक़त□

17. मुक़द्दसों की रिफ़ाक़त और मुर्दों के लिए दुआ मांगने का दस्तूर

गुजश्ता मज़ामीन में हमने ये साबित करने की कोशिश की है कि जब हम इस दार-ए-फ़ानी से कूच कर जाते हैं तो हम फ़ना नहीं हो जाते, बल्कि इसके बरअक्स हमारी शख्सियत कायम और बरकरार रहती है और मौत से पहले की शख्सियत में और मौत के बाद की शख्सियत में तवातर और तसलसुल बईना इसी तरह कायम रहता है जिस तरह रोज़ाना रात को नींद से पहले और सुबह जाग उठने के बाद हमारी शख्सियत में किसी क्रिस्म का फ़र्क नहीं होता। हमने इन मज़ामीन में ये बताया है कि मौत के बाद की ज़िंदगी ग़शी और बेहोशी की ज़िंदगी नहीं होती, बल्कि हमारी हालत शऊर की हालत होती है। जिसका लाज़िमी नतीजा ये होता है कि हमको ना सिर्फ़ अपनी हालत का इल्म होता है, बल्कि दूसरों की शख्सियत का भी इल्म होता है। क़ब्र की परली तरफ़ के रहने वाले को ना सिर्फ़ ये पता होता है कि मैं वही क़बल अज़ मर्ग वाला “मैं” हूँ, बल्कि उस को इस के क़बल अज़ मर्ग के रिश्ते और ताल्लुकात सब याद होते हैं। क्योंकि उस की कुव्वत-ए-हाफ़िज़ा, उस के खयालात, जज़्बात, मुहब्बत व अदावत, खसलत, कैरेक्टर (किरदार) वगैरह सब उस के साथ जाते हैं जो उस की शख्सियत के अजज़ा-ए-लाअनफ़क़ होते हैं। पस मौत के बाद हर शख्स अपनी क़बल अज़ मर्ग ज़िंदगी के खानदानी और दीगर ताल्लुकात से बखूबी वाकिफ़ होता है और उन को याद रखता है। क्योंकि उस के खयालात, जज़्बात, रुहानी हालात, आदात और कैरेक्टर सब वही होते हैं जो मौत से पहले थे। फ़र्क सिर्फ़ बैरूनी और खारिजी हालात में ही वाक़ेअ होता है। इस मौजूदा खारिजी दुनिया के एवज़ वो एक ऐसी दुनिया में ज़िंदगी बसर करना शुरू करता है जो “मसीह के साथ” होती है। वो खुदावंद की कुर्बत (नज़दीकी) में होता है और उसका माहौल इस दुनिया से बदरजहा बेहतर होता है। जहां वो अपनी सिफ़ली और बहीमी ज़िंदगी और गंदे खयालात, ग़लीज़ जज़्बात और बेहूदा आदात पर ज़्यादा आसानी से ग़ालिब आ सकता है। इस की ग़ैर मुकम्मल ज़िंदगी की खामियाँ एक एक करके रुखस्त हो सकती हैं, हता कि वो इस काबिल हो जाता है कि खुदा के जलाल को रूबरू देख सके। (1 कुरंथियो 13:12) इन्सान अपनी मौत के बाद राही मुल्क-ए-अदम नहीं होता, बल्कि राही मुल्क इंतिज़ार होता है। इस मुल्क इंतिज़ार में उस की रूह रफ़ता-रफ़ता इस काबिल हो जाती है कि “मसीह के कद के पूरे अंदाज़े” तक पहुंच सके।

(1)

पस सवाल ये है कि अगर हमारे अजीज जो इस जहान से कूच कर जाते हैं अपने साथ वही खयालात, आदात, जज्बात, कुव्वत-ए-हाफिजा और खसाइल वगैरह ले जाते हैं और पार की दुनिया में भी वो हम को याद रखते हैं तो हमारे और उन के बाहमी ताल्लुकात किस किस्म के हो सकते हैं? क्या उन में और हम में किसी किस्म की बाहमी रिफाकत कायम रह सकती है? क्या वो बदस्तूर साबिक हमारी परवाह करते हैं और हम से मुहब्बत रखते हैं? क्या वो हमारे लिए इसी तरह दुआएं करते हैं जिस तरह वो कबल अज्र मर्ग इस दुनिया में दुआएं मांगते थे? क्या हमारे और उन के बाहमी ताल्लुकात इसी किस्म के होते हैं जो ऐसे रिश्तेदारों में होते हैं जो मुख्तलिफ़ ममालिक में रहने की वजह से एक दूसरे की निगाहों से ओझल होते हैं? इंजील जलील इन सवालात का जवाब इस्बात (सबूत) में देती है और कलीसिया-ए-जामा इस बात पर ईमान रखती है कि कब्र के आर-पार के रहने वाले एक दूसरे के साथ रिफाकत रखते हैं और जिस्म की मौत इस रिफाकत में हरगिज खलल-अंदाज नहीं होती। चुनान्चे हम “रसूलों के अक्कीदे” में इकरार करते हैं “मैं ईमान रखता हूँ रूहुल-कुद्दुस पर। पाक कलीसिया-ए-जामा पर। मुकद्दसों की रिफाकत पर।.....” मुकद्दसों की रिफाकत का मतलब ही ये है कि वो तमाम मसीही जो इस दुनिया में बक़ैद-ए-हयात हैं और वो तमाम मसीही जो इस दुनिया से कूच करके “मुल्क-ए-इंतिज़ार” में हैं और वो तमाम मसीही जो अपने बुरे खसाइल पर कामिल फ़त्ह हासिल करके जलाली मुल्क में खुदा की कुर्बत (नज़दिकी) में रहते हैं। सब के सब एक दूसरे से रिफाकत रखते हैं और हर मअनी में एक दूसरे के रफ़ीक और साथी हैं। कलीसिया के वो शुरका जो इस दुनिया-ए-फ़ानी में रुहानी जंग कर रहे हैं और कलीसिया के वो शुरका जो उस जहान के मुल्क-ए-इंतिज़ार में फ़त्ह पर फ़त्ह पा रहे हैं और कलीसिया के वो शुरका जो कामिल फ़त्ह हासिल करके अपने मुंजी (निजात देने वाले) की मुहब्बत में सरशार और उस के नूर में रहते हैं। सब के सब एक दूसरे के साथ रिफाकत, दुआ, हमदर्दी और मुहब्बत के बंधनों में जकड़े हुए हैं और सब के सब “मसीह यसूअ में एक” हैं। क्योंकि उन सबकी बाहमी रिफाकत की असल जनाब मसीह है, जिसको वो वहां और हम यहां प्यार करते हैं। जिसकी वो और हम तारीफ़ करते, इबादत और परस्तिश करते हैं और जिस की कुर्बत (नज़दिकी) में हम सब “एक” हैं। जनाब मसीह की हुजूरी इस दुनिया में हमारे साथ वैसी है, जैसी मुल्क-ए-इंतिज़ार में रहने वालों के साथ है। वही “अंगूर का हकीकी दरख्त” है और हम सब उस की डालियां हैं। ख्वाह हम इस दुनिया में रहें, ख्वाह कब्र के पार की दुनिया में रहें। इसी एक दरख्त के तने से सब टहनियों को ज़िंदगी मिलती है। ख्वाह वो टहनियां दीवार के इस तरफ़ हों जो नज़र आती हैं, ख्वाह वो दीवार की परली तरफ़ हों जो नज़र नहीं आतीं, लेकिन जिन पर सूरज की रोशनी हरदम और हर

लम्हा रहती है। (मुकाशफ़ा 21:23) जिस तरह हमारी नाकामियों, खामीयों और गुनाहों के बावजूद मसीह हमारी ज़िंदगी है, इसी तरह (बल्कि इस से भी ज्यादा) वो हमारे उन अजीजों की ज़िंदगी है जो मुल्क-ए-इंतिज़ार में हैं। जिस तरह हम इस दुनिया में अपने अजीजों के लिए दुआएं मांगते हैं, उसी तरह वो अपने अजीजों के लिए जिनको वो इस दार-ए-फ़ानी में छोड़ गए हैं, दुआएं करते हैं। जिस तरह हम खुदा की हम्दो तारीफ़ और सताइश करते हैं, उसी तरह वो भी रब-उल-इज्जत की सताइश और ताज़ीम में लगे रहते हैं। यही वजह है कि कलीसिया-ए-हिंद व पाकिस्तान की दाये अमीम की किताब में पाक रिफ़ाक़त की नमाज़ में हम खुदा की तारीफ़ करते वक़्त कहते हैं :-

□इस लिए फ़रिशतों, मुकर्रब फ़रिशतों और कुल आस्मानी फ़ौज के साथ हम तेरे नाम की हम्दो ताज़ीम करते हैं और कहते हैं कुद्स, कुद्स, कुद्स खुदावंद रब-उल-अफ़वाज। आस्मान और ज़मीन तेरे जलाल से मामूर हैं, अलीख।□

बाज़-अवकात ये सवाल किया जाता है कि हमारे अजीज जो इस दार-ए-फ़ानी से कूच कर गए हैं, हमारे लिए किस तरह दुआ कर सकते हैं? लेकिन जब हम ये मानते हैं कि वो “मसीह के साथ” हैं तो ये सवाल फ़ुज़ूल और मुहमल (बेमतलब, बेमाअनी, लायाअनी, फ़िज़ूल) सा हो जाता है, क्योंकि जहां मसीह है वहां की आबो हवा और फ़िज़ा दुआ की फ़िज़ा है। चुनान्चे मुकद्दस युहन्ना आरिफ़ फ़रमाता है, “हर एक के हाथ में बरबत और ऊद से भरे हुए सोने के प्याले थे। ये मुकद्दसों की दुआएं हैं।□ (मुकाशफ़ा 5:8, 8:4) जब मुल्क-ए-इंतिज़ार की फ़िज़ा ही दुआ की फ़िज़ा है तो क्या हमारे वहम व गुमान में ये आ सकता है कि हमारी माएं और हमारे अजीज जो इस दुनिया में हर वक़्त हमारे वास्ते सरबसजूद थे, उस पार की दुनिया में हमें ऐसा फ़रामोश कर दें कि वो हमारे लिए दुआ भी ना करें? वो ग़शी और बेहोशी की हालत में नहीं रहते, बल्कि हालत-ए-शऊर में हैं। उनकी कुव्वत-ए-हाफ़िज़ा और शख़िसयत वैसी ही बरकरार है। इन्दरियन हालात वो हमारी हालत से बख़ूबी वाकिफ़ होते हैं और हमारे नेक व बद् किरदार और अफ़आल को नादीदनी निगाहों से ग़ैर मुरई (दिखाई ना देने वाली चीज़ें) दुनिया से देख रहे हैं। हमको आजमाईशों पर फ़त्ह पाते या उन पर गिरते देखते हैं। क्या ये मुम्किन हो सकता है कि वो इन बातों को देखते हुए हमारे लिए बारगाह-ए-एज़दी से दुआ ना करते हों? वो □मसीह के साथ□ हैं। गोहम को “धुँदला□ सा दिखाई देता है। लेकिन वो सब उमूर को “पूरे तौर पर पहचानते□ हैं और □रूबरू” देखते हैं। (1 कुरंथियो 13:12) पस वो अपने ग़म-ग़श्ता अजीजो अकारिब के लिए आहें भर कर और कराह कर दुआएं करते हैं ताकि वो मसीह के रफ़ीक़ हो कर इस दुनिया में ऐसी ज़िंदगी बसर करें कि वो मुकद्दसों की रिफ़ाक़त में कायम रहीं।

(2)

पस जब हम इस दार-ए-फ़ानी में हैं और हमारे अज़ीज़ जो उस पार मुल्क-ए-इंतिज़ार में रहते हैं, मसीह की रिफ़ाक़त में क़ायम हैं तो ये वाज़िब और लाज़िम है कि जिस तरह वो हमारी आजमाईशों के वक़्त हमारे लिए दुआ करते हैं हम भी उन के लिए दुआ क्या करें, ताकि वो मुल्क-ए-इंतिज़ार से गुज़र कर उस जलाली नूर में दाख़िल हों जहां आफ़ताब-ए-सदाक़त (सच्चाई का सूरज) अपनी पूरी दरख़शानी के साथ चमकता है। (मुकाशफ़ा 21 23) लफ़ज़ "रिफ़ाक़त" का मतलब ही ये है कि हम दोनों में बाहमी ताल्लुकात क़ायम हैं, वर्ना ये लफ़ज़ बेमाअनी रह जाता है। "रफ़ीक़" के लफ़ज़ का इतलाक़ उन पर किया जाता है जो एक दूसरे के साथी हों, जो एक दूसरे को याद रखें और एक दूसरे से मुहब्बत करें और एक दूसरे का सहारा हो कर आड़े वक़्त में मदद करें। पस लाज़िम है कि जिस तरह उस पार मुल्क-ए-इंतिज़ार और मुल्क-ए-नूर के रहने वाले हमारे लिए दुआएं और मुनाजातें करते हैं, हम भी उन के लिए दुआएं और मुनाजातें करें ताकि वो रोज़ाना ख़ुदा की कुर्बत (नज़दिकी) और मुहब्बत में बढ़ते जाएं और अपनी ख़ामीयों से (जो वो इस दुनिया से अपने साथ ले जाते हैं,) ज़्यादा कामिल तौर पर रिहाई हासिल करके फ़ज़ल और पाकीज़गी से मामूर हो जाएं। पस जिस तरह हम उन की दुआओं के मुहताज हैं, वो भी हमारी दुआओं के मुहताज हैं। जिस तरह उन की दुआएं हमारी रुहानी जिंदगी में मदद कर सकती हैं, उसी तरह हमारी दुआएं भी उन की रुहानी तरक्की में मुमिद व मआवन (ممد و معاون) हो सकती हैं।

(3)

तारीख़ इस बात की गवाह है कि कलीसिया-ए-जामा पहली पंद्रह सदीयों तक अपने अज़ीज़ों के लिए दुआएं करती चली आई जिस तरह वो इब्तिदा से हर ज़माने में करती चली आई है। पस कलीसिया-ए-हिन्दुस्तान व पाकिस्तान के शुरुका पर लाज़िम है कि वो इस क़दीम रिवायत को क़ायम रखकर अपने उन अज़ीज़ों के लिए जो उस पार मुल्क-ए-इंतिज़ार में रहते हैं, ख़ुदा के फ़ज़ल के तख़्त के हुज़ूर हमेशा दुआएं किया करें। ये अफ़सोस की बात है कि गुज़श्ता चार सदीयों से यूरोपीयन ममालिक की "इस्लाह याफ़्ताह" कलीसियाओं ने इस दिलकश रिवायत और क़दीम दस्तूर को बंद कर दिया है। इस की वजह रूमी कलीसिया की बाअज़ बद-उन्वानियाँ थीं, जिनकी वजह से आशिक़ान-ए-मसीह उस कलीसिया से बेज़ार हो गए थे। कलीसिया-ए-रूम ने मुर्दों के लिए दुआएं करना तिज़ारत का ज़रीया बना रखा था जिससे उस की आमदनी में बड़ा भारी इज़ाफ़ा हो गया था। लेकिन यूरोप के मुस्लिहीन ने इस ख़राबी की इस्लाह करने की बजाय उस को कुल्लियतन बंद कर दिया। वाज़िब तो ये था कि मुस्लिहीन इस बात पर ज़ोर देते कि दुआओं को आमदनी का ज़रीया ना बनाया जाये और इस का नाजायज़

इस्तिमाल ना किया जाये। इस की बजाय उन्होंने ने इस के जायज़ इस्तिमाल को भी हुक्मन बंद कर दिया और रफ़ता-रफ़ता इन इस्लाह याफ़ताह कलीसियाओं में ये ख़याल पैदा हो गया कि मुर्दों के लिए दुआ माँगना एक क़बीह बात है। चूँकि पंजाब के मसीही किसी ना किसी [इस्लाह याफ़ताह कलीसिया] के मेंबर हैं, वो भी इस ग़लत ख़याल में मुब्तला हो गए कि मुर्दों के लिए दुआ माँगना एक बिदती अक़ीदा है। हालाँकि ये तमाम रासिख-उल-एतकाद कलीसियाओं का अक़ीदा है और कलीसिया-ए-जामा अपने अज़ीज़ों के लिए दुआएं करती चली आई है। हक़ तो ये है कि उन के लिए दुआ ना करना, बिदत है।

यूरोपीयन ममालिक की कलीसियाओं की तारीख़ हमको बताती है कि सोलहवीं सदी में यूरोप में कलीसिया-ए-रूम और इस्लाह याफ़ताह कलीसियाओं में बाहमी मुख़ासमत इस कदर बढ़ गई थी कि इस्लाह याफ़ताह कलीसियाएं, कलीसिया-ए-जामा के उन तमाम दस्तुरात और रसूमात को तर्क कर देती थीं जिनका रूमी कलीसिया में रिवाज था। मसलन रूमी कलीसिया के ख़ादिमान-ए-दीन नमाज़ पढ़ते वक़्त इबादत अमीम की किताबों का इस्तिमाल करते हैं। पस इस्लाह याफ़ताह कलीसियाओं ने तहरीरी किताबी दुआओं का इस्तिमाल तर्क करके ज़बानी दुआओं का रिवाज शुरू कर दिया। कलीसिया-ए-रूम के ख़ादिमान-ए-दीन इबादत के वक़्त ख़ास लिबास ज़ेब-ए-तन करते हैं। पस इन कलीसियाओं ने इस को भी ख़ैरबाद कह दिया। रूमी कलीसिया इस बात पर ज़ोर देती है कि इबादत के दौरान में दुआ करने के वक़्त घुटने टेके जाएं। पस उन कलीसियाओं ने घुटने टेकने की बजाय दुआ के वक़्त बैठने की रस्म शुरू कर दी। हता कि एक वक़्त ऐसा भी था जब पीवरीटन (Puritan) अपने मुर्दों को नमाज़-ए-जनाज़ा पढ़े बग़ैर गाड़ देते थे, क्योंकि रूमी कलीसिया जनाज़े की नमाज़ पढ़ती थी।²¹

इसी किस्म के जज़्बात के मातहत इस्लाह याफ़ताह कलीसियाओं ने अपने मुर्दा अज़ीज़ो अक़ारिब के लिए दुआ करने के क़दीम दस्तूर को भी ख़ैरबाद कह दिया और नमाज़ जनाज़ा के बाद जमाअती और ख़ानदानी दुआओं में मुर्दों का नाम लेना भी गुनाह मुतसव्वर हो गया। इसी बात की ताअलीम हिन्दुस्तान और पाकिस्तान की मुख़्तलिफ़ कलीसियाओं को दी गई है, जिस का नतीजा ये है कि फ़िर्दौस के रहने वाले हमारी नज़रों से बिल्कुल ओझल हो गए हैं और मौत के बाद उन की याद भी हर्फ़-ए-ग़लत की तरह मिट जाती है। कलीसिया-ए-हिंद व पाकिस्तान के शुरका पर वाजिब है कि वो भी कलीसिया-ए-जामा के दस्तूर-ए-क़दीम को पेश-ए-नज़र रखकर अपने उन अज़ीज़-ओ-अक़ारिब को इसी तरह ख़ुदा के फ़ज़ल के तख़्त के हुज़ूर याद क्या करें जिस तरह

²¹ [The Prayer Book \(Church manslenny Series\) by Rev.Percy Dearmer](#)

वो उन को उस ज़माने में याद करते थे। जब वो इस दार-ए-फ़ानी में मौजूद थे ताकि ग़ैर मुरई (दिखाई ना देने वाली) दुनिया हमारे लिए एक हकीकत हो जाए।

ख़त्म शुद्